द्वितीय माला, खण्ड ५—अंक २५

१७ अगस्त, १९५७ (शनिवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड ५ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में)

३ शिलिंग (विदेश में)

146 LSD

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ६३२ से ६३५, ६३७, ६३८, ६४०, ६४१, ६४३ से ६४६, ६४६, ६५१ से ६५४, ६५६ और ६५८ . . ३८३६—६३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . . ३८६४-६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३६, ६३६, ६४२, ६४८, ६५०, ६५५, ६५७, ६५६ से ६६३ और ६६५ से ६६७ . . . . ३८६६—७१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८२ से ७२८ . . . . ३८७२—६३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८६३-६४

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पाटस्कर प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समाचारपत्रों की टीका-टिप्पणी . ३८६४

सभा का कार्य ३८६४

धन-कर विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति—

प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ३८६५

बीमा (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया . . . ३८६५

अनुदानों की मांगें—

गृह-कार्य मंत्रालय . . . . . ३८६५—३६३६

श्री हेडा ३६०६-१०

श्री खादीवाला . . . . . ३६१०—१२

श्री फ्रेंक एन्थनी . . . . . ३६१२—१४

राजा महेन्द्र प्रताप ३६१५

श्री राधा रमण . . . . . ३६१५—१८

श्री र० स० अरुमुगम् ३६१६

श्री जाधव . . . . . २६१६—२३

श्री भक्त दर्शन . . . . . ३६२३—२७

लाला अचिंत राम . . . . . ३६२७—३१

श्री दातार . . . . . ३६३१—३६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौथा प्रतिवेदन ३६३६

---

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिए

लोक-सभा

शनिवार, १७ अगस्त, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सेतु समुद्रम परियोजना

†*९३२ **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १५ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेतु समुद्रम परियोजना के जलवर्णना सर्वेक्षण के सम्बन्ध में जुलाई, १९५७ तक कितनी प्रगति हुई है ।

(ख) इस के कब तक समाप्त होने की संभावना है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). अन्तर्ग्रस्त क्षेत्र के एक भाग को १९५६–५७ की सर्वेक्षण ऋतु में त्रिकोण बद्ध किया गया था। दो सर्वेक्षण ऋतुओं में यह कार्य पूरा हो जायेगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : द्वितीय पंच वर्षीययोजना में यह बताया गया था कि योजना की जांच के लिये कुछ निधि आवंटित की गई थी। यह निधि कुल कितनी है ?

†**श्री राज बहादुर** : जांच के लिये, समय की आवश्यकता के अनुसार निधि आवंटित की जानी चाहिये थी। मेरा विचार है कि इस प्रकार का दृष्टिकोण कार्य की प्रगिति में बाधक नहीं होन चाहिये ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव**: यह बताया गया था कि इस परियोजना के सम्बन्ध में लगने वाली पूंजी के निश्चित अनुमान का परीक्षण किया जा रहा है। क्या यह कार्य अब सम्पन्न हो गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : इसी कार्य की पूर्ति के लिये तो ये सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। इस कार्य में विकास परामर्शदाता और नौवहन महा निदेशक––दोनों संलग्न हैं । वे प्रारूप सर्वेक्षण और यातायात सर्वेक्षण में लगे हुए हैं।

†**श्री तंगामणि**: १९५७–५८ में, इस सेतु समुद्रम योजना के बारे में प्राथमिक जांच के लिये हम ने ५ लाख रुपये स्वीकृत किये हैं। मैं वहां पर इस वर्ष किये जाने वाले कार्य का स्वरूप जानना चाहता हूं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : दो बातों की जांच करना है—प्रथम, परियोजना के निस्पादन में उस स्थान में किस सीमा तक मिट्टी आदि की सफाई आवश्यक है। इस का यथा संभव सही अनुमान लगाना पड़ेगा। दूसरे, उस का यातायात सर्वेक्षण, अर्थात् वहां हो कर प्रति वर्ष कितने जहाज गुजरेंगे। ये दो प्रकार के सर्वेक्षण किये गये हैं।

†**श्री पट्टाभिरामन्** : क्या नवीन परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए सेतु समुद्रम परियोजना के लिये नियत निधि में कोई कमी की जायेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : परियोजना के सम्बन्ध में प्राक्कलन तैयार हो जाने पर ही उस के लिये आवंटन किया जायेगा और इस सम्बन्ध में निर्णय होगा।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या श्रीलंका सरकार इस योजना के सम्बन्ध में व्यवधान उत्पन्न कर रही है ?

†**श्री राज बहादुर** : मेरा ऐसा विचार नहीं है।

†**श्री वें० प० नायर** : इस योजना को त्रिकोण बद्ध करने से समुद्र के विभिन्न स्थलों को किनारे पर कितनी दूर तक गहरा किया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : जैसा कहा गया है पाक जल डमरू मध्य को मन्नार की खाड़ी से मिलाने की दृष्टि से यह सर्वेक्षण किया गया है। यह सर्वेक्षण पम्बान और मण्डपम के आसपास किया जा रहा है।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं सागर तट की लम्बाई जानना चाहता हूं—यह कितने मील लम्बा भाग है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं।

सहकारी स्टोर्स की मार्फत अनाज का वितरण

+

†*९३३. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री श्री नारायण दास :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के महत्वपूर्ण नगरों में अनाज वितरण के लिये सहकारी स्टोर्स के संगठन के लिये, कोई नयी योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का स्वरूप तथा उस के महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). इस विषय पर कुछ राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या भारत के सम्पूर्ण नगरों में अनाज वितरण करने के लिये कोई समान नीति है ?

†**श्री अ० म० थामस** : अनाज वितरण के लिये हमारे पास जो उचित मूल्य वाली जो २९,४१३ दूकानें हैं इन में से ४,५२४ संस्थागत ऐजेंसियां हैं। इन एजेंसियों में अधिकांश सहकारी समितियां हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : हाल ही में माननीय मंत्री पटना गये थे। क्या वहां अनाज वितरण करने की समुचित व्यवस्था है अथवा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत है ?

†**श्री अ० म० थामस** : कुछ सहकारी समितियां भी पटना में कार्य कर रही हैं। वे संतोषजनक कार्य कर रही हैं। किन्तु उचित मूल्य वाली गैर-सरकारी दूकानों का कार्य संतोषजनक नहीं है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या अनाज वितरण करने के लिये सहकारी समितियां खोलने के सुझाव से किन्हीं राज्य-सरकारों ने सहमति प्रकट की है तथा क्या केन्द्र ने राज्य सरकारों की यह प्रार्थना स्वीकार की है और यदि हां, तो कितनी राज्य सरकारों ने योजना आरम्भ की है ?

†**श्री अ० म० थामस** : राष्ट्रीय सहकारी विकास भाण्डागार बोर्ड ने अपनी १ जून, १९५७ की बैठक में अनाज वितरण के लिये कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली में सहकारी समितियां आरम्भ करने का प्रस्ताव रखा था। पश्चिमी बंगाल और बम्बई राज्य सरकारों से विस्तृत योजनाएं मंगाई गई हैं।

†**डा० क० ब० मेनन** : सहकारी समितियों के अतिरिक्त क्या किन्हीं राज्यों में पंचायतों की सहायता से अनाज वितरण करने के बारे में सरकार के पास अनुभव है ?

†**श्री अ० म० थामस**: वस्तुतः मैंने जिन लगभग ४,००० संस्थागत एजेंसियों का उल्लेख किया था उनमें से अधिकांश पंचायतें ही हैं।

†**श्री रंगा** : क्या इस योजना का उद्देश्य अनाज वितरण के सम्बन्ध में सहकारी स्टोर्स को एकाधिकार सौंपना है अथवा क्या ये स्टोर्स गैर सरकारी खाद्यान्न स्टोर्स के साथ काम करते रहेंगे ताकि इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न होकर अनाज वितरण की कुशलता में वृद्धि हो ?

†**श्री अ० म० थामस** : सहकारी समितियों को अनाज बेचने के लिये एकाधिकार देने का कोई प्रस्ताव नहीं है किन्तु फिर भी हम सहकारी समितियों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

†**श्री कासलीवाल** : यह बात कहां तक सच है कि माननीय मंत्री ने अपनी पटना यात्रा के समय कहा था कि यदि सहकारी स्टोर्स समृद्ध अथवा वृहद् खरीददार बनाना चाहें तो किसी प्रकार की कार्ड पद्धति लागू की जायेगी ?

†**श्री अ० म० थामस** : वस्तुतः इस प्रकार की किसी व्यवस्था को अन्तिम रूप दिया गया है और मेरा विचार है कि यह अब तक क्रियान्वित कर दी गई होगी।

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह बताया गया है कि उचित मूल्य वाली दूकानें वहां पर भली भांति कार्य नहीं कर रही हैं। क्या सरकार उपभोक्ताओं को अच्छी विधि से अनाज देने के लिये किसी अन्य विकल्प योजना पर विचार कर रही है ?

†**श्री अ० म० थामस** : मेरा विचार है कि कार्ड पद्धति जारी करने से उचित मूल्य वाली दूकानों की बुराइयां दूर हो जायेंगी।

†**श्री वोडयार** : क्या विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने इस योजना का अनुमोदन कर दिया है ?

†**श्री अ० म० थामस** : अभी इस पर पत्र-व्यवहार जारी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पत्तन कर्मचारी

†*९३४. { श्री अ० क० गोपालन ।
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन ।
श्री तंगामणि }

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ३१ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३४-क के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन कर्मचारियों के वेतन और सेवा की अवस्थाओं की जांच के लिये सरकार द्वारा नियुक्त विशेष पदाधिकारी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिकारी के प्रतिवेदन और सिफारिशों का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) निर्देश पद के एक अंग के सम्बन्ध में अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है । अन्तिम प्रतिवेदन भी शीघ्र ही मिलने की सम्भावना है ।

(ख) विशेष पदाधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों का अभी परीक्षण किया जा रहा है । इसके पश्चात् ही इन्हें प्रकाशन करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

†श्री अ० क० गोपालन : क्या अन्तरिम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं ?

†श्री राज बहादुर : क्रियान्वित के पहले उस पर विचार, परीक्षण एवं परामर्श किया जायेगा । वर्तमान में सरकार सिफारिशों का परीक्षण कर रही है ।

†श्री तंगामणि : क्या पत्तन कर्मचारियों के प्रश्न की जांच करने वाली चौधरी समिति ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बीच विद्यमान विसंगति पर ही विचार किया है अथवा उन्होंने वेतन-ढांचे के सम्पूर्ण विषय पर विचार किया है ?

†श्री राज बहादुर : मैं माननीय सदस्य का ध्यान उत्तर के भाग (क) की ओर निर्देश करता हूं अर्थात् निर्देश-पद के एक अंग के बारे में अन्तिरिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है । अन्तिम रूप से प्रतिवेदन मिलने पर उसका शेष भाग भी उसमें आ जायेगा ।

†श्री एन्थनी पिल्लै: क्या बम्बई की यूनियन को यह आश्वासन नहीं दिया गया था कि पिछले महीने के अन्तिम दिवस तक चौधरी समिति की रिपोर्ट उपलब्ध हो जायेगी ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का कोई आश्वासन दिया गया था किन्तु यह सच है कि हमने उनसे यह कहा था कि हम प्रतिवेदन की सिफारिशों के बारे में उनके साथ चर्चा करेंगे ।

†श्री तंगामणि : माननीय मंत्री ने कहा कि अन्तरिम प्रतिवेदन में कुछ ही बातें सम्मिलित हैं । रिपोर्ट के शेष भाग में कौन-कौन सी बातें सम्मिलित हैं ?

†श्री राज बहादुर : मेरा विचार है कि रिपोर्ट में जो बातें सम्मिलित हैं और जो उसके शेष भाग में आ जायेंगी उनके बारे में इस समय विस्तृत चर्चा करना मेरे लिये सम्भव नहीं होगा ।

†श्री तंगामणि : मैं यह पूछ रहा हूं कि रिपोर्ट के शेष भाग में कौन-कौन सी बातें सम्मिलित हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री राज बहादुर: जैसा माननीय सदस्य जानते हैं उसके निर्देश पद सर्वविदित हैं, वे हैं, वेतन-क्रम, भत्ता, पत्तन और गोदी प्रांगण में श्रमिकों की सेवा की अवस्थाएं, छुट्टियां आदि ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य रिपोर्ट के शेष भाग के अन्तर्गत आने वाली बातें, उनकी क्रियान्विति सम्बन्धी पद्धति आदि जानना चाहते हैं ।

†श्री राज बहादुर : मैंने अपनी कठिनाइयां पहले ही बता दी हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिस समिति से सम्बद्ध श्री चौधरी ने जांच की है उसने अधिक आवश्यक बातों पर विचार कर एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और वे सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं । जो अन्य विषय समिति को निर्देश किये गये हैं उन पर शेष रिपोर्ट मिल जाने पर विचार किया जायेगा । इसके पूर्व इन सिफारिशों के बारे में विशिष्ट बात कहना न सम्भव है और न वांछनीय ही ।

†श्री रंगा : इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि पत्तन में श्रमिकों द्वारा 'धीमे काम करो' का आश्रय लिया जा चुका है तो क्या सरकार प्रतिवेदन का परीक्षण, परामर्श और विचार आदि विभिन्न अवस्थाओं में कमी करने की वांछनीयता पर विचार नहीं करती है ताकि डाक तथा तार कर्मचारियों की भांति संकट की पुनरावृत्ति न हो ।

†श्री राज बहादुर : जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमें याद है कि समिति ८ दिसम्बर को ही यह चाहती थी कि पत्तन श्रमिक अपने विचार प्रकट करें किन्तु दुर्भाग्य से समिति को एक यूनियन के विचार ९ अप्रैल तक मिले और स्टीवर्डस एसोसियेशन ने तो अपना दृष्टिकोण मई के अन्त में प्रस्तुत किया । समिति ने बिल्कुल भी समय नहीं गंवाया और ५ जुलाई को अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । मेरा विचार है कि इसके परीक्षण में पर्याप्त समय लगेगा । इस मामले में हमने कतई विलम्ब नहीं किया है ।

अनाज पर नियंत्रण

+

†*९३५. { श्रीमति तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री रघुनाथ सिंह :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री राम शंकर लाल :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की पिछली बैठक में कुछ मुख्य मंत्रियों ने अनाज पर किसी प्रकार के नियंत्रण का समर्थन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके सुझाव क्या हैं और इन सुझावों के प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद् की पिछली बैठक में खाद्यान्न नियत्रण के प्रश्न पर चर्चा की गई थी और राज्य सरकारों की आम तौर पर यह सम्मति थी कि वे सम्पूर्ण रूप से राशनिंग करने और बड़े पैमाने पर एकाधिकार अधिग्रहण सरीखे नियन्त्रण लागू करने के विरोध में हैं । तथापि उन्होंने इस बात की आवश्यकता अनुभव की कि अनाज के आने-जाने और अधिक अनाज के क्षेत्रों में आन्तरिक उपार्जन होना चाहिये । तदनुसार भारत सरकार ने अनाज के लाने ले जाने के बारे में जोन वार नियन्त्रण लागू किये हैं और अनाज का आन्तरिक उपार्जन भी आरम्भ किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: इस बात को दृष्टिगत करते हुए कि माननीय उपमंत्री पटना गये थे और बिहार सरकार के परामर्श से गेहूं के आंशिक नियन्त्रण का निर्णय किया था, क्या इसका यह अभिप्राय है कि सरकार अभावग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यक नियंत्रण करने जा रही है ?

†श्री अ० म० थामस : पटना में यह निर्णय किया गया था कि उचित मूल्य वाली दूकानों में वितरण किसी नियम के अनुसार नहीं होता था । अतः परिवार पहचान-पत्र जारी किये जायेंगे और प्रत्येक परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर मात्रा निश्चित की जायेगी । फिर उचित मूल्य वाली दूकानों की सहायता से इसका वितरण किया जायेगा ।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: क्या पटना में लागू की जाने वाली यह पद्धति देश के अन्य अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में भी लागू की जायेगी ?

†श्री अ० म० थामस : उदाहरणस्वरूप पश्चिमी बंगाल में एक प्रकार की परिवर्तित राशनिंग पद्धति विद्यमान है । हमारा इरादा ऐसी ही कार्ड प्रणाली को जारी कर उचित मूल्य वाली दूकानों की सहायता से गेहूं और चावल का वितरण करना है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा उठीं—

†अध्यक्ष महोदय: प्रश्न की सूचना देने वाले अन्य सदस्य भी उठें । अनुपूरक पूछते जाने की अनुमति अकेले यदि एक ही सदस्य को देता रहूं तो फिर अन्य सदस्यों का नाम मैं तब तक नहीं पुकारूंगा जब तक कि वे अपने स्थान से उठते नहीं हैं ।

†श्री रंगा : माननीय सदस्या ने प्रश्न की सूचना दी थी और वह उठ रही हैं ।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: इस बात का स्मरण करते हुए कि राष्ट्रीय विकास परिषद् में अनेक राज्य सरकारों द्वारा यह मत अभिव्यक्त किया गया था कि न्यूनतम कीमत निर्धारित कर दी जाये इसका अर्थ है कि कीमत निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई भी नीति कृषकों अथवा कीमतों को स्थिरता प्रदान करने के प्रयत्नों की दृष्टि से वाञ्छनीय नहीं होगी । इस स्थिति में कीमत सम्बन्धी नीति के बारे में भारत सरकार का क्या निर्णय है ?

†श्री अ० म० थामस: कीमत सम्बन्धी नीति के बारे में हमने अपना निर्णय पहले ही बता दिया है कि हम वर्तमान में निम्नतम अथवा उच्चतम कीमत निर्धारित नहीं करना चाहते हैं । किन्तु बड़े पैमाने पर अन्न उपार्जन करने की दशा में यह आवश्यक हो सकता है ।

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा): देशवासियों को यह आश्वासन दे दिया गया है कि जब कीमतें बहुत कम हो जायेंगी तो सरकार कृषकों की सहायता करेगी ।

†श्री हेडा : क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि आंशिक नियन्त्रण लागू करने से अभाव-ग्रस्त सदृश क्षेत्रों में भी अभाव उत्पन्न हो जायेगा और वितरण के परिमाण में वृद्धि की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है ?

†श्री अ० म० थामस : हमें अधिक कीमतों की स्थिति का सामना करना है । इस समस्या का सामना करने के लिये हमने तरीकों का आश्रय लिया है । हमने उचित मूल्य वाली दूकानें, ऋण सम्बन्धी सुविधाएं, जोनवार व्यवस्था और अनाज के उपार्जन की सहायता से वितरण का प्रश्रय लिया है ।

†श्री रंगा : सरकार जिस नीति का अनुसरण कर रही है वह 'नियंत्रण' न होकर 'विनियमन' है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० म० थामस : माननीय सदस्य नियंत्रण की जिस अवस्था की कल्पना कर रहे हैं यह वह नहीं है; यह तो केवल विनियमन है ।

श्री विभूति मिश्र: क्या सरकार शहर के सभी आदमियों को खाना देगी ? शहरों में ऐसे आदमी भी रहते हैं, जिन की देहात में बहुत जमीन रहती है, जहां वे गल्ला रखते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि उन के बारे में सरकार क्या सोच रही है ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यह सवाल कहां से उठा, यह मेरी समझ में नहीं आया । यहां कोई भंडारे नहीं खुल रहे हैं ।

श्री विभूति मिश्र : इस में लिखा है कि हम शहरों के लिये कंट्रोल कर रहे हैं । मैं प्रधान मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यह सवाल इसलिये उठा कि पटना में बहुत से आदमी रहते हैं, जो कि हमारे जिले में और दूसरी जगहों में जमीन रखते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे लोगों को भी राशन से खाना मिलेगा या उन को वंचित किया जायगा ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस में राशन का सवाल नहीं है । माननीय सदस्य गलतफहमी में हैं ।

कारखानों का आधुनिक-करण

†*९३७. श्री बहादुर सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाइन स्टोर्स कारखानों के आधुनिककरण के लिये की गई कार्यवाही क्या है ;

(ख) इस योजना में कितनी निधि अन्तर्ग्रस्त हैं ।

(ग) आधुनिक-करण के पश्चात् उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि हो जायगी ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अलीपुर, जबलपुर और बम्बई वर्कशाप की पुरानी मशीनों को बदलने का निश्चय कर लिया गया है तथा अनेक नई मशीनें मंगाई गई हैं और स्थापित कर दी गई हैं । बम्बई टेलीफोन वर्कशाप को हटा कर एक नये स्थान पर लगाने का प्रस्ताव है । अधिक संयंत्र और मशीनें खरीदने, कार्यालय के लिये बेहतर स्थान और स्टोर सम्बन्धी सुविधाओं तथा दूकानों के दिखाव को सुन्दर रूप प्रदान करने के बारे में प्रस्ताव है ।

(ख) अभी तक जितनी मशीनों का आर्डर दिया गया है और जो मशीनें लगा दी गई हैं उन पर २१,९८,००० रु० खर्च किये गये थे । अन्य प्रस्तावों पर १,९२,००,००० रु० खर्च होने की आशा है ।

(ग) उत्पादन क्षमता आशातीत बढ़ जायेगी किन्तु उस का निश्चित निर्धारण इस समय सम्भव नहीं है ।

†श्री बहादुर सिंह : क्या नये वर्कशाप स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

†श्री राज बहादुर : एक प्रस्ताव था किन्तु वर्तमान में उस की क्रियान्विति नहीं की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डिब्बे बनाने का कारखाना, पैरम्बूर

+

*९३८. { श्री विभूति मिश्र :
श्री स० म० बनर्जी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैरम्बूर के डिब्बे बनाने के कारखाने में १९५६-५७ में कितने डिब्बे तैयार किये गये;

(ख) क्या इस कारखाने के विस्तार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो किस हद तक ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ८८ ।

(ख) जी नहीं, लेकिन कारखाने में दूसरी पारी शुरू करने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

†श्री तंगामणि : इस का उत्तर अंग्रेजी में भी दे दिया जाये ।

(इस के पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)

श्री विभूति मिश्र : जो दूसरी शिफ्ट जारी की जायेगी, उस से प्रोडक्शन में किस हद तक वृद्धि होगी ?

श्री शाहनवाज़ खां: अभी तक यह मसला विचाराधीन है । जब इस के ऊपर पूरी तरह से विचार हो जायेगा, फिर कुछ कहा जा सकेगा ।

†श्री तंगामणि : माननीय उपमंत्री ने कहा कि कारखाने का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । परन्तु चूंकि एक बड़ा कारखना पहले ही मौजूद है क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कर्मचारियों को सेवा के निबन्धन और शर्तें इस कारखाने के आधार पर स्थायी अथवा अस्थायी तौर से बनाये गये हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव: क्या सरकार ने दूसरी पारी खोलने के पूर्व कारखाने में कोच आदि के निर्माण के लिये पर्याप्त मात्रा में इस्पात मिल जाने का पक्का विश्वास कर लिया है ?

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : दूसरी पारी चलाने का अन्तिम निर्णय करने के पूर्व इन सब चीजों का विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

परदीप पत्तन

+

†*६४०. { श्री रघुनाथ सिंह :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री संगण्णा :
श्री सुबोध हासदा :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से उड़ीसा में परदीप पत्तन का विकास करने की एक कई लाख रुपये की परियोजना बनाई जा रही है; और

(ख) क्या उड़ीसा में परदीप पत्तन को रूरकेला खानों से मिलाने वाले वर्तमान जलमार्गों को चौड़ा करने की कोई योजना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: जापान के कुछ बद्धहित पक्षों ने उड़ीसा सरकार से परदीप पत्तन का विकास करने के लिये पहुंच की है। ये प्रस्ताव उड़ीसा सरकार के विचाराधीन है। हाल में उड़ीसा सरकार से एक निर्देश भारत सरकार को भी प्राप्त हुआ है और उस की जांच की जा रही है।

(ख) राज्य सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

श्री रघुनाथ सिंह : इस में सेन्ट्रल गवर्नमेंट का क्या हाथ होगा ? क्या उस की ओर से उड़ीसा सरकार को सहायता दी जायेगी ?

श्री राज बहादुर : माइनर पोर्टस् के अन्तर्गत जो कुछ सहायता साधारणतया दी जाती है, वह दी जायेगी और उस के अतिरिक्त जो सहायता सम्भव होगी, वह भी दी जायेगी।

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय मंत्री ने कहा कि हाल में इस सम्बन्ध में उन्हें उड़ीसा सरकार से एक पत्र मिला था। क्या मैं जान सकता हूं कि उस पत्तन का निर्माण करने और रूरकेला से परदीप तक जलमार्ग का विकास करने की, जैसा कि उड़ीसा की सरकार ने सुझाव दिया है, अनुमानित लागत क्या होगी ?

†**श्री राज बहादुर**: इस पत्तन के सम्बन्ध में दो प्रकार के प्रस्ताव हैं। एक प्रस्ताव उस का एक छोटे पत्तन के रूप में विकास का है और दूसरा बड़े पत्तन के रूप में विकास का। एक विशेषाधिकारी जांच करने के लिये नियुक्त किया गया था। उस ने यह रिपोर्ट दी कि उस को २० लाख रुपये की लागत से एक मध्यम दर्जे का पत्तन बनाया जा सकता है जिस की क्षमता ५ लाख टन अयस्क प्रति वर्ष होगी। बड़े प्रस्तावों के सम्बन्ध में हम इस समय कुछ नहीं कह सकते।

†**डा० राम सुभग सिंह** : नहर के सम्बन्ध में ?

†**श्री राज बहादुर** : हम राज्य सरकार से सूचना इकट्ठी कर रहे हैं।

†**श्री तिरुमल राव** : इस पत्तन के विकास में जापान का क्या विशेष हित है ?

†**श्री राज बहादुर** : वह उस देश को लौह अयस्क के निर्यात के संबंध में है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सूपकार** : उड़ीसा में प्रदीप को रूरकेला से मिलाने वाला वर्तमान जलमार्ग कौन सा है ?

†**श्री राज बहादुर** : जैसा कि मैंने प्रश्न के भाग (ख) के ऊत्तर में कहा वह सुचना राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है ?

दामोदर घाटी निगम की तिलय्या नहर योजना

†*९४१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले दामोदर घाटी निगम की तिलय्या नहर के निर्माण के लिए टेन्डर मांगे गये थे और टेंडर-निक्षेप स्वीकृत किए गए थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब यह निक्षेप लौटा दिए गए है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण है;

(घ) क्या उस समय नहर निर्माण के लिए एक सुनियोजित प्रशासकीय यंत्र स्थापित किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या वह प्रशासकीय यंत्र अभी भी विद्यमान है; और

(च) उस यंत्र से क्या कार्य लिया जा रहा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) चूंकि योजना अभी तक मंजूर नहीं की गई है, टेंडर-निक्षेप लौटा दिये गये हैं ।

(घ) नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) और (च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय मंत्री कहते हैं कि चूंकि योजना अभी तक मंजूर नहीं की गई है निक्षेप धन लौटा दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि जब योजना मंजूर नहीं की गई थी तो टेंडर क्यों मांगे गये थे ? यदि कोई योजना ही नहीं है तो इतने बड़े प्रशासकीय यंत्र के रखे जाने का क्या प्रयोजन है ?

†**श्री हाथी** : पहली बात तो यह है कि इस कार्य के लिये टेंडर या कोई चीज प्राप्त करने के लिये कोई बड़ा प्रशासकीय यंत्र नहीं है । निगम का विचार था कि वह योजना तैयार करने और मंजूरी प्राप्त करने में सफल रहेगा और इसलिये उसने टेंडर मांगे थे ताकि उसे कार्य में देर न हो जाय । चूंकि उस में विलम्ब हुआ इसलिये टेंडर निक्षेप लौटा दिया गया है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : मंजूरी देने वाला प्राधिकारी कौन है क्योंकि उप मंत्री जी ने अभी कहा कि निगम ने सोचा था कि मंजूरी मिल जायेगी, और वह मंजूरी समय के अन्दर क्यों नहीं प्राप्त हुई ?

†**श्री हाथी** : अभी तक छोटी छाटी योजनाओं की मंजूरी तो निगम स्वयं ही देता था परन्तु योजना आयोग ने एक प्रविधिक मंत्रणा समिति स्थापित की है जो (पंच वर्षीय) योजना में सम्मिलित की जाने वाली समस्त योजनाओं की छानबीन करती है । चूंकि मंजूरी नहीं दी गई थी, वे आगे नहीं बढ़ सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० राम सुभग सिंह : माननीय मंत्री ने कहा कि कुछ समय पहले तक दामोदर घाटी निगम स्वयं मंजूरी देता था और अब योजना आयोग ने मंजूरी देने के लिये एक प्रविधिक समिति स्थापित कर दी है। इस योजना की मूल कल्पना कब की गई थी; टेंडर कब मांगे गये थे, वे कब बन्द किये थे क्योंकि उत्तर से ऐसा लगता है कि प्रविधिक समिति हाल ही में स्थापित की गई थी ? यह परस्पर विरोध कैसा है ?

†श्री हाथी : ऐसा नहीं है कि प्राविधिक समिति की स्थापना हाल में पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित की जाने वाली सब योजनाओं के लिये की गई थी। यह योजना बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। यह यहां भेजी गई है। इस की केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा जांच की जा रही है ।

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : बिहार में प्रथम योजना में दामोदर घाटी परियोजना से बनाई गई नहरों का कुल मीलयोग कितना है ?

†श्री हाथी : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

†श्री त्रि० ना० सिंह : तिलय्या नहर की योजनायें दामोदर घाटी निगम द्वारा योजना आयोग को कब प्रस्तुत की गई थीं और वे उस के पास कितने समय से पड़ी हुई हैं ?

†श्री हाथी : वह बिहार सरकार से १९५६ में किसी समय प्रस्तुत की गई है।

†श्री त्रि० ना० सिंह: किसी समय का अर्थ वर्ष के पूर्वार्ध से है अथवा उत्तरार्द्ध से ?

†श्री हाथी : १९५६ ।

†श्री अ० चं० गुह : क्या हम यह समझें कि दामोदर घाटी निगम ने योजना आयोग से बिना उचित मंजूरी प्राप्त किये हो टेंडर मांग लिये थे ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस मामले पर अभी तक कितना व्यय किया गया है ?

†श्री हाथी : जैसा कि मैं ने कहा उस ने यह पूर्वानुमान कर के टेंडर आमंत्रित किये थे कि उस समय तक उसे सरकार की और योजना आयोग की मंजूरी मिल जायेगी। उस ने वैसा किया। परन्तु योजना आयोग कोई भी योजना दुसरी योजना में सम्मलित करने की अनुमति तब तक नहीं देता जब तक कि वह प्रविधिक दृष्टि से उस का अनुमोदन न कर दे।

†श्री अ० चं० गुह : कोई खर्च हुआ है ?

†श्री हाथी : जी नहीं ।

मुअत्तल रेलवे-कर्मचारी

+

†*९४३. श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सेवा (राष्ट्रीय सुरक्षा का परित्राण) विनियमों के अर्न्तगत अभी भी अनेक कर्मचारी मुअत्तल हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितने ;

(ग) इन मामलों में शीघ्र निर्णय करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) क्या इन मामलों का पुनर्विलोकन स्वयं मंत्री जी द्वारा गत सत्र में सभा भवन में दिये गये उन के वचन के आधार पर किया जा रहा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी हां ।

(ख) ५२ ।

(ग) इन मामलों पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है ।

(घ) जी, हां ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इन ५२ मामलों में से कितने लोग ३ या ४ वर्षों से अधिक समय से मुअत्तल हैं ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : काफी लोग १९४८ और १९४९ से मुअत्तल हैं।

†**श्री तंगामणि** : इन ५२ में से दक्षिण रेलवे के भूतपूर्व दक्षिण भारत रेलवे के, कितने हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां**: ९ ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : इन मामलों के निपटारे में दस वर्ष का असाधारण विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : कभी कभी, ये मामले कर्मचारियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों को ले जाये जाते हैं। हमें उस समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक कि वे न्यायालय अपने निर्णय देते हैं। कभी कभी रेलवे मंत्रालय को न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार कार्य करना पड़ता है इन सब मामलों के कारण विलम्ब हो जाता है ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या यह सच है कि कुछ मामलों में लगभग दो या तीन वर्ष जांच के लिये ले लिये जाते हैं और फिर उसे स्थगित कर दिया जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा सामान्य प्रश्न पूछने का क्या लाभ है ? इन नौ मामलों में से किसी में यदि माननीय सदस्य रुचि रखते हों तो वह बाद में प्रश्न कर सकते हैं ।

†**श्री ब ० स० मूर्ति** : नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूं.....

†**अध्यक्ष महोदय** : सामान्य बात करने से क्या लाभ है, क्या हम बुरे नहीं हैं ? वह कोई विशेष दृष्टान्त ले सकते हैं ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : नहीं, नहीं ।

†**श्री तंगामणि** : इन मामलों का अन्तिम रूप से निपटारा कब तक हो जायेगा ।

†**श्री शाहनवाज़ खां**: सारी स्थिति का पुनर्विलोकन किया जा रहा है । हम समझते हैं कि वह बहुत लम्बा नहीं होगा । हम आगामी कुछ महीनों में इन सब चीजों का अन्तिम रूप से निर्णय करने की आशा करते हैं। विलम्ब का मुख्य कारण, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया, यह रहा है कि

†मूल अंग्रेजी में

उन में से कुछ १९४९ में प्रारम्भ हुए थे। उस समय से बहुत से परिवर्तन हो गये हैं। हम ने पुलिस की नवीनतम रिपोर्ट मांगी हैं ताकि हम इन मामलों का उचित निर्णर कर सकें।

रेलवे स्टेशनों पर प्रलेखीय चलचित्रों का प्रदर्शन

†*९४४. **श्री दामानी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन-कौन से रेलवे स्टेशन हैं जिन पर इस समय प्रलेखीय चलचित्र और समाचार चित्र प्रदर्शित किये जा रहे हैं।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : पूर्व और उत्तर रेलवे को छोड़ कर और सब जोनल रेलों के पास सिनेमा दिखाने की साज सामग्री है। वह साज सामग्री किसी विशेष स्टेशन पर स्थायी रूप से स्थापित नहीं की जाती है, वरन् नियत काल में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को भेज दी जाती है और अनेक स्टेशनों पर प्रलेखीय चलचित्र प्रदर्शित किये गये हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या समाज शिक्षा संबंधी प्रलेखीय चलचित्र रेलवे विभाग द्वारा तैयार किये गये हैं अथवा वे पब्लिकेशन्स डिवीजन द्वारा तैयार किये गये प्रलेखीय चलचित्र दिखा रहे हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : रेलवे विभाग द्वारा बहुत से प्रलेखीय चलचित्र, लगभग ७० के, तैयार किये गये हैं। इन में से अनेक समाज शिक्षा पर हैं।

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** : ये प्रलेखीय चलचित्र दक्षिण रेलवे के किन किन स्टेशनों पर प्रदर्शित किये गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य किसी एक स्टेशन में रुचि रखते हों तो वह उसे पूछ सकते हैं।

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** : दक्षिण रेलवे के स्टशनों की संख्या।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : श्रीमान्, मुझे इस को पढ़ कर सुनाने में आधा मिनट लगेगा : त्रिवेन्द्रम्, सेन्ट्रल, मदूरई, त्रिचिनापल्ली, सलेम, मंगलौर, बंगलौर, बेजवाड़ा, मद्रास एगमोर, मैसूर, गुडूर, हुब्ली, टिन्नेवेली, जोलारपेट, एरोड, काटपाडी और अरकोणम्।

†**श्री दामानी** : इन सुविधाओं का अन्य स्टेशनों पर विस्तार करने का निर्देशक तत्व कौनसा है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : जैसे जैसे हमें अधिक अनुभव होता जायेगा और जैसे जैसे हम लोकमत प्राप्त कर सकेंगे हम उस का विस्तार करेंगे। यदि ये लोक प्रिय होंगे तो हम विस्तार करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय**: यदि माननीय सदस्य किसी विशेष स्टेशन में रुचि रखते हों तो वे मंत्री जी को लिख कर अपने स्टेशनों में प्रदर्शित करा सकते हैं।

इंजन

†*९४५. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६–५७ में भारत को संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भारत-अमरीकी प्रविधिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने इंजनों का संभरण किया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : ३२।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : क्या इस भारत-अमेरीकी प्रविधिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत दूसरी योजना में इंजनों के सम्भरण के लिये कोई करार किया गया है ?

†श्री शाहनवाज़ खां : यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है ।

†अध्यक्ष महोदय : वह १९५६–५७ के लिये है । वे १९५७–५८ के लिये चाहते हैं ।

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा: दूसरी योजना के अन्तर्गत, न केवल १९५६–५७ के लिये वरन् १९५६ से १९६२ तक, कितने इंजनों के संभरण की आशा है ?

†श्री शाहनवाज़ खां : पिछले दिन मैं ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था । मैं इन सब अंकों को याद नहीं रख सकता ।

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा: इंजनों के संभरण के लिये किन्हीं फ्रांसीसी सार्थों के साथ बातचीत चल रही थी । क्या वह बातचीत समाप्त हो गई है अथवा कोई करार हो गया है ?

†श्री शाहनवाज़ खां : वह एक भिन्न व्यवस्था के अन्तर्गत थी ।

†अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ? जब कोई माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं तो उन के लिये अनुपूरक प्रश्न पूछना आवश्यक नहीं है । ऐसा नहीं है कि प्रत्येक सदस्य, जो प्रश्न पूछता है, कोई न कोई अनुपूरक प्रश्न अवश्य ही पूछे । यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा: यह प्रश्न प्रविधिक सहयोग मिशन के अन्तर्गत इंजनों के संभरण के संबंध में है ।

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम): प्रश्न प्रविधिक सहयोग मिशन के अन्तर्गत इजनों के सभरण के संबंध में है, और यदि माननीय सदस्य अन्य इंजनों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछते हैं तो मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : ठीक यही मैं ने कहा था । यह १९५६–५७ के लिये भारत-अमरीकी सहायता से संबंधित है ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या यह सच है कि इस योजना के अन्तर्गत संभरण किये गये इंजनों का मूल्य लगभग १० लाख रुपये प्रति इंजन है, जो देश में बने इंजन की लागत का दुगना है ?

†श्री शाहनवाज़ खां : यह सच है कि अमेरीकी इंजन का मूल्य देश में बने इंजन से अधिक है । परन्तु हम—रेलवे मंत्रालय—जो भुगतान वास्तव में करते हैं वह आयात किये गये इंजन का बाजार भाव होता है । मान लीजिये एक आयात किये गये इंजन की लागत ६ लाख रुपये हो, तो रेलवे विभाग ३ लाख रुपये से कुछ अधिक भुगतान करेगा ।

†श्री याज्ञिक : शेष का भुगतान कौन करता है ?

†श्री शाहनवाज़ खां : उस का हिसाब वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है ।

†श्री याज्ञिक : इस मद अर्थात् इन इंजनों की खरीद के अन्तर्गत कुल कितना व्यय किया गया है ?

†श्री जगजीवन राम: अमेरीकी मूल्य के अनुसार लिये गये सब इंजनों की कीमत ६ . ८ करोड़ रुपये थी । परन्तु हम ने ३ . ८९ करोड़ रुपये भुगतान किये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा** : "हम ने" का तात्पर्य 'रेलवे विभाग' से है ? फिर भी हम कुछ और भुगतान वित्त मंत्रालय से करते हैं तब कीमत पूरी होती है ।

†**श्री जगजीवन राम** : जी, नहीं । हम जो भुगतान करते हैं वह इंजनों का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या सारी सरकार एक दल की तरह कार्य कर रही है । अब इस प्रकार की बात कही गई है कि रेलवे मंत्रालय केवल ३ लाख रुपये का भुगतान करता है और शेष का भुगतान वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है ।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : इंजनों का संभरण एक सहायता करार के अन्तर्गत है । वित्त मंत्रालय को कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ता है । हम वित्त मंत्रालय को भुगतान करते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब यह बात समझ में आती है । यह संभरण एक सहायता के रूप में है ।

†**श्री रंगा**: हम प्राय: इसी प्रकार के इंजनों का आयात कनाडा से भी कर रहे थे । उस के लिये हम कितना भुगतान करते थे ? क्या अमरीकी और कनाडी मूल्यों में कोई अन्तर है, और यदि हां, तो कितना ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : वह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होगा । हमें कोलम्बो योजना के अन्तर्गत राष्ट्र मंडलीय देशों से भी कुछ इंजन मिल रहे थे । परन्तु मेरे पास ठीक ठीक अंक नहीं हैं ।

†**श्री फीरोज गांधी** : माननीय उपमंत्री ने कहा है कि योजना के अन्तर्गत ३२ इंजन खरीदे गये थे । अभी अभी माननीय मंत्री ने कहा कि खर्च की गई राशि लगभग ६ करोड़ रुपये थी । क्या हम यह समझें कि ३२ इंजनों का अमेरीकी मूल्य लगभग ६ करोड़ रुपये है । मैं समझता हूं कि इस में कुछ गलती है ।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : माननीय मंत्री ने १०० इंजनों का मूल्य बताया था जिस के आधार पर करार किया गया था । प्रश्नों में विशेष रूप से १९५६–५७ के दौरान में आयात किये गये इंजनों की संख्या पूछी गयी थी । उस वर्ष में ३२ इंजन आयात किय गये थे । परन्तु १०० इंजनों का कुल मूल्य लगभग ६ करोड़ रुपये है ।

†**श्री सूपकार** : माननीय उप मंत्री ने कहा है कि हमें इंजनों के बाजार भाव का भुगतान करना पड़ता है । । मैं जानना चाहता हूं कि हम जब इंजनों की खरीद करते हैं तो बाजार भाव कैसे निश्चित किया जाता है ।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : बाजार भाव का निश्चय स्थानीय टेंडर आमंत्रित कर के किया जाता है ।

†**श्री च० द० पांडे** : मैं केवल एक प्रश्न पूछूंगा । अब चूंकि डीजल बिजली के इंजन मंगाने की प्रवृत्ति है और हमारे देश में कोई भी डीजल निर्माण उद्योग नहीं है, क्या सरकार चितरंजन को एक डीजल बिजली इकाई में परिवर्तित करने की संभावना पर विचार करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है । यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । माननीय सदस्य इस प्रश्नों के घण्टे को रेलवे पर सामान्य बहस में परिवर्तित करना चाहते हैं ।

---

† मूल अंग्रेजी में

बेजवाड़ा-मसुलीपट्टम लाइन

+

†*९४६. { श्री बलराम कृष्णय्या :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या रेलवे मंत्री २८ नवम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे की बैजवाड़ा से मसुलीपट्टम तक और गुड़िवाड़ा से भीमवरम् तक कीमीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदल देने का कोई विचार है;

(ख) इस कार्य पर लगभग कितना खर्च आयेगा;

(ग) इस लाइन के किस किस भाग पर पहले कार्य प्रारम्भ किया जायेगा; और

(घ) यह कार्य कब प्रारम्भ करने का विचार है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) जी, हां। यह परियोजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है ।

(ख) से (घ) यह तो सर्वेक्षण प्रतिवेदनों के समाप्त होने और उन पर विचार करने के बाद ही जाना जा सकेगा ।

†श्री बलराम कृष्णय्या : प्रश्न में मेरा नाम 'कृष्णय्या' गलत रखा गया है। यह 'बलराम कृष्णय्या' होना चाहिये ।

†अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब वैसा ही होगा ?

†श्री ब० स० मूर्ति : क्या अब उस का सर्वेक्षण किया जा रहा है ?

†श्री शाहनवाज़ खां : गुड़िवाड़ा-भीमवरम लाइन के सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गई है।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या इसे द्वितीय योजना में सम्मिलित करने से पहले कोई सर्वेक्षण अथवा इंजीनियरिंग प्रतिवेदन प्राप्त किया गया था ?

†श्री शाहनवाज़ खां : इस लाइन के सर्वेक्षण की १९ फरवरी, १९५७ को मंजूरी दी गई थी, और उस के सम्बन्ध में प्राक्कलन मांगे गये थे ?

†श्री त० ब० विट्ठल राव : इस प्रतिवेदन के कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

†श्री शाहनवाज़ खां : हमें आशा है कि यह शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगा। परन्तु कोई निश्चित तिथि बताना कठिन है ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्योंकि यह लाइन १११ मील लम्बी है, क्या सरकार इसे योजना काल में ही पूरा कर सकेगी ?

†श्री शाहनवाज़ खां : हम यथा संभव प्रयत्न करेंगे, परन्तु यह सामान की उपलब्धि पर ही निर्भर करता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे जोन (राजस्थान तथा सौराष्ट्र)

†*९४९. श्री ज० रा० मेहता : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कार्यकुशलता और मितव्ययता की दृष्टि से राजस्थान और सौराष्ट्र की मीटर लाइनों को एक ही जोन म मिला देने के औचित्य पर विचार किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में अब विचार करेगी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). राजस्थान और भूतपूर्व सौराष्ट्र राज्यों की उत्तर रेलवे और पश्चिम रेलवे की मीटर लाइनों को मिला कर एक अलग रेलवे जोन बना देना आवश्यक नहीं समझा गया है, परन्तु दोनों रेलों की मीटर लाइनों के किसी अधिक युक्ति संगत एकीकरण के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

†श्री ज० रा० मेहता : क्या उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त जिसकी कि विशेष भौगोलिक स्थिति है, क्या किसी अन्य राज्य में भी दो मीटर लाइन व्यवस्थाएं एक ही साथ दो विभिन्न प्रशासनों के अधीन चल रही हैं ?

†श्री शाहनवाज़ खां : जैसा कि माननीय मंत्री ने उस दिन स्पष्टतया समझा दिया था, हमारा उद्देश्य तो राज्यों की सीमाओं को ध्यान में न रखते हुए सम्पूर्ण देश की सेवा करना है । यह तो केवल संयोग की बात है कि दो विभिन्न प्रशासनों की दो मीटर लाइनें एक ही राज्य में आ गई हैं ?

†श्री कासलीवाल : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कांडला का पत्तन सौराष्ट्र और राजस्थान के आयात और निर्यात का मुख्य केन्द्र बनने वाला है, सरकार राजस्थान और सौराष्ट्र में परिवहन को सुगम बनाने के लिये क्या क्या कार्यवाही कर रही है ?

†श्री शाहनवाज़ खां : माननीय सदस्य इसके लिये एक पृथक प्रश्न पूछने की कृपा करें ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मीटर लाइनों के एकीकरण के सम्बन्ध में इस समय किस प्रकार की प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है, और क्या कांडला के विकास से उत्पन्न होने वाली स्थिति के कारण ही ऐसा विचार करने की आवश्यकता अनुभव की गयी है ?

†श्री शाहनवाज़ खां : मुझे खेद है कि मैं आपको नहीं बता सकता कि किस प्रकार के पुनर्गठन पर विचार किया जा रहा है । विचार कर लेने के बाद ही हम आपको बता सकेंगे । विचाराधीन योजनाओं के बारे में पहले ही बता देने की रीति नहीं है । हम यातायात के बदलते हुए रूपों को ध्यान में रख कर ही इन सभी बातों पर विचार करते हैं । यातायात के परिवर्तन के साथ ही हमें अपनी योजनाएं भी बदलनी पड़ती हैं ।

†श्री त्रि० ना० सिंह : क्या रेलवे यह समझती है कि केवल मीटर लाइनों का ही एकीकरण करना महंगा और असंतुलित रहेगा और बड़ी लाइन और मीटर लाइन का एकीकरण ही अधिक मितव्ययी एकक सिद्ध होगा ?

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम): यह तो अपने अपने मत की बात है । परन्तु मैं यह नहीं कहता कि केवल मीटर लाइनों का एकीकरण लाभप्रद नहीं होगा । हो सकता है कि वैसा हो; परन्तु यह तो उस क्षेत्र के यातायात पर निर्भर करता है । माननीय सदस्य का यह सुझाव विचाराधीन है, परन्तु मैं उनके इस विचार से सहमत नहीं हूं कि केवल बड़ी लाइन और छोटी लाइन का एकीकरण ही लाभ प्रद सिद्ध हो सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त्रि० ना० सिंह : क्या यह सच है कि मीटर लाइन पर से ले जाया गया सामान, डिब्बों की धारिता.....

†अध्यक्ष महोदय : क्या हम इस पर इसी समय विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं ? माननीय सदस्य केवल जानकारी और अपने सुझाव दे रहे हैं । वे कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

†श्री त्रि० ना० सिंह : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या स्वयम् रेलवे बोर्ड ने पहले ही अपना यह मत प्रकट कर दिया था कि केवल मीटर लाइनों का लाभप्रद एकक नहीं बनाया जा सकता ?

†श्री जगजीवन राम : मैंने पहले ही यह बता दिया है कि मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ कि एक मीटर लाइन व्यवस्था कभी भी लाभप्रद एकक नहीं बन सकती । यह सब उस यातायात पर निर्भर करता है जिसे हम अमुक सैक्शन में विकसित करते हैं ।

तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये सुविधा समिति

*९५१. श्री भक्त दर्शन : क्या रेलवे मंत्री १६ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये सुविधा समिति ने सरकार को इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) कमेटी की रिपोर्ट का अभी इन्तजार है।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

†कुछ माननीय सदस्य : अंग्रेजी में भी ।

†अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों को हिन्दी सीखने आ भी प्रयत्न करना चाहिये।

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : वह तो हम कर रहे हैं, परन्तु अभी हम कामयाब नहीं हुए हैं ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री भक्त दर्शन : २८ मई को माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि रिपोर्ट तैयार है और कुछ खास बातों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि फिर इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है ?

श्री शाहनवाज़ खां : वह जो जानकारी प्राप्त कर रहे थे वह मुकम्मल नहीं हुई है।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समिति की स्थापना हुए कितने दिन हो गये और देर से देर कब तक इसकी रिपोर्ट मिलने की आशा की जा सकती है ?

श्री शाहनवाज़ खां : इसमें थोड़ी देर हो गयी है। इस कमेटी को बने करीबन एक साल से कुछ दिन ज्यादा हुए। लेकिन शुरू-शुरू में जो कमेटी के मेम्बर्स थे उनको किसी जरूरी दूसरे काम पर जाना पड़ा, इसलिए वे ज्यादा तवज्जह नहीं दे सके। अब वे पूरी तवज्जह के साथ इस मामले पर गौर कर रहे हैं और चन्द महीनों में वह रिपोर्ट आ जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के कटड़ों में सुविधाओं की व्यवस्था

†*९५२. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक दिल्ली के कितने कटड़ा स्वामियों को नोटिस दिये जा चुके हैं कि वे कटड़ों में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करें, और उसका क्या परिणाम निकला हैं ;

(ख) किस तिथि तक सभी कटड़ों में आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो जाने की योजना है; और

(ग) १९५६–५७ और १९५७–५८ के लिये आयव्ययक में कितनी व्यवस्था की गयी है और अभी तक कितना खर्च किया जा चुका है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) गन्दी बस्ती (सुधार और सफाई) अधिनियम, १९५६ के अधीन २९ गैर–सरकारी कटड़ा स्वामियों को आवश्यक सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में नोटिस दिये गये हैं। अभी तक किसी ने भी सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं है।

(ख) लगभग ३ वर्ष ।

(ग) गन्दी बस्तियों के लिये १९५६–५७ में कोई भी आयव्ययक व्यवस्था नहीं की गयी थी तो भी उस वर्ष में दिल्ली सुधार न्यास, दिल्ली नगरपालिका और भारत सेवक समाज द्वारा १६७ गन्दे कटड़ों में मूल सुविधायें प्रदान की गयी थी जिन पर कुल ७ लाख रुपये का खच आया था । दिल्ली की अन्तरिम सामान्य योजना की कार्यान्वित के लिये, जिसमें गन्दी बस्तियों का साफ करना और सुधारना भी सम्मिलित ह, १९५७–५८ के लिये एक लाख रुपये को प्रतीकात्मक व्यवस्था की गयी थी ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस प्रकार के अन्य कटड़ों को भी ऐसे नोटिस क्यों नहीं दिये गये हैं, जब कि प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया है और वे स्वयं यह चाहते हैं कि इस मामले को सामरिक महत्व प्रदान किया जाये ?

†श्री करमरकर : हम इसके लिये कुछ और धन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच नहीं है कि वास्तव में आशा तो यही की जाती है कि कटड़ों पर वहाँ के स्वामी स्वयं ही खर्च करें। यदि वे ऐसा न करें तब पहले तो सरकार स्वयं वह खर्चा करे और फिर बाद में स्वामियों से वह धन वसूल कर ले ।

†श्री करमरकर : हमने बहुत से कटड़ा स्वामियों को नोटिस दिये हैं । बहुत से स्वामियों ने सुधार करने से इनकार कर दिया हे, और ऐसी स्थिति में यदि हम एकदम सहायता के लिये आगे बढ़ें, तो उससे किसी को भी लाभ न होगा । इसलिये, हम इसके लिये पर्याप्त धन इकट्ठा करने के बाद ही इस कार्य को तीव्र गति से कार्यान्वित करने का विचार रखते हैं।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि सरकार की योजना क्या है ? क्या सरकार की योजना यह नहीं है कि कटड़ों के स्वामी स्वयं अपने खर्च पर सुधार करें, और यदि वे ऐसा न करें तो तब सरकार उस कार्य को कर ले और फिर उनसे धन की वसूली करे ? मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ऐसा करने में सरकार के मार्ग में क्या बाधा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री करमरकर: क्या माननीय सदस्य का तात्पर्य नोटिस जारी करने से है? उसका उत्तर तो मैंने अभी-अभी दे दिया है।

†अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य एक ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका उत्तर दिया जा चुका है। माननीय मंत्री यह अनुभव करते हैं कि केवल नोटिस देने से ही कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने कुछ नोटिस तो दे दिये हैं; परन्तु स्वामियों ने सफाई का काम नहीं कराया है। अब तो यही चारा है कि सरकार स्वयं इस काम को संभाले। परन्तु धनाभाव के कारण यह भी सम्भव नहीं है। केवल धमकी से कुछ लाभ न होगा। मैं तो इसका यही उत्तर समझा हूँ।

†श्री करमरकर: मैं आपका अत्यधिक कृतज्ञ हूँ।

†श्री याज्ञिक: क्या उन लोगों से दण्ड के रूप में धन की वसूली करने के लिये कोई कठोर कार्यवाही नहीं की जा सकती, यही एक तरीका है।

†अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि स्थिति यह है कि यदि स्वामी वैसा न करेंगे तो उस समय सरकार उस योजना को कार्यान्वित करेगी और फिर कठोरतापूर्वक उस धन की उन लोगों से वसूली करेगी। परन्तु जब तक योजना कार्यान्वित नहीं कर ली जाती, तब तक इस प्रकार की कोई भी कठोर कार्यवाही नहीं की जा सकती। वास्तविक स्थिति मुझे तो यही प्रतीत होती है। मैंने तो यही समझा है।

ग्रामीण प्रशिक्षण दल[1]

+

†*९५३. श्री राम शंकर लाल:
श्री श्रीनारायण दास:
डा० राम सुभग सिंह:

क्या सामुदायिक विकास मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के प्रत्येक गांव में ग्राम उन्नति कार्य में प्रशिक्षित ग्रामीणों का एक दल संघटित करने वाली योजना का व्यौरा बताया गया हो?

†सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे): सामुदायिक विकास मंत्रालय का पत्र संख्या ४(१०)/५७-टीजी दिनांक २६ जुलाई, १९५७ और उसमें निर्दिष्ट कागज लोक सभा पटल पर रखे जाते हैं। [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एस-२०५/५७] इसमें व्योरे वार योजना का प्रारूप निहित है यह योजना राज्य सरकारों को उनको टिप्पणियों के लिये भेजी गयी है। यह एक दृष्टिकोण है जिसमें प्रगतिशील देहाती लोगों द्वारा सामुदायिक विकास कार्य-क्रम में बुद्धि संगत भाग लेना विहित है।

†श्री राम शंकर लाल: ये प्रशिक्षण कैम्प कब खोले जायेंगे?

†श्री सु० कु० डे: प्रारम्भिक प्रबन्ध किये जा रहे हैं। प्रयोगात्मक कैम्प भी लगाये जा रहे हैं। औपचारिक ढंग से २ अक्तूबर १९५७ से ये कैम्प प्रारम्भ होंगे। देश के १८०० खण्डों में से प्रत्येक में एक एक कैम्प लगेगा।

†श्री राम शंकर लाल: शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र कब से प्रारम्भ किये जा रहे हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Villagers Training Corps

†**श्री सु० कु० डे :** इनमें से एक कैम्प आन्ध्र प्रदेश के करनूल में और दूसरा बिहार राज्य के राजगिरी नामक स्थान पर खोला जायेगा। ये कैम्प इसी मास के अन्त में लगेंगे ; योजनायें तैयार की जा रही हैं।

†**श्री हेडा :** क्योंकि यह प्रशिक्षण बहुत कम समय के लिये, अर्थात् लगभग एक सप्ताह के लिये होगा, क्या सरकार यह समझती है कि इन कैम्पों में गांव के नेताओं को दिया गया प्रशिक्षण इतना पर्याप्त होगा कि वे भविष्य में स्वेच्छा कार्य कर सकेंगे ?

†**श्री सु० कु० डे :** हम जानते हैं कि ये कैम्प हमारे वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति के लिये पर्याप्त नहीं है। परन्तु फिर भी बहुत थोड़े से धन से इतने अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हमें यही व्यवस्था करनी पड़ी। आशा है कि प्रगतिशील किसान वहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद अपने ग्रामों में जाकर अन्य देहातियों को प्रशिक्षण दे सकेंगे।

†**डा० राम सुभग सिंह :** माननीय मंत्री ने यह कहा है कि इस वर्ष के अक्तूबर तक लभग १८०० कैम्प खोले जा रहे हैं। इतने प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध हैं ? उन्होंने बताया है कि प्रशिक्षित किये गये प्रगतिशील किसानों से यह कहा जायेगा कि वे अपने अपने गांव में जाकर ग्राम-उन्नति कार्य में अन्य देहातियों को प्रशिक्षण देंगे। क्या उससे वह उद्देश्य पूरा हो जायेगा जिसके लिये वे कैम्प स्थापित किये जा रहे हैं ?

†**श्री सु० कु० डे :** खण्डों के कर्मचारी, विशेषकर कृषि विस्तार पदाधिकारी, पशु पालन विस्तार पदाधिकारी, समाज शिक्षा संयोजक, और खण्ड विकास पदाधिकारी जिन्हें इन विषयों का ज्ञान होगा, इन कैम्पों में भाग लेंगे। जिला हैड क्वार्टर्स और राज्यों के हैड क्वार्टर्स से भी इस कार्य में सहायता मिलेगी।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** प्रगतिशील किसानों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जायेगा और उनके अल्पकालीन प्रशिक्षण के लिये पाठ्यक्रम में कौन कौन से विशेष विषय रखे जायेंगे ?

†**श्री सु० कु० डे :** हमारा विचार यह है कि प्रारम्भ में तो इन कैम्पों में कृषि, पशुपालन तथा ग्राम्य क्षेत्रों में कृषि से सम्बद्ध छोटी सिंचाई के कार्यों में प्रशिक्षण दिया जाये।

आन्ध्र में भूमिहीन कृषि-मजदूर

†***९५४. श्री ब० स० मूर्ति :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र सरकार द्वारा १९५७–५८ में भूमिहीन मजदूरों को बसाने के सम्बन्ध में कोई योजना भेजी गयी है ;

(ख) इस सम्बन्ध में अनुदानों और ऋणों के रूप में कितनी राशि मांगी गयी है; और

(ग) कितने परिवारों को बसाया जायेगा ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० स० मूर्ति** : इन कृषि मजदूरों के सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी, क्योंकि काम उत्पादन के दिनों में बिना किसी काम के उनका समय व्यर्थ में नष्ट होता रहता है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इन भूमिहीन कृषि मजदूरों के पुनर्वास के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना में हमने ३.६ करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं। आन्ध्र सरकार ने पिछले वर्ष कुछ रुपया लिया था। इस वर्ष उन्होंने कोई योजना नहीं भेजी, हम उन्हें इसके लिये याद दिला रहे हैं। हम उन्हें तीन बार पत्र लिख चुके हैं; और चौथी बार मैं स्वयं सत्र के बाद वहां की योजनाओं को देखने के लिये जाऊंगा।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : आन्ध्र सरकार इस प्रकार के कार्य के विरुद्ध क्यों है ? हाल ही में जब वे हैदराबाद गये थे, तो क्या वहाँ के माननीय मंत्री से मंत्री जी या उपमंत्री जी की इस बारे में बात चीत हुई थी ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : उनकी कुछ योजनायें हैं, और उनके लिये उन्होंने गत वर्ष कुछ रुपया लिया था। वे इस समय तीन योजनायें चला रहे हैं। संभवतः वे पहले उन्हें समाप्त करके फिर बाद में अन्य योजनाएं भेजना चाहते हैं।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या सरकार ने किसी भी राज्य के ऐसे भूमिहीन मजदूरों की जन गणना की है ? और क्या सरकार दण्डकारण्य योजना के समान इन भूमिहीन मजदूरों को, जहाँ कहीं भी भूमि उपलब्ध हो वहाँ बसाने के लिये, कोई योजना प्रारम्भ करने का कोई विचार रखती है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : अन्तिम जनगणना के अनुसार सारे भारत में भूमिहीन मजदूरों के १७० लाख परिवार हैं। सरकार ने, इन भूमिहीन मजदूरों को बसाने के लिये निश्चित योजनाएं बनायी हुई हैं।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र को योजनाएं भेजने में संकोच करने से क्या यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि उनसे यह कहा जाता है कि वे भी अनुकूल धन लगायें परन्तु उनके पास इतना धन होता नहीं कि वे अनुकूल अनुदान दे सकें ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : यह सच है कि कुछ राज्यों के लिये अनुकूल अनुदान देना कठिन होता है। यह वास्तव में एक त्रुटि है और हम उनकी वित्तीय अवस्था को देखते हुए उन्हें भी यथासंभव सहायता देना चाहते हैं। आन्ध्र सरकार ही केवल मात्र एक सरकार है जो कि राज्य के छोटे सिंचाई कार्यों के लिये हमारे द्वारा किये गये अनुदानों का पूरा पूरा उपयोग कर सकी है। अन्य सरकारें हमारे द्वारा दिये गये अनुदानों का पूरा पूरा उपयोग नहीं कर सकी हैं ?

†**श्री रंगा** : क्या इन भूमिहीन व्यक्तियों को तुंगभद्र परियोजना के अधीन तुंगभद्र बेसिन में पड़ी हुई बहुत बड़ी सरकारी भूमि पर बसाने के लिये कुछ किया जा रहा है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इस समय आन्ध्र सरकार की तुंगभद्र के अधीन कोई योजना नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

नागार्जुन सागर बांध

†*९५६. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुन सागर बांध के दोनों किनारों पर दो अस्पताल बनाने के सम्बन्ध में कतनी प्रगति हुई है;

(ख) उनके कब तक पूरा हो जाने की आशा है;

(ग) क्या उपकरणों की कीमत का निश्चय कर लिया गया है और क्या उन्हें खरीद लिया गया है; और

(घ) उन अस्पतालों के कब तक खुल जाने की आशा है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (घ). लोक सभा पटल पर **एक विवरण** रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध सख्या ३१]**

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : विवरण में कुछ भ्रम सा प्रतीत होता है। उसमें लिखा है कि दायें किनारे के अस्पताल के निर्माण के लिये टेन्डर कुछ समय पहले मांगे गये थे, परन्तु अभी तक कोई टेन्डर प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु फिर भी यह कहा गया है कि अस्पताल १९५८ तक तैयार हो जायेगा। क्या सरकार का यह विचार है कि टेन्डरों के न आने पर वह यह कार्य—राज्य लोक निर्माण विभाग या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा ही करा लेगी।

†**श्री हाथी** : हमारा बिल्कुल यही विचार है।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : यह कहा गया है कि अस्पताल के उपकरणों की कीमत का निर्धारित कर ली गयी है। वह कीमत कितनी है ?

†**श्री हाथी** : ७६,००० रुपये।

बम्बई गोदी श्रमिक[2]

†*९५८. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बम्बई के गोदी श्रमिकों की जहाजों पर से सामान उतारने की क्षमता कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि यह प्राक्कलित क्षमता से बहुत कम है; और

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में सामान को शीघ्रता से उठाने के लिये स्वचालित उत्थापन[4] लगाने के प्रश्न पर विचार रखती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) माल उतारने की क्षमता केवल श्रमिकों पर ही निर्भर नहीं करती, अपितु कई अन्य बातों पर भी निर्भर करती है जैसे कि सामान की किस्म, सामान उठाने वाले उपकरणों की उपलब्धि, शेड में अधिक भीड़ भाड़ होने या न होने की स्थिति तथा मौसम की स्थिति आदि। इस वर्ष बम्बई पत्तन में प्रतिदिन औसतन १६,००० टन माल उतारा गया है। सबसे अधिक माल ३० अप्रैल, १९५७ को उतारा गया था और वह २५,००० टन था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[2]Bombay Dock Labour.
[3]Unloading Capacity.
[4]Automatic Elevator.

(ख) जी नहीं, 'पीस रेट' पद्धति के अनुसार वहाँ पर श्रमिक ठीक काम कर रहे हैं।

(ग) पत्तन में सामान उठाने के लिये स्वचालित उपकरण वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बिल्कुल पर्याप्त है। स्वचालित उत्थापक तो केवल अनाज आदि जैसे भारी बोझे को उठाने के लिये होते हैं। ऐसे दो उत्थापक पत्तन में लगे हुए हैं। मजदूरों ने उन्हें चालू करने का विरोध किया है।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : सरकार ने माहवारी आधार पर औसतन कुल कितना हरजाना[5] दिया है और अब तक कुल कितना भुगतान किया जा चुका है ?

†श्री राज बहादुर : हम ये आंकड़े एकत्र करने के लिये उत्सुक हैं। ये आंकड़े खाद्य इस्पात और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, राज्य व्यापार निगम आदि से एकत्र करने होंगे। इन आंकड़ों को प्राप्त करने के लिये हम अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन तक मैं इन्हें नहीं दे सकूंगा। एकत्र होने के बाद मैं इन्हें दे सकूंगा।

†श्री त्यागी : क्या यह सच है कि हरजाने की मात्रा २ लाख रुपये प्रतिदिन है।

†श्री राज बहादुर : इस समय तक हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से तो यह बात सच नहीं है। यह तो सचाई से बहुत दूर है।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : सबसे ताजे जो आंकड़े उपलब्ध हों, उनके आधार पर अब तक कितना सामान नहीं उतारा जा सका है और अभी जहाजों में ही पड़ा है ?

†श्री राज बहादुर : इस प्रश्न का संबंध तो श्रमिकों द्वारा किये गये कार्य से है लेकिन इस समय मैं अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर उसके बारे में आंकड़े बताने को तैयार हूँ। इस वर्ष एक अवधि विशेष में १९१ पोत यहां पहुँचे। हमारे पास इनमें से ६४ के बारे में आँकड़े हैं। अन्य मंत्रालयों से हमें आंकड़े नहीं मिल सके हैं ; हालांकि हम उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। इन ६४ के बारे में ७००० या ८००० रुपया हरजाने के रूप में देना पड़ा, लेकिन इसके विपरीत हमने जिन पोतों से माल उतारा है उन पर हमने शीघ्रता-पुरस्कार[6], अर्थात्, समय के भीतर सामान उतार लेने का पुरस्कार, कमाया है जो कहीं ज्यादा है। यदि पूरे तौर पर देखा जाय तो इन ६४ पोतों के बारे में कुछ बचत ही हुई है लेकिन इससे सम्पूर्ण स्थिति का पूरा पता नहीं लगता।

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : क्या सरकार ने किसी भी समय उदवभरक श्रमिकों[7] के प्रतिव्यक्ति कार्य-भार का वैज्ञानिक आधार पर मूल्यांकन किया है ?

†श्री राज बहादुर : जी हाँ। खण्ड-भाव प्रणाली से प्रतिपोत प्रतिव्यक्ति का टन-भार और समय-भाव प्रणाली[8] से प्रति पोत प्रतिव्यक्ति का टन-भार निकाल लिया गया है।

आयात किये हुए सामान के लिये आंकड़े हैं: ८ घंटे की दिन की पारी[9] के लिये ६ टन प्रतिदिन और रात की पारी के लिये ४ टन प्रति पारी। निर्यात किये जाने वाले माल के लिये आंकड़े हैं ६ टन प्रति दिन की पारी में और रात की पारी के लिये ४ टन प्रति पारी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[5]Demurrage.
[6]Despatch Money.
[7]Stevedore Labour.
[8]Piece-rate system.
[9]Shfit.

खण्ड भाव प्रणाली लागू होंने से पहले, अर्थात् समय–भाव के समय आंकड़े यह थे :

आयात—२.८ टन प्रति दिन दिन की प्रत्येक पारी के लिये

२.१ टन प्रतिदिन रात की प्रत्येक पारी के लिये

निर्यात—२ टन प्रतिदिन दिन की प्रत्येक पारी के लिये

१.५ टन प्रतिदिन रात की प्रत्येक पारी के लिये :

अन्य संगत आंकड़े देने से तो उत्तर बहुत ही लंबा हो जायेगा ।

†श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बम्बई पत्तन पर माल चढ़ाने–उतारने में देर होने के कारण सरकार को हरजाना देना पड़ता है....

†श्री त्यागी : अब तो उनको मुनाफा हो रहा है ।

†श्री राज बहादुर : मैं माननीय सदस्य; अपने सम्मानित सहयोगी श्री त्यागी के मन से यह धारणा निकाल दूं । मैंने यह नहीं कहा था कि मैंने पूरी स्थिति बता दी है । मैंने केवल इतना कहा है कि जिन माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था उन्होंने जानकारी चाही थी और केवल यही जानकारी प्राप्त हुई है । हमारी हार्दिक इच्छा है कि सब जानकारी प्राप्त कर उसे सभा के समक्ष रखा जा सके । मैंने यह कभी नहीं कहा कि पूरे तौर से देखने पर हमको मुनाफा हुआ है या नहीं ।

†श्री त्यागी : मंत्री महोदय यह पहले ही बता चुके हैं कि विभिन्न मंत्रालयों से उन्हें सभी जानकारी नहीं मिली है । फिर वह यह कैसे कह सकते हैं कि पूरे तौर से देखने पर मुनाफा हुआ है या हानि ?

यह तो सभी को पता है कि विदेशी कम्पनियों को हरजाने के रूप में जो राशि दी जा रही है वह १ लाख या २ लाख रुपये प्रतिदिन से भी कहीं ज्यादा है ।

†अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में इतनी गर्मा–गर्मी दिखाने से क्या फायदा । माननीय मंत्री ने—और वे केवल सदस्य ही नहीं मंत्री भी हैं —कहा है कि अब तक उन्हें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें से एक के अनुसार तो लाभ हो रहा है और दूसरी के अनुसार निस्संदेह ही ७००० रुपयों की हानि भी हो रही है ।

†श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मंत्री महोदय ने अभी ही यह स्वीकार किया है देर से माल लादने उतारने के कारण हरजाना दिया जाता है, क्या सरकार मशीनों से माल –लादने उतारने वाला ५० टन की क्षमता वाला संयंत्र लगाने वाली है, जैसा कलकत्ता पत्तन में लगाया गया है ?

†श्री राज बहादुर : माल लादने–उतारने में देर होने के कारण हरजाना इसलिये देना पड़ता है कि जितने पोतों का माल लादने उतारने की क्षमता पत्तन में है, उससे अधिक पोत आजाते हैं । लेकिन जैसा मैंने बताया है, माल उतारने की रफ्तार निश्चित रूप से बढ़ी है । जहाँ तक माल लादने–उतारने वाले यंत्र का संबंध है, मैं इसी समय यह नहीं बता सकता कि बम्बई पत्तन पर उसकी आवश्यकता है या नहीं ।

†श्री हेम बरुआ : लेकिन कलकत्ता पत्तन पर तो उन्होंने एक यंत्र लगाया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

सहायता के लिये ओमान का अनुरोध

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४.

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री महन्ती :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री नागी रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ओमान के अन्दरूनी मामलों में ब्रिटिश सैनिक हस्तक्षेप के विरुद्ध सहायता के लिये ओमान की जनता से या ओमान की जनता की ओर से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि ब्रिटिश बमवर्षक विमान ओमान की जनता पर बम वर्षा कर रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इसका विरोध करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) हमें अप्रत्यक्ष रूप से एक संदेश मिला है जिसके बारे में यह कहा गया है कि वह ओमान के इमाम के प्रतिनिधियों के पास से आया है ।

(ख) ओमान में जो फौजी कार्यवाही की गयी है, भारत सरकार उसे चिन्ता की दृष्टि से देखती है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से अपनी चिन्ता व्यक्त कर दी है और इस कार्यवाही के बारे में भारत की जनता की भावनाएं उन्हें बता दी हैं।

(ग) और (घ). समाचार पत्रों से मिली खबरों के अलावा ओमान की स्थिति के बारे में हमें कोई खबर नहीं है ।

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगले मंगलवार को यह विवाद सुरक्षा–परिषद के समक्ष पेश किये जाने को है, क्या सरकार ने इस संबंध में की जानेवाली कार्यवाही के बारे में कोई निश्चय किया है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : भारत सरकार को सुरक्षा परिषद् में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है ।

†श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ब्रिटेन इस मामले को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष नहीं लाने देगा, समुचित कार्यवाही के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य का तात्पर्य संभवतः सुरक्षा परिषद् से है; यह मामला सुरक्षा परिषद् के समक्ष आने को है। भारत सरकार सुरक्षा परिषद् में कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। केवल सुरक्षा परिषद के प्रेसीडेण्ट और सदस्य ही आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं—जहां तक मुझे पता है—मैं अखबारों में दी गयी जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ—इस विषय को सुरक्षा परिषद की कार्यावलि में रख लिया गया है।

†श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अफ्रीकी–एशियाई गुट के सदस्य–राष्ट्रों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये कोई कार्यवाही कर रहे हैं ताकि हम इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ में एक साथ मिल कर कार्यवाही कर सकें ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जीं नहीं; हमने ऐसी कोई कार्यावाही नहीं की है। जहाँ तक मुझे पता है—मैं फिर समाचार पत्रों के आधार पर कह रहा हूँ—अरब लीग के सदस्यों ने कुछ कार्यवाही की है लेकिन यह सुरक्षा–परिषद् के संबंध में नहीं है। मुझे केवल इतना ही पता है। अरब लीग के किसी भी सदस्य ने इस प्रश्न पर हमसे कुछ भी अनुरोध नहीं किया है।

†श्री जोकीम आल्वा : उत्तरी अफ्रीका में जहां कहीं भी अरबों का आधिपत्य है उनकी सभी न्याय–संगत और उचित मांगों के साथ सहानुभूति रखना क्या भारत सरकार की घोषित नीति नहीं है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य का भूगोल–ज्ञान काफी अच्छा नहीं मालूम पड़ता। इस प्रश्न का उत्तर केवल 'हां' ही हो सकता है। लेकिन क्या मैं इतनी बात कह सकता हूँ मैंने कहा है कि वहां की गयी फौजी कार्यवाही पर हमने अपनी चिन्ता व्यक्त कर दी है। लेकिन, मस्कट और ओमान के बारे में वहां की कानूनी और वैधानिक स्थिति काफी जटिल है और मैं नहीं समझता कि मैं ठीक–ठीक उसके बारे में बता सकता हूँ हालाँकि मैंने उसके बारे में कुछ पुराने कागजात पढ़ कर देखे हैं।

†श्री ही० ना० मुकर्जी : मस्कट और ओमान के क्षेत्र में हमारा कोई वाणिज्यिक अथवा अन्य प्रतिनिधि है या नहीं और यदि है, तो क्या सीधे उसके पास से हमें कोई सूचना मिली है कि वहां क्या हो रहा है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं। ओमान में हमारा कोई भी आदमी नहीं है। इस समय मुझे यह भी स्पष्ट रूप से मालूम नहीं कि मस्कट में भी हमारा कोई आदमी है या नहीं। लेकिन वहां से भी हमें कोई सूचना नहीं मिली है।

†श्री हेम बरुआ : क्या लन्दन से हमारे उच्चायुक्त के कार्यालय से, या अरब लीग से या काहिरा स्थित हमारे राजदूत से कोई सूचना मिली है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री कह चुके हैं कि उन्हें जो भी जानकारी है वह समाचार पत्रों से मिली है। क्या हम यह पूछते ही रहें कि क्या उन्हें काहिरा अमरीका अथवा कनाडा से कोई सूचना मिली है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेलवे के गोदामों में अनाज

†*९३६. पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भागलपुर (बिहार) के कुछ व्यापारियों ने भागलपुर स्टेशन के रेलवे–गोदाम से बड़ी मात्रा में अनाज न उठाकर भागलपुर के बाजारों में अनाज की कमी की स्थिति पैदा कर दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रवृत्ति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अन्तर्देशीय मीन-क्षेत्र गवेषणा[10]

†*९३९. श्री स० चं० सामन्त :
श्री संगण्णा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ते की केन्द्रीय अन्तर्देशीय मीन–क्षेत्र गवेषणा संस्था गंगा और महानदी के नदी–क्षेत्रों[11] की मछलियों और मीन–क्षेत्रों के संबंध में कार्य करती है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या गंगा नदी के मुहाने के क्षेत्रों के तालाबों, झीलों और जलाशयों की खाने योग्य मछलियों के संबंध में गवेषणा की ओर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है ;

(ग) क्या निकट भविष्य में इस मामले के लिये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या जल के कलुषित होने और मछलियों पर इसके प्रभाव संबंधी समस्याओं का भी अध्ययन किया जायेगा ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) जल के कलुषित होने संबंधी समस्याओं का अध्ययन शुरू भी किया जा चुका है।

मध्य भारत नदी आयोग (बाढ़)[12]

†*९४२. श्री संगण्णा : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बम्बई में बाढ़ से बचाव की योजनाओं पर चर्चा करने के लिये मध्यभारत नदी आयोग (बाढ़) की बैठक २४ जुलाई, १९५७ को मैसूर में हुई थी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[10]International Fishery Research.
[11]Basins.
[12]Central India Rivers Commission (Floods).

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनमें उड़ीसा की महानदी नदी–प्रणाली पर भी विचार किया गया था ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हाँ। इस बैठक में बाढ़–नियंत्रण योजनाओं के कार्यान्वय में संबंधित राज्यों में हुई प्रगति की समीक्षा की गयी और १९५७–५८ के काम के दिनों के लिये कार्य–क्रम पर भी विचार किया गया।

(ख) जी हाँ। आयोग ने महानदी नदी–क्षेत्र में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं की प्रगति को देखा।

बरहामपुर और हैदराबाद के बीच एक्सप्रेस गाड़ी

†*९४८. श्री राजगोपाल राव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र सरकार ने मंत्रालय से बरहामपुर और हैदराबाद के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह मामला इस समय किस स्थिति में है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हाँ।

(ख) लाइन–क्षमता की कमी के कारण काजीपेट–विजयानगरम् सेक्शन पर एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना संभव नहीं है। लेकिन, १०१ अप और १०२ डाउन हैदराबाद विजगापट्टम सवारी गाड़ियों के कुछ विराम–स्टेशनों को कम करके और इन गाड़ियों की गति कुछ बढ़ा करके इस मांग को आंशिक रूप से पूरा किया जा सकता है। इन गाड़ियों का संबंध वाल्टेयर-पुरी सेक्शन की मद्रास–पुरी सवारी गाड़ियों को रद कर पुरी से जोड़ देने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है। जब इन पर विचार पूरा हो जायेगा तब इसे क्रियान्वित करने से पूर्व दक्षिण और दक्षिण पूर्व रेलवे के मैनेजर विराम–स्टेशनों को कम करने आदि के संबंध में जनता की प्रतिक्रिया का पता लगाने के लिये इन प्रस्थापनाओं पर राज्य–सरकार और प्रादेशिक समय–सारणी समिति के सदस्यों के साथ चर्चा कर लेंगे।

राजस्थान की सड़कें

*९५०. श्री ह० चं० शर्मा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहली योजना की अवधि में केन्द्रीय सड़क निधि में से कितनी धनराशि राजस्थान सरकार को दी गई और कुल कितने मील सड़क बनाई गई ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : पहली पंच वर्षीय योजना काल के अन्तर्गत, केन्द्रीय सड़क निधि में से राजस्थान राज्य सरकार को १४१.५७ लाख रुपये की पूंजी मंजूर की गई थी। राज्य सरकार ने इसमें से ११०.९० लाख रुपये ६१९ मील लम्बी सड़कों के निर्माण पर खर्च किये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था[13]

†*९५५. **डा० अचमम्बा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के लिये जिन भवनों की आवश्यकता थी उनके नक्शे विदेशी वास्तु-शास्त्रियों[14] न बनाये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्य के लिये कितना रुपया दिया गया है; और

(ग) क्या यह सच है कि इन भवनों का निर्माण-कार्य विदेशी ठेकेदारों के सुपुर्द किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हाँ। अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के मुख्य भवनों के नक्शे भारत में काम करने वाली विदेशी वास्तु-शास्त्रियों की एक फर्म ने बनाये हैं। संस्था के रिहायशी भवनों के नक्शे स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ वास्तु-शास्त्री और केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग ने बनाये हैं।

(ख) ५,५०,६९६ रुपये।

(ग) भवनों का निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। किसी विदेशी ठेकेदार को नहीं रखा गया है।

राज्यों को खाद्य-सम्बन्धी राज-सहायता

†*९५७. **{श्री श्रीनारायण दास :**
श्री पाणिग्रही :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का पूरा हिसाब लगाया गया है कि विभिन्न राज्यों को कितने अनाज की आवश्यकता है, उनके यहाँ कमी कितनी है और खाद्य-संबंधी राज-सहायता के रूप में उन्हें कितनी वित्तीय सहायता दी जानी है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उसका विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). राज्यों की आवश्यकताओं का हिसाब समय-समय पर लगाया जाता है और स्टाक की स्थिति का ध्यान रखते हुए उन्हें संभरण करने के बारे में निश्चय किया जाता है। लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह दिखाया गया है कि जनवरी से लेकर जुलाई तक के ७ महीनों में प्रत्येक राज्य को वास्तव में कुल कितने-कितने गेहूँ और चावल का संभरण किया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३२]**

क्योंकि राज-सहायता प्राप्त दरों पर अनाज की बिक्री से होने वाली हानि का वहन सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, इसलिये किसी राज्य को खाद्य संबंधी राज-सहायता के रूप में वित्तीय सहायता देने का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[13] All India Institute of Medical Sciences.
[14] Architects.

दिल्ली में तापीय बिजली संयंत्र[15]

†*९५९. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री राधा रमण :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में एक तापीय बिजली संयंत्र की स्थापना करने वाली है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संयंत्र की स्थापना में कितना व्यय होगा; और

(ग) निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) दिल्ली राज्य विद्युत बोर्ड दिल्ली में एक तापीय बिजली संयंत्र की स्थापना करने वाला है। केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकार ने इस योजना का अनुमोदन कर दिया है।

(ख) ४.१ करोड़ रुपये।

(ग) राजघाट के बिजली घर में ६,००० किलोवाट की क्षमता वाले पहले डीजल-चालित जनित्र-सेट के लगाने का काम सितम्बर, १९५७ के पहले सप्ताह में आरम्भ होगा।

चिलका झील

†*९६०. श्री संगण्णा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री उड़ीसा राज्य में पर्यटन से संबंधित २७ अप्रैल, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १७८७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंजम जिले की चिलका झील को विकसित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ख) इस योजना के कब तक पूरे हो जाने की आशा है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) चिलका झील पर एक विश्राम-गृह, संतरण और नौचालन आदि की सुविधाओं का प्रबंध करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३ लाख रुपयों का उपबंध कर दिया गया है।

(ख) यह योजना राज्य की योजना का ही एक अंग है और इसके लिये वित्त की व्यवस्था अंशत: राज्य-सरकार द्वारा और अंशत: केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। राज्य-सरकार ने बताया है कि आवश्यक नक्शे और प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं और आशा है कि यह योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अंत तक पूरी हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[15]Thermal Power Plant.

तिलय्या बांध

†*९६१. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिलय्या बांध के संबंध में भूमि प्राप्त करने और लोगों को फिर से बसाने में कितना धन व्यय किया गया है; और

(ख) कुल कितने परिवारों को फिर से बसाया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** (क)

(१) भूमि प्राप्त करने पर .. ४३,७४,८६० रुपये ।

(२) फिर से बसाने पर ३९,५२,२२२ रुपये ।

(ख) जो २६९१ परिवार विस्थापित हो गये थे उन सभी को फिर से बसा दिया गया है ।

दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रेस

†*९६२. **श्री बलराम कृष्णय्या :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली से मद्रास जाने वाली जनता एक्सप्रेसों में भोजन-यान[16] लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है क्योंकि लम्बी यात्रा करने वाले यात्रियों के हित को दृष्टि से इनका लगना अनिवार्य है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** दिल्ली और मद्रास के बीच चलने वाली जनता एक्सप्रेस गाड़ियों में इस समय भोजन-यान सेवा सप्ताह में दो दिन उपलब्ध है और इस सेवा को अन्य दिनों के लिये बढ़ाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

राप्ती नदी का जलाशय

*९६३. **श्री राम शंकर लाल :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने राप्ती नदी पर एक जलाशय बनाने के सम्बन्ध में भारत सरकार को कोई बहुप्रयोजनीय योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना से कितनी बिजली पैदा की जायेगी और प्रत्येक जिले में कितने एकड़ जमीन की सिंचाई की जायेगी;

(ग) क्या इस योजना से नौपरिवहन भी सम्भव होगा; और

(घ) इस योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) उत्तर प्रदेश से कोई विस्तृत योजना नहीं आई है। केन्द्रीय जल तथा विद्युत कमीशन में मुख्य इन्जीनियर, उत्तर प्रदेश से केवल एक प्रारंभिक रिपोर्ट आई है।

(ख) और (ग). योजना बनाते समय ही ये विस्तृत विवरण पूरी तरह से तैयार किये जाएंगे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[16]Restaurant Car.

"एस० एस० एडीसन मैरिनर" का प्रग्रहण[१७]

†*९६५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि यूगोस्लाव पोत "एस० एस० एडीसन मैरीनर" का कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश से प्रग्रहण कर लिया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : जी हां, लेकिन बताया जाता है कि "एस० एस० एडीसन मैरिनर" एक अमरीकी पोत है, यूगोस्लाव नहीं।

उड़ीसा का डाक तथा तार निदेशालय

†*९६६. **श्री संगण्णा** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री उड़ीसा के डाक तथा तार निदेशालय की पद-प्रतिष्ठा बढ़ाने से संबंधित २ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १८७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में प्राप्त कोई अभ्यावेदन सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). २५-८-१९५६ के प्रश्न संख्या १४३९ की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह बताया जा चुका है कि उड़ीसा मण्डल की पद-प्रतिष्ठा बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण

†*९६७. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा नियोजित प्रविधिक तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ख) निगम द्वारा अपेक्षित कर्मचारियों को भर्ती करने का तरीका क्या है?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क)

प्रविधिक	४७
अन्य	७४
कुल	१२१

(ख) राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर अनुभवी कर्मचारियों को नियुक्त करके और समाचार पत्रों में खुला विज्ञापन दे कर या काम दिलाऊ दफ्तर के द्वारा भर्ती की जाती है। वेतन श्रेणी के आधार पर नियमित कर्मचारियों को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग के लिये निदेशकों के बोर्ड द्वारा स्थापित की गई समिति चुनाव करती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

१७Arrest.

रेल दुर्घटना

†६८२. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० गं० देव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ८ जुलाई, १९५७ को दक्षिण-पूर्व रेलवे के कटनी–बिलासपुर सैक्शन में घुंघुटी और बीरसिंहपुर स्टेशनों के बीच दो मालगाड़ियों के इंजनों में टक्कर हो गयी जिसके फलस्वरूप कुछ व्यक्ति हताहत हुए; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या ब्यौरा है और उसके क्या कारण थे?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). ८–७–१९५७ को लगभग ९ बजे सुबह, जब नं० ५१७ एच० एस० डाउन लाइट इंजन, दक्षिण पूर्व रेलवे के कटनी-बिलासपुर (इकहरी बड़ी लाइन) सेक्शन पर बीरसिंहपुर और घुंघुटी स्टेशनों के बीच जा रहा था, तो वह सामने से आते हुए अप इंजन नं० ६५७ एच० एस० (जिसमें एक ब्रेक-वान जुड़ा था) से टकरा गया। टक्कर लगने से अप इंजन के टेण्डर पहिये पटरी से उतर गये।

दो आदमियों को गहरी और दस को हल्की चोट आयीं। ये सभी रेल-कर्मचारी थे। जिन दो आदमियों को गहरी चोट आयी थी, उनमें से एक ११–७–१९५७ को अस्पताल में मर गया।

सीनियर वेतन-मान अफसरों की एक कमेटी ने इस दुर्घटना की जांच की है, लेकिन अभी कमेटी की रिपोर्ट अन्तिम रूप से तैयार नहीं है, क्योंकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

वारंगल में जल सम्भरण योजना

†६८३. **श्री मधुसूदन राव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र सरकार ने वारंगल में समस्त जल सम्भरण योजना को नए सिरे से नई शक्ल देने के लिए ५६ लाख रुपये दिए जाने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६

†६८४. **श्री प्र० गं० देव** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ के निर्माण के लिए उड़ीसा में सम्बलपुर जिले के जिन व्यक्तियों की जमीनें अर्जित की गई थी क्या उन्हें उनकी जमीनों के लिए स्वीकृत रकम दे दी गई है और उन्हें फिर से बसाने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ के लिये जिन व्यक्तियों की ज़मीनें अर्जित की गई थीं उन व्यक्तियों से उन्हें ज़मीनों के लिए १९५० से सरकार द्वारा सामान्य भू राजस्व प्राप्त किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख). १,५०,५११ रुपये के प्राक्कलित प्रतिकर में से ९४,४९० रुपये की रकम दी जा चुकी है। शेष रकम की अदायगी न करने का कारण यह है—

(१) संबंधित पक्षों का हाज़िर न होना (३०,७९९ रुपये); और

(२) प्राक्कलनों का अननुमोदन (२५,२२२ रुपये)

किसी भी व्यक्ति को उसके घर से निकाला नहीं गया था और इस लिए फिर से बसाये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) तथा (घ). अपेक्षित जानकारी प्राप्त नहीं है। संबंधित राज्य सरकार से इसे एकत्रित किया जा रहा है और यथा समय इसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा।

आन्ध्र में राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक विकास खंड

†६८५. **श्री मं० वें० कृष्ण राव** : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आन्ध्र प्रदेश में जिला वार कितने राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक विकास खण्डों में कार्य हो रहा है; और

(ख) वहां १९५७–५८ में कितने खण्ड खोलने का प्रस्ताव है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३३]**

(ख) राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड . ६०

सामुदायिक विकास खण्ड . . . ९

(राष्ट्रीय विस्तार सेवा से परिवर्तन करके)

गांव में बिजली लगाना

६८६. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २० मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य में कितने गांवों में बिजली लगाने का विचार है?

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : प्रत्येक राज्य के गांवों की संख्या, जिनमें दूसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन बिजली लगाने का विचार है, नीचे दी गई है:—

क्रम संख्या	राज्य का नाम	गांवों की संख्या
(१)	आन्ध्र	८५०
(२)	असम	७१
(३)	बिहार	६००
(४)	बंबई	१२९
(५)	मध्य प्रदेश	५००
(६)	मद्रास	२,०००
(७)	उड़ीसा	२००
(८)	पंजाब	१,६००
(९)	उत्तर प्रदेश	१,५००
(१०)	पश्चिमी बंगाल	२८५
(११)	हैदराबाद	११७
(१२)	जम्मू और काश्मीर	३०
(१३)	मध्य भारत	४६
(१४)	मैसूर	६००
(१५)	पेप्सू	२९५
(१६)	राजस्थान	५८
(१७)	सौराष्ट्र	१५०
(१८)	त्रावनकोर-कोचीन	७००
(१९)	अजमेर	२५
(२०)	भोपाल	४४
(२१)	कुर्ग	४
(२२)	दिल्ली	४१
(२३)	हिमाचल प्रदेश	४०
(२४)	कच्छ	२९
(२५)	मणिपुर	५
(२६)	त्रिपुरा	४
(२७)	विन्धय प्रदेश	४०
(२८)	पांडिचेरी	६२
(२९)	अन्दमान	—
(३०)	उत्तर पूर्व सीमा एजेन्सी (नेफा)	४४
	कुल जोड़	१०,०५९

मदुरई को विमान सेवा

†६८७. श्री नारायणस्वामी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरई को विमान सेवा पुनः स्थापित करने के लिए सरकार कोई कार्यवाही कर है; और

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब प्रारम्भ की जायेगी?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) तथा (ख). कुछ दूरंगम मार्गों[१८] पर वाइकाउन्ट विमान चलाये जाने पर इंडियन एयर लाईन्स कारपोरेशन अपनी मार्ग प्रतिकृत का पुनर्विलोकन करेगा और उस समय मदुरई के लिए विमान सेवा के प्रश्न पर विचार किया किया जायेगा। मद्रास के मुख्य मंत्री से यह पूछा गया है कि क्या राज्य सरकार इस प्रकार के सम्पर्क की स्थापना में सहायता कर सकती है।

भूतपूर्व बीकानेर रेलवे क कर्मचारी

†६८८. श्री कर्णीसिंह जी : क्या रेलवे मंत्री भूतपूर्व बीकानेर रेलवे कर्मचारियों के संबंध में २८ मई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय किए जाने की आशा है?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अभी नहीं।

(ख) इस विषय पर अभी हाल ही में संघ ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। मामले को अन्तिम रूप देने के लिए संघ के साथ बातचीत के संबंध में एक और बैठक बुलाई जा रही है और शीघ्र ही निर्णय कर लिया जाएगा।

रेल दुर्घटनायें

†६८९. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री लंगामणि :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दि० प्र० सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५७ से जून, १९५७ के अन्त तक गम्भीर प्रकार की कितनी रेल दुर्घटनायें हुई थीं;

(ख) उनमें कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने व्यक्ति घायल हुए; और

(ग) यदि अब तक कोई प्रतिकर दिया गया है तो उसकी राशि कितनी है?

---

†मूल अंग्रेजी में

१८ Trunk routes.

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) दो अर्थात् (१) २–६–५७ को मध्य रेलवे के वाडला रोड और सिडरी स्टेशनों के बीच नम्बर बी० १२ अप और नम्बर एम० २२ अप, इन दो उपनगरीय स्थानीय गाड़ियों में टक्कर हो गई थी।

(२) २२–६–५७ को मध्य रेलवे के छाता स्टेशन पर नम्बर ३ डाउन पठानकोट एक्सप्रेस और नम्बर डब्ल्यू० २० अप माल गाड़ी में आमने सामने से टक्कर हो गई थी।

परिभाषा—गम्भीर प्रकार की दुर्घटना यात्रियों को ले जा रही गाड़ी की एक ऐसी दुर्घटना है जिसमें व्यक्तियों की मृत्यु हो जाए; और/या गहरी चोटें आयें और/या रेलवे सम्पत्ति की लगभग २०,००० पये या इससे अधिक की हानि हो।

(ख)

	मृत व्यक्ति	घायल व्यक्ति		
		सख्त	मामूली	जोड़
१. उपरोक्त मद (१) में उल्लिखित दुर्घटना	२३	२५	३९	६४
२. उपरोक्त मद (२) में उल्लिखित दुर्घटना	—	३	४४	४७
जोड़	२३	२८	८३	१११

(ग) अब तक निम्न प्रसादतः भुगतान किये जा चुके हैं:—

मृतकों के आश्रितों को	कुछ नहीं
घायल व्यक्तियों को	१,५८८ रुपये
घायल व्यक्तियों का चिकित्सा खर्च	११८ रुपये
जोड़	१,७०३ रुपये

पंजाब में नलकूप

†६९०. श्री दी० चं० शर्मा: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में प्रविधिक सहयोग मिशन के अधीन पंजाब में अब तक जो नलकूप लगाये गए हैं उन से कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होती है; और

(ख) क्या १९५७-५८ में पंजाब में और अधिक भूमि की सिंचाई किए जाने की आशा है?

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क)

१९५५–५६	४,८३६ एकड़
१९५६–५७	१७,६९८ एकड़

(ख) जी हां।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

†६९१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जमुना बाजार क्षेत्र में गन्दी बस्तियों को हटाये जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई है;

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) तथा (ख). जमुना बाजार क्षेत्र में गन्दी बस्तियों के हटाये जाने के लिए सरकार द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गई हैं;

(१) जमुना बाजार क्षेत्र की गन्दी बस्तियों में रहने वालों के पुनर्वास के संबंध में दिल्ली सुधार प्रन्यास ने झिलमिल ताहिरपुर में लगभग १२०० मकान और किलोकरी में ३९६ मकान बनाये हैं। इनमें से ६०३ मकान अब तक आवंटित किए जा चुके हैं और ४७२ मकानों में वस्तुतः लोग रहने लगे हैं।

(२) दिल्ली के मुख्यायुक्त से जमुना बाजार क्षेत्र में १७ खाली जगहों को अपने अधिकार में लेने के लिए कहा गया है।

(३) यह प्रस्ताव है कि शाहदरा बान्ध के निकट जमुना नदी के पार ५० एकड़ भूमि का विकास किया जाए और जमुना बाजार की गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लगभग २५% ऐसे भाग को वहां भेज दिया जाए जिसे अधिक दूरी पर नहीं भेजा जा सकता है, क्योंकि दूर जाने से उनके धन्धे खत्म हो जायेंगे। दिल्ली के मुख्यायुक्त द्वारा इस भूमि के संबंध में अब भूमि अर्जन विधेयक की धारा ४ के अधीन एक अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

(४) यह प्रस्ताव है कि जमुना बाजार क्षेत्र के मोचियों को जूते तथा चप्पल बनाने का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे जिस नए क्षेत्र में जायें वहां अपनी रोजी कमा सकें।

मछदा-डिगला रेलवे लाइन

†६९२. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या रेलवे मंत्री २८ अप्रैल, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या १११७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामलुक तथा कौन्टाई होकर मछदा से डिगला तक नई रेलवे लाइन बनाने के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के प्रश्न पर विचार किया गया था:

(ख) यदि हां, तो परिणाम क्या हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि १९४८ में एक अभिदर्शन सर्वेक्षण किया गया था और यह घोषणा की गई थी कि मछदा से कोन्टाई तक रेलवे लाइन मितव्ययी होगी?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां, मछदा से डिगला तक।

(ख) यह परियोजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं की गई है।

(ग) केवल कागजी कार्यवाही पर ही विचार किया गया था। जब तक परियोजना की मंजूरी न दे दी जाय तब तक सर्वेक्षण अथवा जांच के परिणाम बताने का रिवाज नहीं है। निर्माण संबंधी खर्च तथा यातायात अर्जन की राशि के आंकड़े १९४८ की तुलना में आज बिल्कुल ही भिन्न होंगे।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन

६९३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन का विकास करने के लिये सन् १९५६-५७ में उत्तर प्रदेश सरकार को किन किन कार्यों के लिये कितनी कितनी धनराशियां दी गयीं; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार को पर्यटन के विकास के लिये कितनी धनराशि दी जा चुकी है या दी जाने वाली है?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) महेत-महेत (सारवस्ती) में एक विश्राम गृह के बनाने के खर्च पर केन्द्रीय सरकार द्वारा २५,७५० रुपये की एक पूंजी अंशदान के रूप में मंजूर की गई थी। यह उक्त पूंजी विश्राम-गृह पर हुये सारे खर्चे की आधी है। राज्य के अन्तर्गत पर्यटक दफ्तरों के संचालनार्थ १०,००० रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दिये गये थे।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से निम्न योजनाओं की आर्थिक सहायता की मंजूरी के लिये प्रार्थना की है:—

योजना का नाम	१९५७-५८ में अनुमानित व्यय	पूंजी जिसके लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की गई है
	रुपये	रुपये
१. पर्यटक दफ्तर	१.४० लाख	०.७० लाख
२. आगरा, अयोध्या और लखनऊ में निम्न आय-श्रेणी के विश्राम-गृह	१.७१ लाख	०.८५५ लाख
३. हिमालय में स्थित तीर्थ मार्गों पर लकड़ी के मकान आदि	२.६४ लाख	१.३२ लाख
जोड़ :	५.७५ लाख	२.८७५ लाख

यह मामला अभी विचाराधीन है।

† मूल अंग्रेजी में

पटना उड्डयन क्लब[११]

†६९४. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना उड्डयन क्लब को प्रतिवर्ष कितना अनुदान दिया जाता है ;

(ख) क्या हाल ही में अनुदान की राशि कम कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका कारण क्या है; और

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि अनुदान की राशि कम करने से पटना उड्डयन क्लब में बहुत से लड़के दाखिल नहीं हो सकते हैं?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (घ). उड्डयन क्लब को दो भागों में राजकीय सहायता दी जाती है—पूर्वगत वर्ष की अवधि में उसके उड़ान घन्टों पर आधारित क्लब के वर्गीकरण के अनुसार नियत राजकीय सहायता और उड़ान किए गए प्रत्येक घंटे के लिए निर्धारित दरों पर वित्तीय सहायता। १९५५–५६ में बिहार उड्डयन क्लब को तृतीय वर्ग में रखा गया था और इसे नियत राजकीय सहायता के रूप में ६०,००० रुपये दिए गए थे और १९५६–५७ में इसे द्वितीय वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया था और नियत राजकीय सहायता के तौर पर ७५,००० रुपये दिए गए थे। जहां तक वित्तीय सहायता का संबंध है, १९५५–५६ में १,१४,०७३ रुपये की रकम दी गई थी और १९५६–५७ में इसे ९८,२९१ रुपये दिए गए थे, इस प्रकार इसे १९५५–५६ में कुल १,७४,०७३ रुपये और १९५६–५७ में कुल १,७३,२९१ रुपये दिए गए थे। इसलिए इन दो वर्षों में दी गई कुल राशि का अन्तर नगण्य है और सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि इस कारण क्लब में बहुत से लड़के दाखिल नहीं हो सके थे।

मैसूर में पर्यटक केन्द्र

†६९५. **श्री वोडयार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मैसूर राज्य में अगुम्बे और जोग जल प्रपात जैसे विश्व विख्यात पर्यटक केन्द्रों को संचार तथा प्रचार की कमी के कारण नुक़सान पहुंच रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख). जहां तक प्रचार का संबंध है, १९५४ में "मैसूर तथा कुर्ग गाइड" पुस्तिका प्रकाशित की गई थी और इसकी प्रतियां बड़े पैमाने पर बांटी गई थीं और बेची गई थीं। इसमें जोग जल प्रपात तथा अगुम्बे के पर्यटक आकर्षणों की चर्चा है। अगुम्बे तथा जोग जल प्रपात तक जाने वाली सड़कों के सुधार और इन स्थानों तक मार्ग परिवहन सेवाओं की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है। तथापि भारत सरकार ने सिरसी और जोग जल प्रापत के बीच सड़क के सुधार के लिए एक तिहाई खर्च इस शर्त पर देना स्वीकार किया है कि शेष खर्च की रकम मैसूर सरकार को देनी होगी। इस प्रस्ताव के संबंध में मैसूर सरकार के विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[११]Flying Club.

डाक तथा तार गृह-निर्माण योजना

†६९६. **श्री कोडियान :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार गृह-निर्माण योजना के अनुसार द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में कुल कितने मकान बनाये गये हैं; और

(ख) केरल में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में कितने मकान बनाए गए थे?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) ५९६।

(ख) क्रमशः ४ तथा ३।

रेलवे में भ्रष्टाचार

†६९७. **श्री वासुदेवन् नायर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारतीय रेलों के निगरानी एकक[20] द्वारा भ्रष्टाचार के कुल कितने मामलों का पता लगाया गया है;

(ख) प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ग के कितने कितने अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी इन मामलों में फंसे थे; और

(ग) प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ग के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कितने मामलों में सफल कार्यवाही की गई थी?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) से (ग) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३४**]

मनीपुर में ढोर-रोग[21]

†६९८. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में हाल ही में ढोरों के, सामूहिक रूप से रिन्डर पेस्ट तथा अन्य प्रकार की ढोर महामारियों के टीके लागाये गये हैं; और

(ख) क्या आसाम सरकार ने ऐसे ढोरों के एक स्थान से दुसरे स्थान पर ले जाये जाने के संबंध में शिकायत की है जिन्हें महामारी रोगों का टीका नहीं लगाया गया हो?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अधीन १९५७–५८ में राजस्थान, मनीपुर, त्रिपुरा, अन्दमान और लक्कादीव टापुओं के अतिरिक्त भारत के अन्य सभी राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों में ढोरों तथा भैंसों के, सामूहिक रूप से रिन्डर पेस्ट के टीके लगाने की एक योजना प्रारम्भ की गई है। मनीपुर में ढोर तथा भैंसों को टीका लगाने का कार्यक्रम आसाम में कार्य से सम्बद्ध है। आसाम में प्रौढ़ ढोरों तथा भैंसों के टीक लगाने का काम पूरा होते ही मनीपुर में कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। जहां तक अन्य ढोर महा-मारियों का संबंध है, इस समय सामूहिक रूप से टीका ल ाने को कोई कार्यवही नहीं सोची जा रही है।

(ख) इस प्रकार की कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[20] Vigilance Unit.

[21] Cattle disease.

मनीपुर में ढोर गणना

†६९९. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २८ मई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में ढोर गणना से संबंधित १९४५ के प्राप्य आंकड़े क्या थे;

(ख) क्या १९५५ तथा १९५६ में ढोर गणना के संबंध में किसी रकम की मंजूरी दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इन वर्षों में ढोर गणना न करने का कारण क्या है?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) १,४४,०६३ ढोर।

(ख) केवल १९५६-५७ में २०,००० रुपये की रकम की मंजूरी दी गई थी।

(ग) कुछ प्रशासनीय तथा वित्तीय कठिनाइयों अर्थात्, आम चुनावों की व्यवस्था करने और धन के देर से उपलब्ध होने के कारण १९५६–५७ में गणना नहीं की जा सकी थी। १९५७–५८ में गणना करने के लिए अपेक्षित प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

मनीपुर में परिवहन

†७००. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर में प्रक्रम वाहन (स्टेज कैरियर) तथा सार्वजिनक वाहन (पब्लिक कैरियर) चलाने के लिए कितने व्यक्तियों ने अनुज्ञाओं के लिए आवेदित किया था और कितनी अनुज्ञायें दीं गई थी; और

(ख) क्या यह सच है कि डीमापुर-इम्फाल मार्ग पर यात्री परिवहन के लिए राज्य परिवहन प्राधिकार मंडल[११] द्वारा वैयक्तिक मोटर स्वामियों तथा सहकारी समितियों को अनुज्ञायें नहीं दी गई थीं?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) ३० जून, १९५७ को ५२ प्रक्रम वाहन अनुज्ञायें (स्टेज कैरिज परमिट) और २८४ सार्वजिनिक वाहन अनुज्ञायें (पब्लिक कैरियर परमिट) दी गई थीं, और १ जुलाई, १९५७ से राज्य परिवहन प्राधिकार मंडल द्वारा ८४ प्रक्रस वाहन अनुज्ञायें तथा ३२० सार्वजिनकि वाहन अनुज्ञायें दी गई हैं। कुल मिला कर प्रक्रम वाहन अनुज्ञाओं के लिए १८२ और सार्वजिनक वाहन अनुज्ञाओं के लिये ४८५ आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) जी हां।

मनीपुर में परिवहन

†७०१. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के चार मार्गों पर यात्री परिवहन सेवाओं के राष्ट्रीयकरण के संबंध में क्या मनीपुर प्रशासन का कोई प्रस्ताव था; और

(ख) क्या संघ सरकार द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था?

---

†मूल अंग्रेजी में

११. State Transport Authority.

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जी हां।

(ख) योजना आयोग द्वारा परिवहन तथा संचार मंत्रालय (परिवहन विभाग) के परामर्श से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किए जाने के लिए मनीपुर प्रशासन की मार्ग परिवहन के विकास से संबंधित योजना स्वीकार कर ली गई है। इसी में चार मार्गों पर यात्री परिवहन सेवाओं के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव भी शामिल है।

कलकत्ता में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

†७०२. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कलकत्ता नगर तथा इसकी बाहरी बस्तियों में गन्दी बस्तियों के हटाये जाने के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार एक नगर आयोजन संगठन[२३] की स्थापना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार से किसी भी प्रकार की कोई सहायता मांगी गई है;

(ग) यदि हां, तो जो सहायता मांगी गई है उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस मामले की ओर उचित ध्यान दिया गया है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) कलकत्ता तथा इसके उपनगरों में गन्दी बस्तियों के हटाये जाने के लिए नगर आयोजन संगठन स्थापित करने के संबंध में इस समय पश्चिमी बंगाल सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

रामकोला स्टेशन पर रेल दुर्घटना

७०३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के रामकोला स्टेशन पर गत ४ जुलाई, १९५७ को एक यात्री गाड़ी दुर्घटना ग्रस्त हुई जिसके कारण तीन या चार डिब्बे चकनाचूर हो गये; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण था?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) ४–७–१९५७ को रामकोला स्टेशन पर किसी सवारी गाड़ी में दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन ४–७–१९५७ को लगभग ३.२० पर, जब ८३२ डाउन मालगाड़ी पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर-सिवान लूप लाईन सेक्शन के रामकोला स्टेशन में लाइन नं० २ पर दाखिल हो रही थी, तो गाड़ी का इंजन और उसके साथ तीन भरे डिब्बे कांटा नं० ७ पर पटरी से उतर गये, जिसकी वजह से न० १ और २ लाइनों पर गाड़ियों का आना-जाना रुक गया।

(ख) दुर्घटना का कारण यह था कि कांटे गलत लगा दिये गये थे।

मसूरी में अवकाश-गृह[२४]

†७०४. **श्री मुरारका**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा मसूरी में स्थापित गये कये अवकाश-गृह पर प्रत्येक वर्ष कितना खर्च हुआ है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

२३. Town Planning Organisation.
२४. Holiday Home.

(ख) जब से यह गृह स्थापित किया गया है तब से कितने व्यक्ति इसमें रहे हैं?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** (क) "अवकाश-गृह" मई, १९५६ में स्थापित किया गया था और १९५६–५७ के वित्तीय वर्ष में २,२१८ रुपये ७३ नये पैसे खर्च किये गये।

(ख) आरम्भ से लेकर अब तक इस "अवकाश-गृह" में ३५ कर्मचारी रह चुके हैं।

सवारी-डिब्बे बनाने का कारखाना, पेराम्बूर

†**७०५. श्री तंगामणि** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेराम्बूर के सवारी डिब्बे बनाने वाले कारखाने में बहुत से बढ़ई और प्रवीण तथा अप्रवीण श्रमिक बहुत समय तक शिक्षार्थियों अथवा नैमित्तिक श्रमिकों के तौर पर रखे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या स्थायी कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है;

(ग) क्या सवारी डिब्बे बनाने का कारखाना स्थायी है या अस्थायी; और

(घ) क्या तीन वर्षों की सेवा के पश्चात् स्थायी बनाने की प्रक्रिया जो अन्य सभी रेलवे कर्मचारियों पर लागू होती है वह इन पर लागू नहीं होती?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) यह स्थायी कारखाना है परन्तु अभी इसका विकास हो रहा है और इसमें उत्पादन का कार्यक्रम-क्रमबद्ध किया गया है।

(घ) जी हां, वह लागू होती है, परन्तु अभी वह अवस्था नहीं आई क्योंकि कारखाने में उत्पादन हाल ही में आरम्भ हुआ है और कर्मचारियों को भर्ती किये अधिक समय नहीं हुआ है।

रेल के माल-डिब्बों का पंजीयन[२५]

†**७०६. श्री फ० गो० सेन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नकली सार्थों द्वारा पटसन के परिवहन के लिये माल डिब्बों का पंजीयन कराने की प्रथा की रोकथाम करने में रेलवे प्रशासन सफल रहा है; और

(ख) कौन सा तरीका अपनाया गया है और पंजीयन शुल्क के जब्त किये जाने के परिणाम स्वरूप कितनी आय हुई है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) मेरे ख्याल से माननीय सदस्य का संकेत उस प्रथा की ओर है जिसके अनुसार कुछ पटसन के व्यापारी अधिक संख्या में माल डिब्बों का पंजीयन करा लिया करते थे। यह प्रथा कुछ हद तक कम कर दी गई है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३५**]

---

†मूल अंग्रेजी में

[२५]Registration.

भारतीय पशु-चिकित्सा गवेषणा संस्था, बरेली

७०७. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बरेली स्थित भारतीय पशु-चिकित्सा गवेषणा संस्था में निम्नलिखित विषयों पर गवेषणा के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है :—

१. सीरम,

२. पशुपालन,

३. मुर्गीपालन,

४. कृत्रिम गर्भाधान ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (१) **सीरम :** भारतीय पशु-चिकित्सा गवेषणा संस्था अनेक प्रकार का सीरा तैयार करती है। भारतीय पशु-चिकित्सा गवेषणा संस्था में किये हुए अनुसन्धानों ने पशुओं की अनेक प्रकार की अधिकतर बीमारियों से बचाव के लिये बहुत अच्छे गुणों वाले सीरे का बनाना सम्भव कर दिया है और उनकी उत्पाद और शक्ति को बढ़ाने के लिये सफलता पूर्वक यत्न किये जा रहे हैं। उनको रखने के गुणों की जांच के लिये स रम को कोल्ड स्टोरेज में कम तापमान पर रखने के लिये प्रयोग भी किये जा रहे हैं। हैमोरहोजिक सेप्टीसीमिया के सीरम के लिये सुधरे प्रकार का सीरम बनाने के लिये प्रयोग पहले से ही हाथ में ले लिये गये हैं। क्योंकि सीरम थोड़े समय के लिये प्रतिकारिता देता है इसलिये यह शक्तिशाली वेक्सीन्स के विकास के लिये जो अधिक समय के लिये प्रतिकारिता प्रदान करता है, अधिक ध्यान दिया जा चुका है। फलस्वरूप भारतीय पशु-चिकित्सा गवेषणा संस्था में बड़े प्रभाव वाले कई वेक्सीन्स का विकास कर लिया गया है और ये अधिक मात्रा में राज्यों को दी जा रही हैं।

(२) **ढोर :** हरियाना नसल को सुधारने के विचार से छांटी हुई नसल से संस्था में एक पशु समुदाय स्थापित कर दिया है। ३०१ दिनों में औस्तन दूध का उत्पादन ३,००० पौंड तक चला गया है और किसी व्यक्तिगत केसेज़ में ६,००० पौंड तक चला गया है। इसी प्रकार का कार्य मुराह ब्यूफेलोज़ के सम्बन्ध में किया जा रहा है। ढ़ोरों की प्रौढ़ता की आयु और वत्स-पालन के समय, बढ़ने की रेट, बन्ध्यत्व, जलवायु का स्वाथ्य तथा उत्पादन शक्ति के विषय में भी अध्ययन हो रहा है। बैलों की भारवाही शक्ति को जांचने के लिये एक उपयुक्त स्तर को मालूम करने के विचार से एक अनुभव किया जाने वाला है।

(३) **मुर्गीपालन :** कुछ समय से देशी मुर्गी के वाईट लैगहार्न, रहोड आईलैन्ड रेड और बार्ड प्लाईमौथ राक जैसे मु के प्रसिद्ध नसलों से क्रास बीडिंग करने से, जो एक वर्ष में ५३ अण्डे देती है, के अपग्रेडिंग के सम्बन्ध में अध्ययन जारी है। इस के फलस्वरूप अण्डे उत्पादन में सुधार औस्तन १७५ तक चला गया है और ग्रेडिड नसलों में अण्डों का साईज़ दुगना हो गया है। विदेशी नसलों के साथ इंटर-क्रासिंग करने पर, हाईब्रड्स जो बड़े और अधिक उत्पादन कर सकते हैं, की नसल को विकसित करने के लिये भी तजुर्बे किये जा रहे हैं। उदाहरण के लिये ब्राउन लैगहार्न और बार्ड प्लाईमौथ राक का जोड़ा मिलाने में, उन दोनों के माता पिता की अपेक्षा महत्वपूर्ण अधिक उत्पादन दिखलाया है। ये परिणाम अधिक प्रयोगात्मक मूल्य रखते हैं। कुछ बेकार पैदा हुई वस्तुओं की और कुछ चीज़ों की जो इस समय मुर्गियों के खाने के लिये जैसे मेन्गो सीड कर्नेल, जामन

†मल अंग्रेजी में

सीड करनेल, गाये का खाद इत्यादि—के रूप में इस्तेमाल नहीं होतीं, की खाद्य मूल्य की जांच करने के लिये तजुर्बे भी किये गये हैं। ये चीज़ें बड़े मूल्य वाला खाना रखने वाली पाई गई हैं और ये कम से कम कुछ अंश में, उन चीज़ों को जो उस समय मुर्गियों के खाने के रूप में इस्तेमाल होती हैं, के स्थान पर इस्तेमाल किये जा सकते हैं। रानीखेत की बीमारी जो मुर्गियों के लिये एक बड़ी भयानक बीमारी है, के लिये एक अधिक शक्तिशाली वेक्सीन भी विकसित किया गया है। इसने मुर्गीपालन के कार्य को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिये सम्भव कर दिया है।

(४) **कृत्रिम गर्भाधान** : इंस्टीट्यूट में किये हुए कार्य ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह तरीका भारतीय अवस्थाओं के अधीन लाभ के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कार्य में भारतीय पशुधन के सीमन के विशेष गुणों का अध्ययन करना, भारतीय ढोरों और भारतीय वाटर ब्यूफेलोज़ के सीमन के गुणों में ऋतु सम्बन्धी तबदीलियां, भारतीय भैंसों के जाति बर्त्ताव, भैंसों के सीमन के लिये डाईल्यूटर्स सीमन की बायो-केमिस्ट्री, सीमन को दूर के स्थानों पर भेजने के लिये एक उपयुक्त शिप्पर का विकास, इकट्ठा करना और उत्पादन शक्ति का बार बार होना, और दूसरी सम्बन्धित समस्यायें शामिल हैं, काय करने के फलस्वरूप, सारे देश में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का जाल बिछान सम्भव हो गया है।

मुकामा घाट पर पार्सलों का वादनान्तर[२६]

†७०८. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मुकामा घाट से गंगा पार पार्सल पहुंचाने में हो रहे अनुचित विलम्ब की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या इस मामले की जांच की गई है;

(ग) क्या पार्सल पहुंचने और भेजने की तारीखों वाले लेबल लगाने के नये नियम का पालन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो मुकामा घाट पर पार्सल पहुंचने और वहां से भेजे जाने में कितना अधिकतम और निम्नतम समय लगता है;

(ङ) क्या इस स्टेशन से पार्सल भेजने में अनुचित विलम्ब होने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में की गई जांच के क्या परिणाम निकले ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) और (ङ). हाल ही में इस प्रकार की कोई शिकायतें नहीं मिली हैं।

(ख) कुछ समय पूर्व इस मामले की जांच की गई थी और उसके परिणामस्वरूप मुकामा घाट से पार्सल भजने का कार्यक्रम निश्चित किया गया था।

(ग) जी हां, १-७-५७ से जब से कि मुकामा घाट के रास्ते आने वाली वस्तुओं के लिये प्रबन्ध किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[२६] Transhipment.

(घ) जुलाई, १९५७ में मुकामा घाट पर पार्सलों के वादनान्तर में निम्नतम १२ घंटे और अधिकतम ३१ घंटे लगे; परन्तु इसमें तेज़ाब की खेप सम्मिलित नहीं है जो कि सप्ताह में एक बार विशेष प्रकार के डिब्बों में भेजी जाती हैं। उसे भेजने में अधिक समय लगता है।

वादनान्तर के पश्चात् औसतन ७२ घंटे तक माल नहीं भेजा गया जिसके मुख्य कारण जुलाई, १९५७ में चार बार वैगन-फैरी घाट का स्थानान्तरण और माल जेट्टी का उठाया जाना और स्लिप लाइनों की मरम्मत करना थे।

(च) उत्तर के भाग (क) और (ङ) को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गढ़वा रोड और राबर्ट्सगंज के बीच रेल सम्पर्क

†७०९. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और बिहार को मिलाने के लिये गढ़वा रोड और राबर्ट्सगंज के बीच नया रेल सम्पर्क स्थापित करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) सर्वेक्षण पर कुल कितनी राशि खर्च हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) स्थान के बारे में अन्तिम सर्वेक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है इसलिये अभी निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। सर्वेक्षण कार्य हो रहा है और जून, १९५७ की समाप्ति तक ७० प्रतिशत पूरा हो चुका था।

(ख) मई, १९५७ की समाप्ति तक सर्वेक्षण पर कुल ४,१३,३१७/२२ रुपये खर्च हुए थे।

आदिम जातियों के लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें

†७१०. **श्री संगण्णा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में आदिम जातियों के लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उसके क्या परिणाम हुए ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

त्रिपुरा के कृषकों को ऋण

†७११. **श्री दशरथ देब** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष त्रिपुरा के कृषकों को अमान फसल पर ऋण अथवा दाद न देने के लिये सरकार को कोई अभ्यावेदन दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** :(क) जी हां।

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में त्रिपुरा प्रशासन ने पात्र कृषकों को ५३,००० रुपये का ऋण दिया है। इसी प्रयोजन के लिये सब-डिवीज़न को एक लाख दस हजार रुपये की राशि आवंटित की गई है।

त्रिपुरा में झूमिया पुनर्वास

†७१२. श्री दशरथ देब : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में हुरीजाला के आदिम जाति झूमियों को उस भूमि पर बसाया गया है जिसे उन्होंने कृषि योग्य बनाया था; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) हुरीजला में कोई ऐसे आदिम जाति झूमिया नहीं हैं जिन्हें भूमि पर बसाने की आवश्यकता हो।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हैदराबाद और सिकंदराबाद डाकघर

†७१३. श्री पु० रामस्वामी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद और सिकन्दराबाद नगरों का डाक संबंधी क्षेत्राधिकार एक ही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या डाक और एक्सप्रेस डिलिवरी के पत्र आदि एक ही हवाई जहाज़ से भेजे जाते हैं या कि हैदराबाद की डाक हवाई जहाज़ में और सिकन्दराबाद की डाक रेल गाड़ी में भेजी जाती है ; और

(ग) हैदराबाद और सिकन्दराबाद नगरों में दिन में कितनी बार और किस किस समय पर डाक निकाली जाती है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी नहीं। हैदराबाद और सिकन्दराबाद एक डिवीज़नल सुपरिंटेंडेंट के अधीन दो अलग अलग मुख्य डाकघर हैं।

(ख) पत्र और एक्सप्रेस डिलिवरी पत्र एक ही हवाई जहाज़ अथवा रेलगाड़ी से भेजे जाते हैं।

(ग) लैटर बक्सों से डाक निकालने का ब्यौरा निम्न है :—

हैदराबाद . . .	चार बार ०६०५–०६३०; ०७४५–०८१५; ०८४५–१०१५; और १९३०–२०३० के बीच।
सिकन्दराबाद . . .	चार बार ०५४५–०९००; १०३०–१३१५; १५००–१६१५; और १७३० बजे के बीच।

† मूल अंग्रेजी में

रेलवे पर दावे

†७१४. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिमी बंगाल के उत्तरी भाग के कुछ व्यापारियों से पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा प्रतिकर दावों के निबटारे में कथित विलम्ब के खिलाफ कोई अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां। विशेष कार्यवाही की जा रही है।

रेलवे लाइनें

†७१५. **श्री जाधव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ से १९५६ तक कितने मील लम्बी रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया ;

(ख) उन पर कुल कितना खर्च किया गया ;

(ग) उस अवधि में खर्च की प्रति मील औसत क्या थी ;

(घ) १९४७ से लेकर भारत सरकार ने समवायों से कुल कितने मील रेलवे लाइनें खरीदीं ;

(ङ) समवायों को कितनी लागत अदा की गई ; और

(च) १९३७ से पूर्व रेलवे लाइनों के निर्माण पर प्रति मील लागत की औसत क्या थी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १९४७ से १९५६ तक लगभग ८६६ मील लम्बी रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया।

(ख), (ग) और (च) : जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) ६२२.४६ मील ; इसमें से ४६.६८ मील जो १-४-१९४७ को मन्द्रा भौन रेलवे से खरीदी गई थी विभाजन के फलस्वरूप पश्चिमी पाकिस्तान में रह गई।

(ङ) ४२१.८५ लाख रुपये जिसमें से ३४.०१ लाख रुपये मन्द्रा भौन रेलवे पर खर्च किये गये जो कि १-४-१९४७ को खरीदी गई थी और वह विभाजन होने के फलस्वरूप पश्चिमी पाकिस्तान में रह गई।

बम्बई-आगरा राष्ट्रीय राजपथ

†७१६. **श्री जाधव** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बम्बई–आगरा राष्ट्रीय राजपथ को चौड़ा करने का है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ होने वाला है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :(क) जी हां।

(ख) यदि धन उपलब्ध हुआ तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में।

रायगढ़ स्टेशन पर बिजली लगाना

†७१७. **श्री संगण्णा** : क्या रेलवे मंत्री ३१ मई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५३६, जो रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर बिजली लगाने के बारे में था, के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विद्युत् शक्ति के संभरण में विलम्ब का कारण भारत सरकार और उड़ीसा सरकार में विद्युत् शक्ति की प्रशुल्क दर के बारे में मतभेद है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३६]**

त्रिपुरा में टेलीफोन

†७१८. **श्री दशरथ देब** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय त्रिपुरा में नये टेलीफोन लगवाने संबंधी कितने आवेदन पत्रों का निबटारा किया जाना बाकी है ;

(ख) क्या समस्त आसाम सर्कल में नये टेलीफोन लगाने की स्वीकृति देना रोक दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार स्वीकृतियां देना कब पुनः आरम्भ केरेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) ९०।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गाड़ियों के पायदानों पर सफर करना

†७१९. **श्री जाधव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्ष में अथवा जहां तक जानकारी प्राप्त हो सकती है विभिन्न रेलों में गाड़ियों के पायदानों पर से गिर कर कितने व्यक्ति घायल हुये ; और

(ख) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**:(क) गत दस वर्ष का पूरा अभिलेख उपलब्ध नहीं है; परन्तु जो भी जानकारी उपलब्ध थी वह एक विवरण में दी गई है जो सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३७]**

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) सरकार ने यह कार्यवाही की है :

(१) भीड़ को कम करने के लिये जहां तक सम्भव होता है अधिक गाड़ियां चलाई जाती हैं और अधिक डिब्बे लगाये जाते हैं।

(२) विभिन्न स्थानीय भाषाओं में इश्तहार छाप कर स्टेशनों पर लगाये जाते हैं जिनमें पायदान पर सफर करने के खतरे पर जोर दिया जाता है ।

(३) प्रमुख स्टेशनों पर लगाए गये लाउड स्पीकरों द्वारा यात्रियों को पायदान पर सफर करने के खतरे से आगाह किया जाता है।

(४) स्टेशन मास्टरों और गार्डों, रेलवे संरक्षण दल और रेलवे पुलिस को हिदायतें दी गई हैं कि वे यात्रियों को पायदान पर सफर करने से रोकें ।

(५) इसे रोकने के लिये मुकदमें भी चलाये जाते हैं ।

(६) उपनगरीय सैक्शनों पर चलने वाली सवारी गाड़ियां इस प्रकार की बनाई जाती हैं कि उनमें पायदान ही न हों जिन पर लोग सफर करते हैं ।

खाली माल-डिब्बों वाली विशेष गाड़ियां[२७]

†७२०. **श्री दुरायस्वामी गौंडर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि दक्षिण रेलवे में खाली माल डिब्बों की विशेष गाड़ियां एक से दूसरे जंक्शन तक चलाई जाती हैं और बीच के स्टेशनों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता; और

(ख) ऐसी कार्यवाही करने के क्या कारण हैं जिससे रेलवे को हानि होती है और व्यापारियों को असुविधा होती है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) गाड़ियों में खाली माल—डिब्बे लगाकर रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में अथवा अन्य रेलवे में माल परिवहन के लिये भेजे जाते हैं परन्तु रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों के माल परिवहन को उससे हानि नहीं पहुंचती है।

(ख) खाली माल-डिब्बों को उन क्षेत्रों से जहां कि वे फालतू होते हैं, उन क्षेत्रों में भेजा जाता जहां परिवहन की मांग अधिक होती है और माल-डिब्बे कम उपलब्ध होते हैं। जब एक रेलवे में परिवहन पर्याप्त नहीं होता है तो भी माल-डिब्बे पड़ौसी रेलवे को भेजे जाते हैं।

रेलों में अधिक भीड़

†७२१. **श्री ब० स० मूर्ति** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में विजयवाड़ा और काकिनाड़ा के बीच रेल गाड़ियों में भीड़ को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) उसके क्या परिणाम हुये हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[२७] Empty Wagon Specials.

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) (१) १-७-५६ से संख्या ४६ और ४५ मद्रास–हावड़ा गलियारे वाली साप्ताहिक जनता एक्सप्रेस गाड़ियां चालू की गईं। (२) समलकोट और कोकानाड़ा पोर्ट (काकिनाड़ा) के बीच संख्या ४५ और ४६ मद्रास– बैजवाडा (विजयवाड़ा)– हावड़ा जनता एक्सप्रेस को सुविधापूर्वक मिलाने वाली गाड़ियों की व्यवस्था की गई।

(ख) बैजवाड़ा और कोकानाडा पोर्ट के बीच कुछ सैक्शनों पर भीड़ में कुछ कमी हुई है।

आंध्र के तटीय क्षेत्र में गहरे पानी में मछलियां पकड़ना

†७२२. श्री ब० स० मूर्ति: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में गहरे पानी में मछलियां पकड़ने संबंधी विकास के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) १९५७–५८ में इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि आवंटित की गई ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) प्रविधिक सहयोग मिशन सहायता के अन्तर्गत प्राप्त किये गये जहाज़ों का प्रयोग करके विशाखापटनम में एक गहरे पानी में मछलियां पकड़ने वाला यूनिट स्थापित करने का विचार है। प्रविधिक सहयोग मिशन सहायता के अन्तर्गत अर्जित किया गया एक शीतागार संयंत्र[२८] आंध्र प्रदेश को दे दिया गया है और राज्य सरकार संयंत्र स्थापित कर रही है।

(ख) गहरे पानी में मछली पकड़ने की जिस योजना का सुझाव विशाखापटनम के लिये दिया गया था और जिसमें केन्द्र भी सम्मिलित है, उसका परीक्षण किया जा रहा है और योजना को अन्तिम रूप दिये जाने पर ही मालूम होगा कि यूनिट को वास्तव में कितना रुपया दिया जाये।

आंध्र में नदियों में मछली पकड़ना

†७२३. श्री ब० स० मूर्ति : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश की नदियों में मछली पकड़ने के विकास के लिये प्रथम पंच वर्षीय योजना के दौरान में कितनी राशि और प्रविधिक सहायता स्वीकृत की गई ; और

(ख) उसके क्या परिणाम हुये ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख) एक विवरण जिसमें यह बताया गया है कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में राज्य सरकार को कितना ऋण और सहायता दी गई, सभा–पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३८]**

केन्द्रीय अन्तर्देशीय मीन क्षेत्र गवेषणा केन्द्र[२९] के एक गवेषणा यूनिट ने 'फिश फार्मर्स कैलेंडर' (जो कि अब प्रकाशित हो चुका है) तैयार करने के सिलसिले में आंध्र की नदियों के बीच मत्स्य स्त्रोतों

---

†मूल अंग्रेजी में

२८ Cold Storage Plant.

२९ Central Inland Fisheries Research Station.

का सर्वेक्षण किया, और राज्य सरकार को यह मंत्रणा भी दी कि वह मत्स्य पालन के अधिक अच्छे तरीकों के संबंध में परामर्श दे ।

तिरुपति में पर्यटन केन्द्र

†७२४. श्री ब० स० मूर्ति : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरुपति (आंध्र प्रदेश) को पयर्टन केन्द्र बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) १९५७–५८ में इसके लिये कितना रुपया आवंटित किया गया ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) "गाइड टू साउथ इंडिया" में, जो केन्द्रीय सरकार ने १९५४ में प्रकाशित की और जिसकी प्रतियां दूर दूर तक पहुंचाई गईं और विक्रय के लिये भी भेजी गईं, तिरुपति संबंधी उन सब बातों का उल्लेख किया गया है जो पर्यटकों के लिये रुचिकर हैं। विदेशियों को होली हिल्स (पुण्य पहाड़ियों) पर, जहां मन्दिर स्थित हैं, नहीं जाने दिया जाता । अपने देश के पर्यटकों के लिये इस स्थान का बड़ा महत्त्व है और देवनाथन न्यास ने उनके लिये अच्छा प्रबन्ध कर दिया है ।

मद्रास का बड़ा डाक-घर[१०]

†७२५. श्री ब० स० मूर्ति : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के बड़े डाक घर में स्थान की कमी के बारे में कुछ अभ्यावेदन किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

†७२६. श्री घोषाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के हावड़ा स्थिति माल-कार्यालय के भ्रष्टाचार के कितने मामलों की ओर उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया गया ; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ७६ ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[१०] G. P. O. Madras.

(ख) इनमें से ५४ मामलों के बारे में तथ्यों का पता लगाने के लिये की गयी जांच पूरी हो गयी है और शेष मामलों के बारे में जांच में शीघ्रता लाने के लिये एक पूरे समय काम करने वाली समिति बना दी गयी है।

निरोधात्मक कार्यवाही भी की गयी है।

मरुभूमि नियंत्रण

७२७. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतवर्ष में मरुभूमि का कितना क्षेत्रफल है और यह मरुभूमि कहां कहां पर है ; और

(ख) क्या पिछले पांच वर्षों में मरुभूमि के क्षेत्रफल में कोई वृद्धि हुई है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :(क) लगभग ८०,००० वर्गमील, जो सौराष्ट्र के भागों, उत्तरी गुजरात और बम्बई राज्य में कच्छ की रन राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों और पंजाब के दक्षिण-पश्चिमी भागों में फैला हुआ है।

(ख) तुलनात्मक अध्ययनों से पता चला है कि मरुभूमि बढ़ रही है परन्तु विशेषरूप से यह कहना संभव नहीं है कि यह पिछले पांच सालों में बढ़ी है।

उत्तरी बिहार में बाढ़

†७२८. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोसी नदी और उसकी सहायक नदियों तथा उत्तरी बिहार की अन्य नदियों का पानी दरभंगा और सहरसा जिलों के ३०० वर्ग मील क्षेत्र में फैल गया है ;

(ख) यदि हां तो कितने गांवों और कितनी आबादी पर इसका असर पड़ा है ;

(ग) फसलों को कितनी क्षति पहुंची है ; और

(घ) क्या उस क्षेत्र में अब तक निर्मित तटबन्धों को बह जाने से बचाने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है, और यदि हां, तो क्या ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (घ), जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

जीवन बीमा निगम के कार्यों के सम्बन्ध में अन्तरिम प्रतिवेदन

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं भारत के जीवन-बीमा निगम के कार्यों के अन्तरिम प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस--१९८/५७]

---

† मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय राज पथ नियम

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं राष्ट्रीय राज पथ अधिनिथम, १९५६ की धारा १० के अन्तर्गत दिनांक १३ अप्रैल, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ११८२ में प्रकाशित राष्ट्रीय राजपथ नियम, १९५७ की एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस०—१९९/५७]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं श्री आबिद-अली की ओर से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम १९४८ की धारा ३६ के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन और वर्ष १९५४–५५ के लिये निगम के लेखा परीक्षित लेखे की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस०—२००/५७]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पाटस्कर प्रतिवेदन के सम्बंध में समाचार पत्रों की टीका-टिप्पणी

†श्री विश्वनाथ रेड्डी (राजमपेट) : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक–महत्व के निम्न विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके संबंध में एक वक्तव्य दें।

"आंध्र तथा मद्रास की सीमा संबंधी समस्याओं के बारे में पाटस्कर प्रतिवेदन पर समाचार-पत्रों की टीका–टिप्पणियां।"

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त): मुझे आंध्र तथा मद्रास के बीच चल रहे सीमा संबंधी विवाद के बारे में श्री पाटस्कर का प्रतिवेदन जुलाई के अन्तिम सप्ताह में मिला था। उसके मिलते ही, मैंने उसकी एक-एक प्रति आंध्र और मद्रास के मुख्य मंत्रियों को भेज दी थी। मुझे अभी तक केवल एक ही मुख्य मंत्री का अन्तरिम उत्तर मिला है। मैं पूरी तौर पर उनके विचार जान लेने के बाद ही इस संबंध में अधिक कुछ कह सकूंगा।

सभा का कार्य

†संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैं सभा को सूचित करता हूं कि २० अगस्त, १९५७ से आरम्भ होने वाले सप्ताह में सरकारी कार्य का क्रम इस प्रकार होगा :—

(१) गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा और उनका स्वीकृत किया जाना;

(२) वाणिज्य तथा उद्योग; श्रम और रोजगार; तथा वित्त, मंत्रालयों के अनुदानों की मांगों पर चर्चा और उनका स्वीकृत किया जाना।

(३) वित्त (संख्या २) विधेयक, १९५७ पर विचार और उसे पारित किया जाना।

---

†मूल अंग्रेजी में

धन कर विधेयक

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं धन कर लगाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

बीमा (संशोधन) विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बीमा अधिनियम, १९३८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि बीमा अधिनियम, १९३८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अनुदानों की मांगें—जारी

गृह-कार्य मंत्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में चर्चा जारी रखेगी।

चुने हुये कटौती प्रस्तावों की सूची १४ अगस्त को सदस्यों में परिचालित की जा चुकी है। मैं उनको प्रस्तुत मान लूंगा।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कौटौती का आधार	कटौती की राशि
५१	९४	श्री नौशीर भरुचा	महा गुजरात और संयुक्त महा-राष्ट्र के दो एकभाषीय राज्यों के निर्माण में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
५१	१०१४	श्री ईश्वर अय्यर	न्यायपालिका को कार्य पालिका से पृथक करने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
५१	१३९४	श्री परुलेकर	गुजराती तथा मराठी भाषा-भाषियों की भाषावार राज्य की मांग स्वीकार करने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
५१	१३९५	श्री नानापाटिल	भाषावार राज्यों का पुनर्गठन	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
५१	१४६२	श्री नानापाटिल	गोली कांडों की सार्वजनिक जांच कराना	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
५१	१९९	श्री याज्ञिक	महा गुजरात के पृथक राज्य के निर्माण में असफलता	१०० रुपये
५१	८८४	श्री सम्पत	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने की योजना	१०० रुपये
५१	९४२	श्रीमती पार्वती कृष्णन	निवारक निरोध अधिनियम का कार्य-संचालन	१०० रुपये
५१	१११६	श्री दशरथ देव	संघ क्षेत्रों में मंत्रणा-परिषदों को हटाने की आवश्यकता	१०० रुपये
५१	१०१८	श्री ईश्वर अय्यर	न्याय के प्रशासन में विलम्ब	१०० रुपये
५१	१११७	श्री दशरथ देव	आदिम जातियों को घरेलू उपभोग के लिये लकड़ी आदि के संग्रह पर चुंगी देने से विमुक्त करना	१०० रुपये
५१	१११८	श्री ईश्वर अय्यर	दंडविधि का कार्य-संचालन	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
५१	१३७५	श्री कोडियान	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की आवास योजनाओं के लिये विशेष निधियों की आवश्यकता	१०० रुपये
५१	१३९७	श्री वै० च० मलिक	अस्पृश्यता निवारण में असफलता	१०० रुपये
५१	१३९८	श्री फ्रैंक एन्थनी	अल्पसंख्यकों को दिये जाने वाले संवैधानिक परित्राणों का प्रवर्तन	१०० रुपये
५१	१४६३	श्री तंगामणि	तामिलनाड़ की जनता की इच्छा के विरुद्ध नये मद्रास राज्य का नामकरण	१०० रुपये
५१	१४६४	श्री तंगामणि	मद्रास सरकार के मनमाने वर्गीकरण के नियंत्रण और वास्तव में पिछड़े हुये लोगों को 'सब से अधिक पिछड़ा हुआ समुदाय' में सम्मिलित करने में असफलता	१०० रुपये
५१	१४६५	श्री तंगामणि	मद्रास सरकार द्वारा केल्लार आदि को 'सबसे अधिक पिछड़े समुदाय' में सम्मिलित कराने में असफलता	१०० रुपये
५१	१४६६	श्री तंगामणि	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्तों के कृत्य	१०० रुपये
५१	१४७०	श्री त० ब० विट्ठल राव	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा छुट्टी लेकर यात्रा करने संबंधी रियायतों में वृद्धि	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
५१	१४७१	श्री त० ब० विट्ठल राव	गजटेड अधिकारियों के निवृत्ति-वेतनों में वृद्धि	१०० रुपये
५३	५	श्री बि० दास गुप्त	भारत सरकार द्वारा निर्मित जोनीय परिषदें	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
५३	१३९९	श्री महंती	उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के सीमा संबंधी विवादों के निबटारे के लिये सीमा आयोग	१०० रुपये
५५	६	श्री बि० दास गुप्त	१९५१ और उसके बाद की जनगणना संबंधी भारत सरकार की नीति	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
५५	१११९	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में आदिम जाति के बहुत सारे लोगों की लुप्ति	१०० रुपये
५५	१४६७	श्री महंती	राज्यों में जनगणना अधिकारियों द्वारा भाषा संबंधी आंकड़ों के संग्रह की असन्तोषपूर्ण पद्धति	१०० रुपये
५७	१४६८	श्री तंगामणि	दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अधिकांश अध्यापकों की सेवा को स्थायी बनाने में असफलता	१०० रुपये
५९	३०३	श्री सम्पत	अन्दमान और निकोबार द्वीपों तथा भारत के बीच संचार और परिवहन की नियमित सुविधाओं का अभाव	१०० रुपये
५९	१०२०	श्री पार्वती कृष्णन्	अन्दमान में निर्वाचित प्रशासकीय परिषद् स्थापित करने में असफलता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
५९	१०२१	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	संसद् में निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था न करना	१०० रुपये
५९	१०२२	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	समुद्रीय विभाग में श्रमिकों के साथ अनुचित व्यवहार की शिकायत की जांच न कराना	१०० रुपये
५९	१०२३	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	अन्दमान में २३ फरवरी, १९५७ से मजदूरों की बुनियादी तंख्वाह की वृद्धि के आदेश की कार्यान्विति में असफलता	१०० रुपये
५९	१२०५	श्री दशरथ देव	लोक-सभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की आवश्यकता	१०० रुपये
५९	१४००	श्री कुन्हन	अन्दमान में निर्वाचित प्रशासकीय परिषद् स्थापित करने में असफलता	१०० रुपये
५९	१४०१	श्री कुन्हन	संसद् में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था न करना	१०० रुपये
५९	१४०२	श्री कुन्हन	समुद्रीय विभाग में श्रमिकों के साथ अनुचित व्यवहार की शिकायतों की जांच की आवश्यकता	१०० रुपये
५९	१४०३	श्री कुन्हन	अन्दमान में २३ फरवरी, १९५७ से दी गई मजदूरों की बुनियादी तंख्वाह की वृद्धि की कार्यान्विति में असफलता	१०० रुपये
५९	१४०४	श्री कोडियान	अन्दमान में पृथक बालिका स्कूल की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
५९	१४०५	श्री कोडियान	अन्दमान में इंटरमीजिएट कालेज की आवश्यकता	१०० रुपये
५९	१४०६	श्री कुन्हन	अन्दमान में जनता के निर्वाचित निकाय की आवश्यकता	१०० रुपये
५९	१४०७	श्री कुन्हन	भारत सरकार के अन्दमान के मज़दूरों की बुनियादी तंख्वाह में वृद्धि के आदेश की तुरन्त कार्यान्विति की आवश्यकता	१०० रुपये
५९	१४६७	श्री तंगामणि	द्वीपसमूहों की प्राकृतिक सम्पदा के सद्उपयोग और रेलवे को स्लीपरें जुटाने में असफलता	१०० रुपये
६०	४३२	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर के संघ क्षेत्र में एकीकृत वेतन ढांचा चालू करने में असफलता	१०० रुपये
६०	४३३	श्री ले० अचौ सिंह	काचर रोड के निर्माण में अपर्याप्त प्रगति	१०० रुपये
६०	४३४	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर में भूमि के साम्पत्तिक सर्वेक्षण की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	४३५	श्री ले० अचौ सिंह	मनीपुर में कृषकों के लिये खाद्यान्नों के पर्याप्त मूल्य सुनिश्चित बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	४३६	श्री ले० अचौ सिंह	डी० एम० रोड की यात्री सेवा को राष्ट्रीयकृत करने के लिये उचित रूप में नोटिस देने की आवश्यकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६०	४३७	श्री ले० अचौ सिंह	इम्फाल में पर्याप्त विद्युत शक्ति तथा जल के संभरण में असफलता	१०० रुपये
६१	६७९	श्री दशरथ देव	आदिम जातियों की शिक्षा, बन्दोबस्त और झूमिया पुनर्वास की समस्याओं का हल करना	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
६१	७	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में झूमिया पुनर्वास के कार्य के लिये विशेष अधिकारियों की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	९	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में भूमि सुधार की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	१०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में गांव पंचायतों की प्रणाली चालू करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	१५	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के कई स्थानों में आदिम जातियों और गैर-आदिम जातियों के बीच अर्से से चलने वाले विवादों के निबटारे में असफलता	१०० रुपये
६१	१६	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के हुरिजुला क्षेत्र में आदिम जातियों को बसाने में असफलता	१०० रुपये
६१	१७	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के खोवल डिवीज़न में झूमिया पुनर्वास में असफलता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६१	६८१	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के देहाती क्षेत्रों में अधिक पूर्त चिकित्सालयों की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	६८३	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा की आदिम जातियों की बालिकाओं को परिचारिकाओं की प्रशिक्षा देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	६८४	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के प्रत्येक अस्पताल में परिचारिकाओं और दाइयों की आरम्भिक प्रशिक्षा की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	६८९	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में मलेरिया-विरोधी चलती फिरती इकाइयों में कर्मचारियों की वृद्धि की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	६८९	श्री दशरथ देव	अगरतला के वी० एम० अस्पताल में शल्य-चिकित्सा के आधुनिक यंत्रों की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	६९०	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में कुष्ठ रोगियों के चिकित्सा-केन्द्रों की व्यवस्था में असफलता	१०० रुपये
६१	७६३	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में जल-निस्सारण प्रणाली और वाटर वर्क्स का निर्माण करने में असफलता	१०० रुपये
६१	७६५	श्री दशरथ देव	ग़रीबों को एक्सरे के फोटो का निःशुल्क सम्भरण	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६१	७७०	श्री दशरथ देव	अगरतला में निर्वाचित नगर-पालिका-समिति की स्थापना की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	९८५	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में वन-अधिकारियों द्वारा रक्षितव नों के निवासियों का उत्पीड़न	१०० रुपये
६१	९८७	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा पें मीन-क्षेत्रों को प्रोत्साहन की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	९९२	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में भूमिहीनों के पुनर्वास के लिये वन- प्राधिकार के अधीन भूमि के काफी बड़े भाग को छोड़ना	१०० रुपये
६१	१०२४	श्री दशरथ देव	राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के निर्माण-कार्यों में गैर-सरकारी जनता का सहयोग प्राप्त करने में असफलता	१०० रुपये
६१	१०२६	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा में असफलता	१०० रुपये
६१	१०२८	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के सभी चाय-बागानों में न्यूनतम तनखा चालू करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	१०२९	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा के रंगमती और नकलाली क्षेत्रों में आदिम जातियों को बेदखली से बचाने में असफलता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६१	१०६७	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा की आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये हाई स्कूलों के छात्रावासों में अपर्याप्त स्थान	१०० रुपये
६१	१०६८	श्री दशरथ देव	अभयनगर छात्रावास को सहायता की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	१०६६	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा की आदिम जातियों के सब से बड़े संगठन के साथ सहयोग	१०० रुपये
६१	११२१	श्री दशरथ देव	झूमिया पुनर्वास के प्रश्न के लिये एक समिति की नियुक्ति	१०० रुपये
६१	१२०६	श्री दशरथ देव	अगरतला में सार्वजनिक सभाओं के लिये हाल की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	१३११	श्री दशरथ देव	आदिम जातियों को बसाने के लिये निश्चित क्षेत्रों को रक्षित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	१३१३	श्री दशरथ देव	अनुसूचित आदिम जातियों के क्षेत्रों में गैर-अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को बसने से रोकना	१०० रुपये
६१	१३१४	श्री दशरथ देव	वर्षों से कब्जेदार रहने वालों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार देने में प्राथमिकता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६१	१३१६	श्री दशरथ देव	झूमिया आदिम जातियों का पुनर्वास हो जाने तक, त्रिपुरा के रक्षित वनों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में झूमिया कृषि पर प्रतिबन्ध न लगाना	१०० रुपये
६१	१३५३	श्री दशरथ देव	जंगली हाथियों से फसलों की रक्षा के लिये कृषकों को हथियार न देना	१०० रुपये
६२	३०४	श्री सम्पत	लक्कद्वीप, मिनिकोय और अमीन द्वीपों तथा भारत के बीच संचार और परिवहन की नियमित सुविधायें जुटाने में असफलता	१०० रुपये
६३	२००	श्री जाधव	महागुजरात तथा संयुक्त महाराष्ट्र के एकभाषीय राज्यों के निर्माण में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये ।
६३	५६१	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	मद्रास राज्य का नाम तामिलनाद न रखना	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये ।
६३	१४०८	श्री कुन्हन	मद्रास राज्य का नाम तामिलनाद न रखना	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये ।
६३	१४०९	श्री बी० दास गुप्त	राज्य पुनर्गठन	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६३	३०५	श्री बि० चं० प्रधान	अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लोगों को सेवा में रखने में असफलता	१०० रुपये
६३	३०६	श्री बि० चं० प्रधान	उड़ीसा में आदिवासियों के रहन-सहन के स्तर को उठाना	१०० रुपये
६३	३०७	श्री बि० चं० प्रधान	आदिवासी क्षेत्रों में बड़े आधार पर वनीय श्रम सहकारी संस्थाओं के संगठन की आवश्यकता	१०० रुपये
६३	६१८	श्री रा० च० मांझी	अनुसूचित क्षेत्रों का और आदिम जातियों का प्रशासन और नियंत्रण	१०० रुपये
६३	६१९	श्री रा० च० मांझी	आदिम जाति मंत्रणा परिषद् की सिफ़ारिशों की कार्यान्विति न करना	१०० रुपये
६३	६२०	श्री दशरथ देव	विभिन्न आदिम जातियों को शिक्षा देने के वैज्ञानिक तरीक़ों की अविलम्बनीयता	१०० रुपये
६३	६९४	श्री रा० च० मांझी	अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के आयुक्त की सिफ़ारिशों की कार्यान्विति न करना	१०० रुपये
६३	६९५	श्री रा० च० मांझी	अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के शिक्षा सम्बन्धी तथा आर्थिक हितों को प्रोत्साहन	१०० रुपये
६३	८५१	श्री सम्पत	राजकीय भाषा सम्बन्धी नीति	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६३	१४१०	श्री वै० च० मलिक	जनता के अपेक्षाकृत कमजोर लोगों के आर्थिक हितों के संवर्धन में असफलता	१०० रुपये
६३	१४११	श्री कुन्हन	अनुसूचित आदिम जातियों, जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये अधिक छात्रवृत्तियों की आवश्यकता	१०० रुपये
६३	१४१२	श्री कुन्हन	केरल में हरिजन कल्याण कार्य की केन्द्रीय योजनाओं के लिये अधिक राशियों का आवंटन	१०० रुपये
६३	१४१३	श्री कुन्हन	अनुसूचित जाति के लोगों के आवास की योजना के लिये अधिक राशियों का आवंटन	१०० रुपये
६३	१४१४	श्री कुन्हन	अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लोगों के लिये रक्षित पदों पर उन की नियुक्ति न करना	१०० रुपये
६३	१४१६	श्री कोडियान	न्यायपालिकाओं में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में असफलता	१०० रुपये
६३	१४१७	श्री कोडियान	केरल के पूल्या समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में न रखना	१०० रुपये
६३	१४१८	श्री कोडियान	आदिम जातियों की बेरोजगारी दूर करने के लिये कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
६३	१४१९	श्री कोडियान	मलाबार के वैल्लूरा समुदाय को अनुसूचित जाति न मानना	१०० रुपये
६३	१४२०	श्री कोडियान	मलाबार के पूल्यों को ग़लती से अनुसूचित आदिम जाति मानना	१०० रुपये
६३	१४२१	श्री कोडियान	अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की सूचियों की ग़लतियों और त्रुटियों को दूर करना	१०० रुपये
६३	१४२२	श्री कोडियान	अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों को निःशुल्क क़ानूनी सहायता	१०० रुपये
६३	१४२३	श्री कोडियान	अनुसूचित जातियों को कृषि के लिये बंजर भूमि और वित्तीय सहायता देना	१०० रुपये
६३	१४२४	श्री कोडियान	अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये दी गई निधियों का पूरी तौर पर उपयोग न करना	१०० रुपये
६३	१४२५	श्री कोडियान	मलाबार में अनुसूचित आदिम जातियों की अत्ताप्पदी घाटी के विकास के लिये विशेष सहायता की आवश्यकता ।	१०० रुपये
६३	१४२६	श्री कोडियान	अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये अधिक छात्रावासों की आवश्यकता	१०० रुपये

†*अध्यक्ष महोदय* : यह सभी कटौती प्रस्ताव सभा के सामने प्रस्तुत हैं ।

†**श्री हेडा** (निजामाबाद) : कल मैं सभा को यही बताने की कोशिश कर रहा था कि दो भाषीय राज्य बनाने का निर्णय सरकार या किसी दल विशेष ने नहीं किया था, वह पूरी संसद् का निर्णय था । देश ने उसे स्वीकार भी कर लिया था । उस में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है ।

अब फिर से पूरे प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है । माननीय सदस्यों ने इस पर उस समय पूरी तौर से विचार कर लिया था । नई समस्यायें उठने पर ही फिर विचार किया जा सकता है ।

हम ने एक बार समस्या का हल ढूंढ लिया है अब यदि हम उस पर बार-बार विचार करेंगे तो कभी हल ही नहीं निकलेगा ।

मैं सरकार को दो बातों के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं-- पहली तो यह कि सरकार ने निवारक निरोध अधिनियम का न्यूनतम प्रयोग किया है और दूसरी यह कि उस ने अनुसूचित आदिम जातियों के कल्यान के लिये अधिकतम कार्य किया है ।

आदिम जातियों का निवास शुरू से पहाड़ियों और वनों में ही रहा है । ये उन्हीं की सम्पत्ति होने चाहियें । स्वतंत्रता के बाद उन को पहाड़ियों और वनों के स्वामित्व से वंचित कर दिया गया है । इस से उन की आर्थिक दशा बड़ी हीन हो गई है ।

सन्तोष की बात है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उन के लिये ५० करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में आदिम जातियों के कल्याण की योजना बनाने का कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया था, लेकिन अब केन्द्रीय सरकार एक एकीकृत योजना बनाने जा रही है । इस से उन का अधिक कल्याण होगा ।

केन्द्रीय सरकार ने कुछ नई चीजें आरम्भ की हैं । पहली तो यह कि आदिम जातियों के क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था ।

दूसरी यह कि आदिम जातियों के लिये विशेष बहु प्रयोजनीय खण्डों की स्थापना ।

तीसरी नई चीज है—आदिम जातियों की खेती करने की आदतों में सुधार । ये लोग एक स्थान पर एक या दो वर्ष खेती करते हैं । इस के बाद वह भूमि के कटाव आदि के कारण उस स्थान को छोड़ देते हैं तथा दूसरे स्थान पर चले जाते हैं । परिणाम यह होता है कि वे टिक कर किसी भूमि का सुधार नहीं करते जिस के फलस्वरूप उत्पादन कम होता है ।

चौथे आश्रम पाठशालायें तथा होस्टल आदि खोल कर काम बहुत अच्छा किया गया है ।

पांचवीं बात वन सहकारी समितियों के बारे में है । तेलंगाना की वन सहकारी समिति ने भी बहुत अच्छा काम किया है ।

छठी चीज वनों में बनाये गये मार्ग, तथा पुलों के बारे में है । यह भी बहुत अच्छा काम किया गया है । वर्षा में आदिम जातियों के लोगों को बड़ा कष्ट होता था अब उन के लिये सुविधा हो गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में]

[श्री हेडा]

अब मैं सांस्कृतिक संस्थाओं के आरम्भ किये जाने पर आता हूं। मैं आशा करता हूं कि सांस्कृतिक योजनायें क्रियान्वित की जायेंगी और आदिम जातियों को अपनी संस्कृति के विकास करने का अवसर दिया जायेगा।

मुझे यह बात जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि आदिम जाति योजनाओं पर सरकार शत-प्रतिशत व्यय करने को तैयार है। इस से मुझे विश्वास है कि सब योजनायें क्रियान्वित होंगी।

आदिम जाति क्षेत्रों में जो बहु प्रयोजनीय विकास खण्ड खोले गये हैं—उन से भी पूरी पूरी सहायता मिलेगी।

जहां तक छात्रवृत्तियों का सम्बन्ध है—अब विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। १९४८-४९ में केवल ८४ विद्यार्थी थे किन्तु १९५६-५७ में विद्यार्थियों की संख्या ३५०० हो गई। यह प्रगति सराहनीय है। आंध्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा केरल आदि राज्यों में आदिम जाति विद्यार्थियों की फीसें भी माफ की जाती हैं। मैं आशा करता हूं कि बम्बई तथा बंगाल में भी इसी प्रकार की सुविधायें दी जायेंगी।

आसाम जैसे राज्य में यह बड़े आश्चर्य की बात है कि पूर्ण विमुक्ति नहीं दी जा रही। अब १६ अधिकारी आदम जाति कल्याण कार्य के लिये नियुक्त किये गये हैं। यदि इसी प्रकार सभी राज्यों में ऐसे पदाधिकारी नियुक्त किये जायें तो प्रगति ज्यादा अच्छे ढंग पर हो सकती है।

दूसरे जनता के संगठनों द्वारा किये जाने वाले काम के बारे में दो प्रकार के अनुभव हैं। एक तो वह संस्थायें हैं जहां पारस्परिक झगड़े चलते हैं और वह रुपये को ठीक तरह से व्यय नहीं कर पातीं। दूसरे वह संस्थायें हैं जो बहुत ही अच्छा काम करती हैं। उन्हें जो भी रुपया मिलता है उसे वह बड़े ध्यान से व्यय करती हैं और लाभ बहुत होता है। उदाहरणार्थ बम्बई राज्य ने सर्वोदय न्यास योजनायें बनाई थीं जिन्हों ने बड़े ही सुन्दर ढंग से काम किया है। किन्तु सरकार को इस बात पर हर पहलू से विचार कर लेना चाहिये कि उन्हें स्वयंसेवी संगठनों को कितना प्रोत्साहन देना चाहिये।

जहां तक इस सम्बन्ध में मेरा अपना दृष्टिकोण है मैं तो इस बात को ही पसन्द करता हूं कि स्वयंसेवी संगठन सरकारी विभागों के साथ सहयोग कर के व्यय करें तथा सभी प्रकार से कार्य समन्वय करें। इस सम्बंध में हम ने आंध्र में आदिमजाति सेवक संघ स्थापित किया है जो सरकारी विभागों से पूरा पूरा सहयोग करता है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में सरकार पर्याप्त धन इन स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा ही व्यय कराया करेगी—इस से लोग संतुष्ट रहते हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस सम्बंध में इस सुझाव पर विचार करेगी।

श्री खादीवाला (इंदौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्तमान मध्य प्रदेश, जिस में मध्य भारत पुराना मध्य प्रदेश विन्ध्य प्रदेश और भोपाल शामिल हैं, से चुन कर आया हूं। मध्य प्रदेश जो बनाया गया है उस में से नागपुर और विदर्भ के आठ उपजाऊ जिलों को निकाल दिया गया है और उस के अन्दर भोपाल और विन्ध्य प्रदेश जिन को कि करीब चार करोड़ रुपये की सहायता दी जाती थी और जो घाटे में चलते थे, मिला दिया गया है। इन घाटे वाले प्रान्तों के मध्य प्रदेश में मिलने से आज जो वहां परेशानी और तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। इस सम्बन्ध में हमारे वित्त मंत्री जी ने भी अपने विचार जाहिर किये थे। इस के साथ साथ वहां और भी कई समस्यायें पैदा हो गई हैं। चारों प्रान्तों की जो सर्विसिस थीं वे अलग अलग थीं, उनके जो पे स्केल थे वे अलग अलग थे और इन सर्विसिस के एकीकरण की कठिनाई आज हमारे सामने है। इस समस्या को भली प्रकार सुलझाने में, वहां की सरकार काफी प्रयत्न कर रही है। इस के साथ ही साथ कायदों,

कानूनों इत्यादि को भी एक ही स्तर पर लाने का प्रयत्न वहां की सरकार कर रही है। एक ही प्रकार की एजूकेशन (शिक्षा) दिये जाने के बारे में भी वहां की सरकार व्यवस्था कर रही है। ये सब समस्यायें हैं जिन का हल खोजना है।

आज वहां की राजधानी को भोपाल ले जाया गया है और वहां पर स्थान की कमी महसूस की जा रही है। स्थान की कमी का सामना वहां की हकूमत को करना पड़ रहा है। कुछ एक मकानात अभी हाल ही में जल्दी में वहां बनाये गये हैं और जल्दी में इन को जो बनाया गया है उस की वजह से काफी खर्चा उन पर करना पड़ा है। हमारे बहुत से आफिस ग्वालियर, इंदौर, रायपुर और जब्बलपुर में हैं। शासन को भली प्रकार चलाने की दृष्टि से कई प्रकार की दिक्कतें आज वहां हमारे सामने आ रही हैं जोकि जब पुराना मध्य प्रदेश था हमारे सामने नहीं आती थीं।

यह ठीक है कि चीफ मिनिस्टर, श्री काटजू और वहां की हकूमत इस के लिये काफी प्रयत्नशील हैं कि वहां का काम ज्यादा से ज्यादा सुव्यवस्थित ढंग से चले। हमारे वर्तमान प्रदेश में चार प्रान्तों को जोड़ कर रक्खा गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी लिखा कि चारों प्रान्तों को जोड़ने के साथ जो वहां के आमद रफ्त के साधन रेल और सड़कें हैं, अगर उन को भी जोड़ दिया जाये तो यह प्रदेश ज्यादा उन्नतिशील बन सकेगा। लेकिन आज भी यह कठिनाई हमारे प्रदेश में मौजूद है। यह इतना बड़ा प्रदेश बन गया है कि झबुआ जिले से ले कर, भिंड और मोरैना से ले कर, उड़ीसा और बिहार तक फैला हुआ है। एक कोने से ले कर दूसरे कोने तक जाने में कई प्रकार की कठिनाइयां और दिक्कतें आज हमारे सामने आती हैं।

हमारे प्रान्त में हरिजनों और आदिवासियों की संख्या करीब ८१ लाख के है। यानी हमारे प्रदेश की एक तिहाई पापुलेशन हरिजनों और आदिवासियों की है, जिन में से जंगलों में रहने वाले आदिवासी भी बहुत हैं। वह भी इसी प्रदेश में रहते हैं। हमारे यहां की कुल आबादी २ करोड़ ६१ लाख की है, लेकिन एरिया में वह १ लाख और ७१ हजार वर्ग मील है, जोकि सारे देश में क्षेत्रफल के लिहाज से दूसरे नम्बर पर है। इस प्रान्त में सब से ज्यादा जरायम पेशा लोग रहते हैं, और वे जरायम पेशा लोग एक तरह से डाके और चोरी का ही काम करते हैं। भिंड और मोरैना आदि में डाकुओं की समस्या खास तौर पर है। वैसे तो पिछले समय में प्रदेश की हकूमत ने काफी प्रयत्न किया, लेकिन वह समस्या अभी हल नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश की आज की हकूमत ने भी इस के लिये काफी प्रयत्न शुरू किये हैं, लेकिन फिर भी मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह खाली मध्य प्रदेश का ही सवाल नहीं है। डाके की समस्या से सारा देश बदनाम होता है और इस के लिये जब तक केन्द्रीय सरकार की ओर से पूरे प्रयत्न नहीं होंगे, तब तक यह समस्या हल होना कठिन मालूम होता है। इसलिये यह जो डाकों की समस्या है इस को जल्दी से जल्दी दूर किया जाये। मैं अपने प्रदेश में, भिंड, मोरैना, शिवपुरी या गुना जहां जहां भी इन डाकों के होने पर गया, मैं ने देखा है . . . . . .

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : अपनी जान बचाइये।

श्री खादीवाला : जान तो सब की बचाने की बात है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि भिंड, मोरैना, विंध्य प्रदेश, जोकि देश के मध्य के इस प्रदेश में हैं, सब जगह की डाकुओं की समस्या हमारे सामने है, और इसे हम को देखने की जरूरत है।

अभी केन्द्र की ओर से नये टैक्सेज (कर) लगाये गये हैं। हमारे प्रान्त की समस्यायें भी ऐसी ह कि आमदनी बहुत कम और नया प्रान्त बनने की वजह से खर्च काफी बढ़ गया है। प्रदेश के चारों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खादीवाला]

भागों में पे स्केल्स अलग अलग हैं। लेकिन जहां पर ज्याद पे (वेतन) मिलता है, और जहां पर कम पे मिलती है, अगर दोनों को बराबर न किया गया, अगर कम पे पाने वालों को ज्यादा पाने वालों के बराबर न किया गया, तो उस से असन्तोष फैलेगा। यह सवाल भी हमारे नये मध्य प्रदेश के लिये एक बड़ा भारी सवाल है। हमें यह पे स्केल्स (वेतन-स्तर) भी बराबर करने होंगे, और इस सम्बन्ध में हमारे सामने आर्थिक प्रश्न बड़ा कठिन है।

हमारे प्रदेश में भी शराबबन्दी शुरू हो गई है, और हर साल एक एक जिले में शराबबन्दी की जाती है। इस की वजह से भी जो आमदनी हम को होती है वह कम होती जाती है। इसलिये भी आर्थिक प्रश्न हमारे यहां पैदा हो गया है। केन्द्र ने टैक्सेज़ लगाये उस का असन्तोष तो लोगों के सामने है ही, लेकिन अगर प्रदेश में भी नये टैक्सेज़ लगाये गये तो वहां की जनता उन को कैसे बर्दाश्त करेगी। इसलिये मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे प्रदेश की ओर ज्यादा ध्यान दें। वह मध्य प्रदेश है, देश के मध्य में है और वह इतना लम्बा चौड़ा है कि कई समस्यायें हमारे सामने आ गई हैं।

वास्तव में तो हम चाहते थे कि मध्य भारत एक इकाई के रूप में रहे लेकिन केन्द्रीय हकूमत ने प्रदेशों के बनाने के सम्बन्ध में इसी में भलाई देखी कि यह चारों भाग मिला कर एक बड़ा प्रदेश बने। हर प्रदेश में इस चीज को ले कर कुछ झगड़े हुए, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। केन्द्र ने जो निश्चय किया, हम ने उसे स्वीकार किया, और उस चीज को शक्तिशाली बनाने के लिये मध्य प्रदेश के लोग पूरी तरह से अपने प्रयत्न और कोशिशें कर रहे हैं। यह मेरा काम है कि उस प्रदेश की कठिनाइयां मैं आप के सामने रक्खूं। यदि वहां की कठिनाइयां मैं यहां पर नहीं रखता हूं तो शायद वह हमारे प्रदेश की भलाई की बात नहीं होगी। इसलिये इस प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिये मैं माननीय गृह-मंत्री जी से निवेदन करूंगा।

यह ठीक है कि पुनर्गठन समिति ने खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में यह सुझाव दिया था कि इस प्रान्त में काफी खनिज पदार्थ हैं और आगे जा कर इस प्रदेश की आमदनी अद्भुत बढ़ेगी। लेकिन वह आगे जा कर बढ़ेगी। आज जो सवाल हमारे यहां के हैं, उन के लिये क्या किया जाये, प्रश्न इस का है। हमारे यहां लोहा है, हमारे यहां कोयला है, हमारे विंध्य प्रदेश में हीरे और पन्ने की खदानें जरूर हैं, लेकिन आज हमें उस से कोई आमदनी नहीं हो रही है। यह तो बात तब की है जबकि हमें आमदनी होने लगेगी। प्रदेशों के पुनर्निर्माण की समिति ने जो सुझाव दिये हैं उन में यह बताया गया है कि भोपाल को सरकार की ओर से ४ करोड़ पये की मदद दी जाये। वह अभी तक उस के खाते में चलते जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हमारे प्रदेश अपने पांवों पर खड़ा न हो जाये तब तक उस को दी जाने वाली मदद कम न की जाये, बल्कि वह ज्यादा बढ़ाई जाये ताकि हमारा प्रदेश अपने पांवों पर खड़ा हो कर शक्तिशाली बने और अन्य प्रदेशों से आगे बढ़े।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय) : श्रीमान्, मैं ने एक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो अल्पसंख्यकों को दिये गये सांविधानिक संरक्षणों के बारे में हो रहे कार्य से संबंध रखता है। मैं सभा का ध्यान केरल शिक्षा विधेयक की ओर विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं।

सब से पहले तो मेरा निवेदन यह है कि यह विधेयक संविधान में अल्पसंख्यकों को दिये गये धार्मिक तथा भाषा सम्बन्धी संरक्षणों के विरुद्ध हैं और केन्द्र का यह कर्तव्य है कि उन संविधानिक संरक्षणों का ख्याल रखे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक मूल भूत अधिकारों का सम्बन्ध है, उन के उल्लंघन आदि के मामलों पर न्यायालय ही विचार कर सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले से इस सभा का कैसे सम्बन्ध है। मैं समझता हूं शिक्षा का मामला पूर्णतया राज्य सरकार से सम्बन्धित है।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : यही तो मैं बता रहा था। इस विधेयक के उपबन्ध मूल भूत अधिकारों के विरुद्ध ही नहीं बल्कि आंग्ल भारतीय जनता को दिये गये विशेष संरक्षणों के विरुद्ध भी हैं। राष्ट्रपति ने अल्पसंख्यकों के लिये एक आयुक्त नियुक्त किया है और उस का प्रतिवेदन सभा में रखा जाता है। इस प्रकार यह मंत्री उन के संरक्षण के लिये उत्तरदायी हैं। इन उपबन्धों से संविधान के अनुच्छेद ३३७ का उल्लंघन हो जाता है। संविधान में दिये गये संरक्षणों की देखरेख विशेष आयुक्त करता है और वह अपना प्रतिवेदन इस सभा को प्रस्तुत करता है। इसलिये यह सभा देख सकती है कि आंग्ल-भारतीयों को दिये गये संरक्षण ठीक प्रकार से चल रहे हैं या नहीं। यह मूलभूत अधिकारों का ही नहीं वरन् संविधान के अनुच्छेद ३३७ का भी उल्लंघन करता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुच्छेद ३३७ तो वित्तीय अनुदानों से सम्बन्धित है।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : इसी उपबन्ध का दुरुपयोग तो वह कर रहे हैं। संविधान के अनुसार उन्हें अनुदान देना जरूरी है परन्तु वह विधेयक में कुछ ऐसे उपबन्ध कर रहे हैं जिस से संविधानिक संरक्षणों का उल्लंघन होता है और वे स्कूलों की सम्पत्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कुछ भी करें ; हमारा इस से सम्बन्ध कैसे है। हमारा सम्बन्ध केन्द्रीय विषयों से ही है।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : आंग्ल भारतीयों के बारे में अनुच्छेद ३३८ में विशेष उपबन्ध हैं। प्रत्येक वर्ष इस सभा में विशेष आयुक्त के प्रतिवेदन पर विचार किया जाता है। इस सम्बन्ध में यह भी विचार किया जाता है कि किन किन राज्यों ने अनुदान दिये और कौन कौन राज्य संविधानिक संरक्षणों का उल्लंघन कर रहे हैं।

इस के बाद सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिये विधेयक में एक और उपबन्ध है। इस विधेयक को राज्य विधान सभा पारित नहीं कर सकती। मैं माननीय गृह मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह राष्ट्रपति से प्रार्थना करें कि वह इस विधेयक पर अपनी अनुमति न दें।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अभी तक यह नहीं समझ सका हूं कि हम कैसे राष्ट्रपति को यह सलाह दे सकते हैं। यदि इस प्रकार की आज्ञा दी जाये तो उस विधेयक पर इस सभा में सामान्य चर्चा होगी, यह ठीक बात नहीं है। वहां राज्य विधान सभा में भी आप के प्रतिनिधि हैं।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : श्रीमान्, यह उत्तरदायित्व माननीय गृह मंत्री का है। जब कभी ऐसे संरक्षणों का उल्लंघन हो तो माननीय गृह मंत्री ही उस मामले में कार्यवाही कर सकते हैं। मैं इस बात को आयुक्त के प्रतिवेदन के आधार पर ही उठा रहा हूं।

दूसरे यह मामला अविलम्बनीय है। उन्हों ने यह खबर भी फैला दी है कि गृह मंत्रालय तथा विधि मंत्रालय ने सिद्धान्ततः इस विधेयक को स्वीकार कर लिया है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति न दें क्योंकि यह विधेयक अल्पसंख्यकों का गला घोटता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ईश्वर अय्यर (त्रिवेन्द्रम): मेरा एक औचित्य प्रश्न है। संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यकों की शिक्षा सुविधाओं के बारे में कोई संरक्षण नहीं है। इसलिये जब तक इस बात का स्पष्टीकरण नहीं हो जाता तब तक यह मामला कैसे उठाया जा सकता है।

†श्री फ्रैंक एन्थनी : भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यक के नाते हमारा यह मूलभूत अधिकार है कि हम चाहे जैसे भी स्कूल खोलें। यह विधेयक इस संरक्षण के विरुद्ध है।

†अध्यक्ष महोदय : अनुच्छेद ३३८ में अनुसूचित जातियों के लिये एक आयुक्त की नियुक्ति का उपबन्ध है। उस के प्रतिवेदन पर इस सभा में भी विचार होता है। किन्तु हमें देखना यह है कि यह विधेयक प्रतिवेदन के उपबन्धों का उल्लंघन कहां तक करता है। इस सम्बन्ध में मुझे अब भी सन्देह है कि हम यहां इस चर्चा को उठा सकते हैं। इसलिये माननीय गृह मंत्री से ही पहले इस शंका का स्पष्टीकरण कराना चाहिये। हमें उन की बात सुननी चाहिये। वैसे तो यह काम वहां की विधानसभा का है। माननीय गह मंत्री हमें इस मामले में सलाह दें।

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त): मैं इस मामले पर कोई राय देने के योग्य अपने आप को नहीं समझता। जहां तक केरल शिक्षा विधेयक के उपबन्धों का प्रश्न है—वह विधेयक इस समय वहां की प्रवर समिति के पास है और मैं समझता हूं कि हमें उन उपबन्धों पर विचार नहीं करना चाहिये, क्योंकि शिक्षा का विषय राज्य के क्षेत्राधिकार में ही आता है। किन्तु यदि किसी अल्पसंख्यक वर्ग के किन्हीं अधिकारों का उल्लंघन होता है—उस दृष्टि से यदि आप किसी को बोलने की रियायत दे सकते हों तो यह आप की अपनी इच्छा पर है।

†अध्यक्ष महोदय : हम इस विधेयक पर सामान्य चर्चा की आज्ञा नहीं दे सकते हैं किन्तु जो शिकायतें उन्हें हैं वह उस सम्बन्ध में कह सकते हैं।

†श्री ईश्वर अय्यर : मैं सिर्फ़ यह बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद ३३७ में संघ द्वारा या राज्यों द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों का जिक्र है। इस का शिक्षा सम्बन्धी नीति से कोई संबंध नहीं। यदि माननीय सदस्य अनुदानों की आलोचना करें तब तो ठीक है, वरना अन्य कोई बात यहां नहीं उठती।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह बतायें कि इस विधेयक के कारण उन की आंग्ल भारतीय जाति को क्या हानि होगी ?

†श्री फ्रैंक एन्थनी : उन्हें अनुदान तो देने होंगे किन्तु उन का प्रयोग स्कलों को बर्बाद करने के लिये किया जायेगा। इस प्रकार से वह आंग्ल भारतीय जाति का गला घोट देंगे। अनुच्छेद ३३७ के अनुसार राज्यों को अनुदान देना अनिवार्य है। किन्तु केरल सरकार संविधानिक संरक्षणों को तोड़ मरोड़ कर सहायता-प्राप्त स्कूलों को खत्म ही कर देगी।

†अध्यक्ष महोदय : यदि आप की यही शिकायत है तो व यहां इस को व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं इस के बारे में बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।

†श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं तो केवल यही बात कहना चाहता था।

†अध्यक्ष महोदय : मैं अब राजा महेन्द्र प्रताप को बुलाऊंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : सब से पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं अंग्रेजी में नहीं बोल रहा हूं, मैं विश्व संघ की भाषा में बोल रहा हूं ।

पंजाब में जो गड़बड़ चल रही है उस का मूल कारण मैं समझता हूं । जो लोग यह कहते हैं । कि यह दैवी घटनायें हैं मैं उन से विरोध रखता हूं । मैं दस वर्ष मास्को में रहा हूं, वहां श्री लेनिन मुझ से मिले ; मैं साम्यवाद को खूब समझता हूं । साम्यवादी केवल भूख मिटाने की बात करते हैं जो पर्याप्त नहीं है । मैं जर्मनी, जापान तथा अमेरिका भी गया था ।

मैं ने अमेरिका में बताया था कि व्यक्ति पर दो प्रभाव होते हैं—एक तो पैतृक प्रभाव होता है और दूसरा राजनैतिक ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

पंजाब में हिन्दी पंजाबी का यह जो झगड़ा है वास्तव में यह झगड़ा मानसिक विचारों का झगड़ा है ।

मैं सर्वत्र शान्ति चाहता हूं । हमारी सेनाओं में राजपूत-जाट-मराठों तथा गुरखों की बहु-संख्या है । हमें सभी को संतुष्ट रखना चाहिये ।

यदि माननीय गृह मंत्री मुझे पूरी सुविधायें दें तब मैं पंजाब जाने के लिये तैयार हूं और वहां पर शान्ति के लिये प्रयत्न कर सकता हूं ।

राजस्थान में भी विद्यार्थियों के झगड़े चल रहे हैं, डकेतियां हो रही हैं । राजपूत और जाट जिन के पास जमीन नहीं रही वह डाकू बन गये हैं, इन्हें भी ठीक किया जा सकता है । मैं डाकुओं की एक सेना संगठित करने को तैयार हूं ।

मुझे एक बात का बड़ा खेद है । मैं बाहर के देशों में जहां जहां गया वहां के राजा-महाराजाओं से मिला और उन्होंने मेरा बड़ा आदर किया । मेरे लिये सभाओं का आयोजन किया गया और लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, परन्तु मैं यहां देखता हूं कि अपने ही देश में अपने ही लोग मेरी बात नहीं सुनते और मेरी ओर ध्यान नहीं देते ।

†श्री राधा रमण (चांदनी चौक) : माननीय सभापति जी, मैं गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में कुछ विचार सदन के सामने रखने के लिये खड़ा हुआ हूं । सदन के सदस्यों को इस बात का परिचय है कि दिल्ली की सरकार अब गृह मंत्रालय के सीधे नीचे काम करती है । जब से दिल्ली की विधान सभा को हटाया गया है, तब से यहां की सारी समस्याओं की देख-भाल हमारे गृह मंत्री स्वयं ही करते हैं और उन में से बहुत सी समस्याओं का निवारण भी करते हैं । दिल्ली की समस्याओं के विषय में एक मुशावरती कमेटी—एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार समिति)—भी बनी हुई है, जोकि समय समय पर दिल्ली से सम्बन्ति मसलों पर गृह मंत्री को सलाह देती है । फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं, जिन से इस सदन के सभी सदस्य दिलचस्पी रखते हैं और इसीलिये मैं ने इस बात की धष्ठता की है कि मैं उन में से कुछ बातों को सदन के सामने रखूं ।

कुछ दिनों से यह विचार गृह मंत्री और गृह मंत्रालय के द्वारा देश के सामने रखा जा रहा है—और इस सम्बन्ध में भी मैं ने भी एक प्रस्ताव भेजा था—कि आजादी के बाद से इस देश की जेलों में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है और उन का संचालन पुराने ढंग से ही किया जा रहा है । ज्यादातर कैदियों के साथ वैसा ही व्यवहार होता है, जोकि अंगरेजों के जमाने में होता था । यह देखने में आता है

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राधा रमण]

कि जो देश आज-कल बहुत आगे बढ़ रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं, उन में कैदियों के साथ जेलों में अब कुछ मानुषिक व्यवहार किया जाता है, जिस का परिणाम यह है कि बजाय इस के कि एक व्यक्ति कोई जुर्म या गुनाह कर के जेल में जाय, तो जेल में रहने से उस की आदतें और भी बिगड़ जायें और बाहर आ कर वह उस जुर्म या गुनाह को दो बार या सहबार करे, वह जेल से एक अच्छा नागरिक बन कर आता है और समाज और देश के लिये उपयोगी सिद्ध होता है। हमारे हिन्दूस्तान में पुरानी जेल मैनुअल (पुस्तिका) के आधार पर ही सारा काम चल रहा है। जनता की ओर से बहुत बरसों से यह पुकार की जा रही है कि अब इस में परिवर्तन किया जाना चाहिये। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में यह जिक्र किया गया है कि इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं। उस में कहा गया है कि इंस्पैक्टज़ जैनरल आफ़ प्रिज़नर्ज़ की एक कांफ्रेंस हुई थी और उसमें इस विषय पर विचार किया गया था और एक जेल मैनुअल का ड्राफ्ट तैयार किया गया है लेकिन मैं देखता हूं कि यह काम बड़े ढीले तरीके से हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द एक नई जेल मनुअल बनाई जाय और कैदियों के साथ पुराने तरीके का बरतावा न कर के नये वातावरण के अनुसार और नये तरीकों से उनका सुधार किया जाय। मैं माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस ओर अपना ध्यान दें ताकि जेल मैनुअल और जेल के कर्मचारियों से संबंधित जितने नियम इत्यादि हैं, उनमें आज की परिस्थितियों के अनुसार जल्द से जल्द सुधार हो, जिससे हमें कुछ सन्तोष हो कि इस विषय में हम कुछ आगे बढ़े हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ समय पहले हमने बहुत कुछ विचार विनिमय करके दिल्ली में नशाबन्दी की पालिसी अख्तियार की थी और हमने यह निश्चय किया था कि आहिस्ता-आहिस्ता यहां पर नशाबन्दी पूर्ण रूप से लागू कर दी जायगी। हमारे नेता और जनता दोनों यह महसूस करते हैं कि देश भर में नशाबन्दी लागू कर दी जाय और इसलिए यह आवश्यक है कि दिल्ली में भी, जो कि देश की राजधानी है, नशाबन्दी लागू कर दी जाय। नशाबन्दी के सम्बन्ध में कई राज्यों में प्रयास हो भी रहा है और कहीं-कहीं सफलता भी हुई है, लेकिन पूर्ण रूप से सफलता कहीं भी नजर नहीं आती है। बम्बई को हम नशाबन्दी का बहुत बड़ा केन्द्र कहते हैं, लेकिन वहां पर भी यह देखने में आता है कि यद्यपि शराब बेचना और पीना कानूनन बन्द है, लेकिन फिर भी गैर-कानूनी तौर पर बहुत काफी शराब बनती है और बहुत लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ कि यह ऐसा विषय है, जिस पर हिन्दुस्तान में कोई दो मत नहीं हैं। सभी चाहते हैं कि हिन्दुस्तान से यह लानत हमेशा के लिए पूर्ण रूप से दूर हो जाय और इस के लिए कितने भी प्रयोग किए जा सकते हैं, वे किए जा रहे हैं, जितने भी सुझाव सामने आते हैं, उन पर यथाशक्ति अमल किया जा रहा है। दिल्ली के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी पालिसी और काम में धीमापन है। यह ठीक है कि यहां भी कुछ कदम उठाए गए हैं। "सूखे" दिन बढ़ाए गए हैं, देसी शराब की दुकानें कम की गई हैं और वलायती शराब के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया गया है--लेकिन मैं समझता हूं कि ये कदम बिल्कुल नाकाफी साबित हुए हैं। बल्कि उन का नतीजा यह हुआ है कि गैर-कानूनी शराब बहुत तेजी से बिकने लगी है--देशी भी और विलायती भी--और मैं समझता हूं कि आहिस्ता-आहिस्ता बहुत जगहों में ऐसे छिपे केन्द्र बन रहे हैं जहां शराब बनती है अथवा बिकती है। इस तरफ हरमारा ध्यान जाना चाहिये। मैं गृह मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस पालिसी के बारे में उनका जो निर्णय था, उस को वह ज्यादा तटस्थता के साथ और तेजी के साथ यहां पर लागू करें और बहुत जल्द ही राजधानी को इस लानत से पाक कर दें। यह एक ऐसा स्थान है जहां कि हम नशाबन्दी को पूरी तरह से लागू कर के दूसरे राज्यों को भी फायदा उठाने का मौका दे सकेंगे। गृह मंत्री की रिपोर्ट में यह दर्ज किया गया

है कि देसी शराब की दुकानें पहले से कम की गई हैं। लेकिन मालूम होता है कि इसमें कुछ गलती हुई है। लिखा है कि देसी शराब की दुकानों की संख्या घटाकर ७ से ८ कर दी गई। मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ गलती है। इसको रेक्टीफाई (ठीक) कर देना चाहिए। दिल्ली में शराब बेचने और पीने के जो गैर-कानूनी और छिपे केन्द्र बन गए हैं, उनको बन्द करने की जरूरत है। पुलिस ने इस सम्बन्ध में थोड़े रेड्ज वगैरह किए हैं और उसके नतीजे के तौर पर बहुत काफी लोगों को पकड़ा है और कई मुकदमे चलाए गए हैं। लेकिन यह एक सर्वमान्य बात है और जो लोग दिल्ली में और उसके आस-पास लोगों से मिलते जुलते हैं, वे जान सकते हैं कि यह नशाबन्दी का प्रोग्राम कुछ बहुत सफल नहीं हो रहा है। इसके अलावा पूर्ण नशाबन्दी न होने से इस प्रकार के गैर-कानूनी काम करने वालों के लिए ज्यादा आसानी होती है। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि दिल्ली में शराब-बन्दी की जो पालिसी लागू हुई है उसको ज्यादा से ज्यादा ठोस बनाया जाय। अगर हम समझते हैं कि सिर्फ कानून से ही पूर्ण रूप से शराब-बन्दी हो जायगी और लोग शराब पीना छोड़देंगे, तो मैं समझता हूं कि हमें ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। हमने इसके बारे में एक योजना मंत्री महोदय के सामने रखी थी कि इस विषय में ज्यादा से ज्यादा प्रचार होना चाहिए और बहुत से ऐसे केन्द्र होने चाहिएं जहां लोगों को यह बताया जाना चाहिए कि शराब पीने से कितना नुक्सान होता है और यह आदत व्यक्ति, परिवार, समाज और देश के लिए कितनी तक्लीफदेह और बुरी है। जो सामाजिक संस्थाएं शराब-बन्दी पर पूर्ण और अटूट विश्वास रखती है, इस सम्बन्ध में उनकी सहायता भी ली जानी चाहिए।

इस प्रकार के प्रचार का काम दिल्ली में बिल्कुल नहीं हुआ है और मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें। जो योजना हमने पहले दी थी या किसी नई योजना के मातहत हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि जो लोग आदतन शराब पीने लगे हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता यह बताया जाये कि यह बुरी चीज है और इसके पीने और पिलाने से सोसाइटी को और अपने आपको नुकसान होता है।

तीसरी चीज मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि दिल्ली में, अभी थोड़ा अर्सा हुआ, जब बहुत काफी तिजारत में लगे हुए भाइयों ने इस बात की आवाज उठाई थी, और वह सही थी, कि दिल्ली में इंटर स्टेट सेल्स टैक्स नहीं लगना चाहिए और इस सम्बन्ध में कुछ हड़ताल भी हुई। बदकिस्मती से इस सम्बन्ध में टियरगैस (अश्रुगैस) भी छोड़ी गयी और कुछ लोगों को इससे तकलीफ भी हुई। लेकिन अभी तक उस पर कोई घोषणा हमारे गृह मंत्रालय से नहीं निकली है। यह बात पूरे तौर पर स्पष्ट हो चुकी है कि दिल्ली का मामला इंटर स्टेट सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में दूसरे राज्यों से बिल्कुल भिन्न है। दिल्ली एक छोटी सी जगह है, कुल १५ मील के रकबे में है और यह सदियों से तिजारत का बहुत बड़ा केन्द्र रहा है, खास तौर पर कपड़े की तिजारत का तो यह इतना जबरदस्त केन्द्र रहा है कि बम्बई और अहमदाबाद के मुकाबले का केन्द्र है। तमाम हिन्दुस्तान से और इन दोनों इलाकों से कपड़ा यहां आता है और जितना कपड़ा यहां आता है उसका ९० या ९५ फीसदी बाहर जाता है, बाकी की यहां खपत होती है। कपड़ा और दूसरी चीजें जो यहां बाहर से आती हैं उनकी पांच या सात फीसदी यहां खपत होती है, बाकी यू० पी०, राजस्थान आदि इलाकों को जाती हैं। इसलिए १-७-५७ से जब से यह टैक्स लागू हुआ है यहां की तिजारत बिगड़ती जाती है। लोगों ने आसपास के इलाकों में और बहुत से केन्द्र खोल लिये हैं और जो लोग पहले यहां से कपड़ा लेते थे वे अब उन केन्द्रों से खरीदते हैं। नतीजा यह हुआ है कि यहां मंडी में लोग हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। हजारों की तादाद में

[श्री राधा रमण]

लोग यहां आकर कपड़ा और दूसरा सामान खरीदते थे और उससे वहां की तिजारत पनपती थी और लोगों के पेट भरते थे और लोग अपनी अजीविका का प्रश्न भी हल कर लेते थे। इसमें बहुत कुछ बाधा आ रही है।

इस सम्बन्ध में एडवाइजरी कमेटी के मेम्बरान ने गृह मंत्री से कई बार बात चीत की और विचार विनिमय किया और उनकी हमदर्दी शुरू से सेल्सटैक्स (बिक्री कर) के सम्बन्ध में तिजारती भाइयों से रही है लेकिन गृह मंत्रालय की घोषणा में देरी लग रही है और उसके कारण बहुत असंतोष है। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी इस सम्बन्ध में अधिक देर न करते हुए इसकी घोषणा जल्द से जल्द करें और ऐसी घोषणा करें कि जिससे यहां के तिजारत के लोगों को संतोष हो और वे कह सकें कि हां दिल्ली की तिजारत की तकलीफों को गृह मंत्री जी ने और केन्द्रीय सरकार नें सही मानों में समझा और उसका ऐसा हल पेश किया कि जिस हल को वे लोग मंजूर कर सकें।

आखिर में मैं इस सम्बन्ध में एक बात और कह कर बैठ जाऊंगा। हमारे यहां दिल्ली में एक कारपोरेशन बिल के लागू करने की बात बहुत दिनों से चल रही है। यह भी कहा गया था कि वह कारपोरेशन बिल बहुत जल्द ही सदन में रखा जायेगा। हमें उम्मीद तो यह थी कि पार्लियामेंट के इसी सेशन में वह बिल सदन के सामने आ जायेगा। लेकिन अभी तक वह पार्लियामेण्ट के सामने नहीं रखा गया है और मुमकिन है कि, और ऐसा प्रतीत होता है, कि वह बिल शायद इस सेशन में सदन के सामने न आ सके। जैसा कि मंत्री महोदय को मालूम होगा हमारी वर्तमान दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी का टर्म (नगरपालिका की अवधि) ३१ अक्तूबर को खत्म हो जायेगा और फिर उसके बाद जब तक कि कोई कारपोरेशन या कोई ऐसा निजाम हमारे सामने नहीं आ जाता कि जिसे सरकार मंजूर करे, तो बीच में एक रुकावट पैदा होने का डर है। इसलिए ख्याल यह था कि कमेटी की मियाद खत्म होने से पहले वह बिल सदन के सामने रखा जायेगा और पास हो सकेगा। लेकिन यह न हो सका। अब हम यह चाहते हैं कि यह बिल जल्दी से जल्दी सदन के सामने रखा जाये और उस पर लोगों की राय लेकर, जिससे लोगों को संतोष हो सके, जल्द से जल्द लागू किया जाये ताकि कमेटी की मियाद खत्म होने के पहले नहीं तो कम से कम उसके बात बहुत जल्दी वह कानून आ जाये और उसके मुताबिक दिल्ली के अन्दर अमल शुरू हो सके। हमको यह बताया गया था कि इस बिल को इस सेशन में या इससे अगले सेशन में लाकर पास कराकर और मार्च १९५८ तक दिल्ली में कारपोरेशन (निगम) स्थापित कर दिया जायेगा। लेकिन अभी तक यह बिल सदन के सामने नहीं आया है और इस पर बहुत विचार विनिमय होना है और यह काफी लम्बा बिल है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसके लिए यह मियाद भी शायद काफी नहीं होती। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को जल्दी से जल्दी हमारे सामने लावें ताकि ३१ मार्च तक उसको पास करके यहां पर लागू कर दिया जाये। अगर ऐसा हुआ तो यह काफी संतोषजनक होगा क्योंकि इस पर दिल्ली की बहुत सी समस्याओं के हल होने का दारोमदार है जिनके कारण आज जनता में असंतोष भी रहता है।

मैं इन चन्द बातों को आपके सामने रखना चाहता था। इनको मैंने गृह मंत्री जी के सामने रख दिया है। इन बातों को सदन के सामने रखते हुए गृह मंत्रालय की जो मांगें हैं उनका मैं समर्थन करता हूं।

†**श्री र० स० अरुणगम** (विल्लीपुत्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : श्रीमान् आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

इस समय सब से महत्वपूर्ण प्रश्न सरकारी कर्मचारियों के वेतन के बारे में है । सरकारी कर्मचारी कई वर्गों के होते हैं । इसके बाद केन्द्रीय तथा राज्यों के कर्मचारियों में भी एक अस्वस्थ अन्तर है । श्रीमान, राज्यों में भी स्थिति वैसी ही है जैसी कि यहां पर है । महंगाई बढ़ी हुई है । इस कारण राज्यों के कर्मचारियों के वेतन भी केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन के समान किये जाने चाहियें । मैं आशा करता हूं कि वेतन आयोग इस बात पर विचार करेगा ।

वेतन आदि के अतिरिक्त उन्नति आदि के प्रश्नों पर भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये—वर्तमान नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है । जितना भार आप पदाधिकारियों के स्वविवेक पर छोड़ते हैं उतनी ही खराबी होती है ।

मद्रास राज्य में श्री लंका से बहुत से लोग वापस आ रहे हैं । इस सम्बन्ध में भी भारत सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिये । उन्हें रोजगार दिलाने में काम दिलाऊ दफ्तर अधिक उत्साह से काम करें । सरकार सहकारी उद्योग भी चला सकती है ।

माननीय गृह मंत्री ने अस्पृश्यता निवारण के लिये बहुत कुछ किया है—किन्तु अभी ग्रामों में हरिजनों से अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता । इसलिये तत्सम्बन्धी कानून को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जाना चाहिये ।

अभी कुछ दिन पहले ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी घटना हुई । ९ हरिजनों को उठाकर पीटा गया । उनका दोष यह था कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था । जो लोग वहां कांग्रेस को वोट देते हैं उनके मकान, फसलें जला दिये जाते हैं । क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि गरीब हरिजनों को ऐसे गुण्डों से बचाया जाये । पुलिस में पर्याप्त हरिजनों की भरती की जानी चाहिये ।

छात्रवृत्तियों के बारे में वैसे तो कोई शिकायत नहीं की जा सकती—किन्तु पैसे मिलने में प्राय बड़ी देर हो जाती है और जिन कालेजों में फीस पहले ली जाती है—वहां पर हरिजन विद्यार्थी प्रवेश नहीं पा सकते । इस कारण सरकार को ऐसे सभी स्कूलों को हिदायत करनी चाहिये कि वे हरिजनों के विद्यार्थियों को अवश्य प्रवेश कर लिया करें ।

मैं अन्त में माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह हरिजनों को भारतीय प्रशासनिक तथा पुलिस सेवाओं तथा न्यायपालिका सेवाओं में भी आवश्यक रूप से पर्याप्त अवसर दें ।

श्री जाधव (मालेगॉव) : सभापति महोदय, मैंने एक कट मोशन (कटौती प्रस्ताव) पेश की है । अभी अभी इस सवाल के बारे में एक मान्यवर सदस्य ने अपने विचार प्रकट किए हैं और अपनी तकरीर के दौरान में उन्होंने मराठी में जो कहावत है उसको यहां पर सुनायी है । इस तकरीर को सुन कर मुझे बहुत दुख हुआ । उन्होंने मराठी में कहा है :—

"शिलया कढीला ऊत कशाला आणतां"

हमारे सामने तथा हमारे देश के सामने जो बड़ी बड़ी समस्यायें हैं और जिन को सुलझाने की हमारे देश को कोशिश करनी पड़ रही है उन सब का ज़िक्र मेरे मान्यवर मित्र ने किया है । परन्तु महाराष्ट्र के सवाल को उन्होंने पूहपूह करने की ही कोशिश की है । इससे मुझे बहुत दुःख

[श्री जाधव]

हुआ है। यह जो सवाल है, यह केवल हम लोगों का ही नहीं है, बल्कि सारे देश का सवाल है। हिन्दुस्तान के नक्शे में गुजरात और महाराष्ट्र एक खास पोज़िशन रखते हैं। गुजरातियों तथा महाराष्ट्रियों की जनसंख्या करीब करीब पांच करोड़ है। आपने इनके भविष्य के बारे में जो फैसला किया है वह उनकी भावनाओं के प्रतिकूल है। आपने अपना हल उन पर ज़बरदस्ती थोपा है। यह जो प्राप्त सूचना दी गई है यह उनके दृष्टिकोण की उपेक्षा करके की गई है। इस आगस्त (महान) सदन ने महाराष्ट्र के प्रतिनिधियों की आशाओं तथा उमंगों की कोई भी परवाह नहीं की है और उनके साथ बड़ा भारी अन्याय किया है। मेरे माननीय सदस्य ने जिस कहावत को यहां रखा है, उसे उन्हें इतनी घृणा के साथ नहीं कहना चाहिए था। मैं भी एक अंग्रेज़ी की जो कहावत है उसको आपके सामने रखना चाहता हूं :—

"मदर ओनली नोज़ दी पैंग्स आफ डेलिवरी" (प्रसव की वेदना केवल मां ही जानती है)

हमको इससे क्या नुक्सान होता है, क्या तकलीफ होती है, यह बतलाना मैं बहुत जरूरी समझता हूं। डा० अम्बेदकर साहब ने जोकि संविधान बनाने में सब से आगे थे उन्होंने अपनी पुस्तक 'थाट्स आन लिंग्वेस्टिक स्टेट्स" में लिखा है :—

"संविधान के अनुच्छेद ३ में संसद को नये राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए, जिसकी बड़ी मांग थी, समय नहीं था।"

डा० अम्बेदकर के सामने ही नहीं संविधान बनाने वाले जितने भी लोग थे उन सब के सामने यह सवाल बहुत तेज़ी से खड़ा हुआ था और इसका डा० अम्बेदकर साहब ने खास तौर से अपनी किताब में ज़िक्र किया है। यह जरूरी था कि हिन्दुस्तान में सूबे किस आधार पर बनाये जायें और इसका जो इलाज हो सकता था उसका ज़िक्र उन्होंने अपनी किताबों में किया है।

दूसरी बात जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं वह यह है कि हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया ने इस बात को माना है कि एक राज्य में एक ही भाषा हो। फ्रांस, इंगलैंड और अमरीका सभी देशों के संविधानों में मिलेगा—एक राज्य एक भाषा।

जिस एस० आर० सी० कमिशन की स्थापना की गई थी, उसने भी अपने प्रतिवेदन के पैरा १३० में लिखा है कि अधिकांश राज्य मुख्यतया एक भाषा भाषी हैं (१) पश्चिमी बंगाल, (२) उड़ीसा, (३) बिहार, (४) उत्तर प्रदेश, (५) राजस्थान, (६) मध्य भारत, (७) सौराष्ट्र, (८) मैसूर, (९) ट्रावनकोर-कोचीन तथा (१०) आन्ध्र।

ये जितने भी सूबे थे इनकी रचना भाषा के आधार पर की गई थी। लेकिन समझ में नहीं आता वे कौन सी वजूहात हैं जिनको आगे करके हम से यह कहा जाता है कि हिन्दुस्तान की जो सिक्युरिटी (सुरक्षा) है, हिन्दुस्तान की जो स्टैबिलिटी (स्थायित्व) है, उसको एक भाषी राज्य बनाने से खतरा पैदा होता है। क्यों यह कहा जाता है कि इस वजह से हम एक भाषी प्रान्त नहीं बनाना चाहते? मैं पूछना चाहता हूं कि दूसरे जो सूबे थे और जो एक भाषी थे क्या उनके निर्माण से भारत की स्टेबिलिटी को कोई खतरा पैदा हुआ? उत्तर प्रदेश जोकि एक भाषी प्रान्त था क्या उस एक भाषी प्रान्त की वजह से कोई ऐसी बात पैदा हुई थी कि जिस के आधार पर यह कहा जा सकता हो कि हमारे हिन्दुस्तान की सिक्योयरटी को, हिन्दुस्तान की स्टेबिलिटी को कोई धक्का लगा है। एक भाषी प्रान्त बना देने से ही देश की स्टेबिलिटी को कोई खतरा पैदा नहीं हो सकता है। हमारे गृह मंत्री महोदय बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह से प्रान्तों की रचना करने से भारत की सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी को कोई खतरा पैदा नहीं होता है। क्या दूसरे

जो एक भाषी सूबे हैं उनमें कोई इस तरह की बू आई है कि वे भारत की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा हो रहे हैं। ऐसी बात कभी नहीं हुई और न कभी होगी। हम सब से पहले हिन्दुस्तानी हैं और बाद में हम किसी सूबे के हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हिन्दुस्तान को कोई भी किसी किस्म का खतरा पैदा न हो और इसके टुकड़े टुकड़े न हों। हम चाहते हैं कि यह फले फूले, पनपे तथा आगे बढ़े। लेकिन जब संयुक्त महाराष्ट्र तथा गुजरात के प्रश्न सामने आते हैं तो क्या वजह है कि इस प्रकार की दलीलें पेश की जाती हैं। मैंने उन सब तकरीरों को पढ़ा है जोकि इस सदन में तथा राज्य सभा में एस० आर० सी० की रिपोर्ट के बारे में दी गई हैं। मैंने इस रिपोर्ट को भी बड़े गौर से पढ़ा है। मैंने देखा है कि जितने भी कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने तकरीरें की हैं उन सभी ने यह कहा है कि बम्बई सहित संयुक्त महाराष्ट्र की रचना की जानी चाहिए। इस चीज को उन्होंने एक मत से इस सदन के सम्मुख तथा राज्य सभा के सम्मुख रखा है।

श्री हैदा : ये सब पुरानी बातें हैं।

श्री जाधव : जब एस० आर० सी० की रिपोर्ट को सन् १९५५ में इस सदन के सामने रखा गया था उस वक्त यह कहा गया था। कहा जाता है कि लोग पुरानी बातों को क्यों याद करते हैं ? लेकिन हमें उनको हमेशा अपने सामने रखना चाहिये। जब मुस्तकबिल बनाने की बात होती है तो जो पुरानी तारीखें होती हैं वे अवश्य ही हमारे सामने आ जाती हैं। हिन्दुस्तान की तारीख बनाने के वास्ते जितनी कोशिश बापूजी ने की थी और जो बुनियादें डाली थीं वे किसी से छिपी हुई नहीं हैं। हिन्दुस्तान में यह जो संयुक्त महाराष्ट्र बनाने के खिलाफ में आवाज़ उठती है उसका क्या कारण है यह भी मैं आप को बतलाना चाहता हूं। यह एक तारीखी (ऐतिहासिक) बात है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस सदन के माननीय सदस्य जानते होंगे कि भारत में एक शख्स आया था जिस का नाम लुइस फिशर था। सन् १९४२ में जून महीने में वह महात्मा गांधी के साथ रहा था। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ बात करते हुए एक बात कही थी जिसे मैं इस आगस्ट हाउस के सागने रखता हूं। और मैं चाहता हूं कि यह हाउस उस पर गौर करे। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने गांधी जी से पूछा कि क्या कांग्रेस धनी और पूंजीपतियों के खर्चे पर चलती है। गांधी जी ने माना कि हां उन के खर्चे पर चलती है। बाद में उन्होंने पूछा क्या इससे कांग्रेस की राजनीति पर इन लोगों का असर नहीं पड़ता ? गांधी जी ने उत्तर दिया एक मौन ऋण कांग्रेस पर चढ़ता है।

यह उन्होंने लिखा है। अब मैं आप के सामने दूसरी बात रखना चाहता हूं। आज बापू जी के बारे में कई बातें हमारे सामने बैठे हुए माननीय कांग्रेसी सदस्य बतलाते हैं। लेकिन बापू जी को जो कुछ कहना पड़ा, और कितने दुख के साथ कहना पड़ा वह यह था :—

पृष्ठ ५० पर "पर राष्ट्रीय सरकार के निर्माण के बाद मेरी बात की कोई सुनवाई नहीं होगी।"

यह जो बात मैंने आपके सामने रखी है इसमें मैं इस चीज को पाता हूं। सन् १९४७ के बाद से कांग्रेस के अन्दर राजाओं और महाराजाओं की तादाद तथा जो पूंजीपति हैं उन की तादाद बढ़ रही है। कांग्रेस में उन की रिक्रूटमेंट (भरती) जोरों पर है। और उसका असर ऐसा

[श्री जाधव]

होता है कि हिन्दुस्तान में जिस बात के लिये कांग्रेस कोशिश कर रही है कि यहां उसे सोशिलस्ट पैटर्न आफ सोसायटी (समाज का समाजवादी ढांचा) लाना है, उस सोशिलस्ट पैटर्न आफ सोसायटी लाने के आड़ में अगर कोई आते हैं तो वह पूंजीपति हैं और उन का सेंटर बम्बई है। यह बम्बई अगर महाराष्ट्रियों के हाथ में चला गया जो कि क्रान्तिकारी हैं, जिन्होंने हमेशा अन्याय की मुखालिफत की है तो वह सोशिलस्ट पैटर्न आफ सोसायटी वास्तव में लाने की कोशिश करेंगे। इस डर से हिन्दुस्तान के प्रेस ने जो कि पूंजीपतियों के हाथ में है, महाराष्ट्रियों को बदनाम करने के लिये बहुत कुछ किया। उन को गुंडा कहा, गुजरातियों ने कहा। मैं जब गुजराती लफ्ज आप के सामने कहता हूं तो उन के लिये कहता हूं जो कि गुजराती पूंजीपति हैं।

मैं ने यह बात आप के सामने रखी। महाराष्ट्र के बारे में बहुत सी बातें और भी कही गई। हिन्दुस्तान में अन्याय को रोकने वाले और देश के लिये लड़ने वाले जो शिवा जी महाराज थे जिनके बारे में हिन्दुस्तान का खास इतिहास है, उन के बारे में कहा गया कि ऐसे आदमी की स्तुति खाली महाराष्ट्रीय ही कर सकते हैं जिस ने अपने से मिलने को आए हुए आदमी की पीठ में छुरा मारा। शिवा जी महाराज के बारे में ऐसा कहा गया। ऐसे शिवा जी महाराज के बारे में जो अमर हिन्दुस्तान में न पैदा होते और कोशिश न करते तो आप की शिखा दाढ़ी के जगह पर होती। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में महाराष्ट्र के लोगों को बदनाम करने के लिये जो कोशिश हुई है उस से हम को दुःख हुआ है। मैं इस आंगस्ट हाउस में कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र ने ऐसे लोग पैदा किए हैं जो इतिहास में प्रसिद्ध हैं। जिस सेंटिनरी (शताब्दी) को आप ने कल मनाया १८५७ के साल की जो उस की बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, वे कौन थीं? कहां के थे? स्वराज्य इज माई बर्थ राइट, यह देश में कहने वाले लोकमान्य तिलक कहां से आये थे? इस के आगे देखिये, हमारे संविधान को बनाने वाले डा० अम्बेडकर साहब कहां के थे? यह सब बातें आप को देखनी चाहियें। गुंडे हर जगह होते हैं इसे कबूल करने में मुझे दुःख नहीं होता है लेकिन आंध्र में जो कुछ हुआ उस को करने वाले क्या गुंडे थे? नहीं वहां के लोगों के दिल की उमंग थी। क्या उस को पूरा करने की कांग्रेस ने कोशिश नहीं की? आज हिन्दुस्तान में १३ प्रदेश एक भाषी बनाये हैं, लेकिन जिन लोगों के दिल में आपस में कुछ शुबहा हो शक हो ऐसे लोगों को इक्ट्ठा रखने में क्या फायदा है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमें इस सवाल के बारे में सोचना चाहिये। मैं आप से बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र के लोगों ने कभी भी पैसे की परवाह नहीं की। महाराष्ट्र ने कभी किसी से दुश्मनी नहीं की। आप जाकर बम्बई में देखिये। हर देहात में आप को गुजराती मिलेंगे, मारवाड़ी मिलेंगे। बड़ी मोहब्बत से सब इकट्ठे रहते हैं। एक महाराष्ट्र ही ऐसा प्रदेश है कि जहां पर मारवाड़ी लोटा ले कर जाते हैं और महल बनाते हैं। इतनी मोहब्बत से हम रहते हैं। हम से कोई डर रखने की जरूरत नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई कि जब दो दिन पहिले श्री पाटिल ने इस हाउस में स्वीकार किया कि दे दो बम्बई महाराष्ट्र को। एक दिन आने वाला है कि गुजराती और महाराष्ट्री भाई भाई बन कर यहां आयेंगे और इस आगस्ट हाउस के सामने कहेंगे बम्बई महाराष्ट्र को दे दो, झगड़ा मिटे। मैं कहना चाहता हूं कि गुजरातियों के दिल में आजाद होने की उमंग है वह लोग १३वीं सदी से परतन्त्र थे। वे चाहते हैं कि अपना मुस्तकबिल हम बनायें। महाराष्ट्रिय के लोगों के बारे में मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तकरीर को याद दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने १ अगस्त, १९५६ को तिलक शतसंवत्सरी के सम्बन्ध में पूना में दी थी। उन्होंने रेसकोर्स ग्राउन्ड पर सार्वजनिक सभा में कहा था कि बम्बई महाराष्ट्रियों का है उन को बम्बई देने में मुझे बहुत खुशी होगी। मौका आएगा तो मैं उन की वकालत भी करूंगा। मैं

पंडित जी से बहुत अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि चुनाव में महाराष्ट्र ने एक नया नक्शा दिखाया है। यह आदमी महाराष्ट्रियन जमात का है या गुजराती जमात का है इसे न देखते हुए, सिर्फ इस लिये कि फलां आदमी संयुक्त महाराष्ट्र के हमायत के लिये आगे आया हुआ है, उस को चुन कर भेजा। यही नहीं, उस ने दूसरा एक नक्शा और भी रक्खा है। बापूजी ने जिस चीज़ के वास्ते कोशिश की थी कांग्रेस ने उस के वास्ते जो कदम उठाना चाहिये था वह नहीं उठाया है। लेकिन महाराष्ट्र ने उसे कर दिखाया। जनरल सीट्स से महाराष्ट्र ने सात आठ आदमी अनुसूचित जातियों के असेम्बली में चुन कर भेजे हैं और इस पार्लियामेंट में भी मेरे दोस्त गायकवाड़ साहब और कामलेजी हमारे सूबे की जेनरल सीट से ही चुन कर आए हैं। किस के खिलाफ? श्री गो विन्द हरि देशपांडे के खिलाफ, जो इस हाउस के मेम्बर थे। उन के खिलाफ एक शेड्यूल्ड कास्ट्स का आदमी खड़ा होता है और जीतता है। गो विन्द हरि देश पांडे जी जो कि एक ब्राह्मण थे जब वोट मांगने गये तो उन को वोट नहीं मिला लेकिन जब गायकवाड़ जी वहां पर गए तो लोग उन को अपने चूल्हे तक ले गए और कहा कि संयुक्त महाराष्ट्र के लिये हमारा वोट तुम को है। महाराष्ट्र ने यह नक्शा बनाया है। गुजरात में भी जो आवाज उठी वह भी आप के सामने है। आज मेरे पास टाइम कम है और कहना बहुत कुछ है, इसलिये मैं आखिर में आप से अर्ज़ करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के बारे में सब का कर्तव्य है कि वह उस की इच्छा को भी पूरी करें। हिन्दुस्तान में हर सूबा जबान के बुनयाद पर बनना चाहिये, सब लोगों के दिल इकठ्ठे होने चाहियें। हिन्दुस्तान का मुस्तकबिल (भविष्य) अच्छा होना चाहिये, सिर ऊंचा होना चाहिये। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान में १३ प्रदेश एक भाषा-भाषी बने हैं, गुजरात और महाराष्ट्र इन दो प्राविन्सेज के भी एक जबान के सपने पूरे होने चाहिये। कांडला बन्दरगाह जो है उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी लिये बनाया था कि आगे चल कर गुजरात को उस की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। जब कि गुजरात राज्य बनेगा।

इस को देखते हुए मैं फिर अदब से अर्ज़ करूंगा कि आप इस सवाल को ठीक से सोच कर हल करें। यह कोई "शिली कठीला उत आणव्याचे काम नाही" नहीं है। यह हमारी तकलीफ है जो कि मैं आप के सामने रख रहा हूं। हम लोकशाही से कोशिश करेंगे अमन और शान्ति से कोशिश करेंगे लेकिन संयुक्त महाराष्ट्र का सपना जो है उसे हम पूरा करके रहेंगे। और यह काम आप की मदद से पूरा करके रहेंगे।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल): सभापति महोदय, मैं माननीय गृह-मंत्री जी को, जो यहां पर उपस्थित नहीं हैं श्री दातार जी की मारफत अनेक बधाइयां देना चाहता हूं कि अपने पछले कार्यालय में उन्होंने अनुपम मृदुलता और अपार दृढ़ता का परिचय दिया है। जैसा कि संस्कृत के एक श्लोक का अर्थ है: फूल के समान कोमल, लेकिन बज्र के समान कठोर। उसी के अनुकूल वह मिठास और मधुरिमा से भरे हैं, लेकिन जब देश का प्रश्न आता है उस समय दृढ़ निश्चय करने में सब से आगे। अभी कुछ दिन हुए इस सदन में एसेंशियल सर्विसेज मेंट नेंस बिल पर बहस हुई थी। उस अवसर पर शासन ने जो रुख अपनाया उस ने इस बात को साबित कर दिया कि अवसर पड़ने पर हमारे गृह-मंत्री और हमारी सरकार कठोर दृढ़ता का रूप अपना सकते हैं। मैं यहां पर यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि जब तक देश पूरी तरह सम्पन्न और समृद्ध नहीं हो जाता जब तक हमारी पंच वर्षीय विकास योजना के द्वारा देश आर्थिक सम्पन्नता के अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचता तब तक मेरी सम्मति में हड़तालों की विलासिता को सहन नहीं किया जाना चाहिये।

[श्री भक्त दर्शन]

मैं इस लग्ज़री आफ स्ट्राइक्स (हड़तालों की विलासिता) के बिल्कुल विरुद्ध हूं । सिद्धान्ततया स्ट्राइक्स के विरुद्ध न होते हुए भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आयोजन का बुनियादी उसूल ही यह होता है कि समाज की उन्नति और कल्याण के लिये समाज का प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ त्याग करे और सारे राष्ट्र का जीवन अनुशासनयुक्त हो । उस में रैजिमेंटेशन की कुछ न कुछ आवश्यकता होती ही है । जहां तक सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकताओं और मांगों का सम्बन्ध है, उन के बारे में विचार-विनिमय होना चाहिये, उन के दुःखों को समझने के लिये समय समय पर उन के प्रतिनिधियों से बात-चीत करनी चाहिये और उन की बातों को समझ कर समय रहते उन की मांगों की पूर्ति करनी चाहिये । लेकिन इस का यह अर्थ नहीं है कि कोई भी व्यक्ति समूह या दल देश की प्रगति में किसी प्रकार का रोड़ा अटकाए । इस लिये इस मंत्रालय ने पिछले दिनों जो दृढ़ता का रुख अपनाया, उस के लिये मैं उस को फिर बधाई देता हूं ।

इस संबंध में सारे देश के दृष्टिकोण और सारे देश की आवाज़ को समझते हुए मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि जिस प्रकार शिवाजी के चारों ओर कामदेव ने जब मायाजाल रचाया हुआ था, लेकिन तब उनका तीसरा नेत्र खुलते ही वह भस्म हो गया था, उसी प्रकार इस विधेयक के स्वीकार होते ही हड़ताल समाप्त हो गयी ।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी और मंत्रालय को इस के लिये भी बधाई देना चाहता हूं कि उस ने केन्द्रीय शासन के कर्मचारियों में हिन्दी का प्रचार करने के लिये बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है । गृह-मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्तूबर, १९५५ में दिल्ली में और उस के बाहर के विभिन्न केन्द्रों में लगभग २,५०० सरकारी कर्मचारी हिन्दी की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, और मार्च, १९५६ में उन लोगों की संख्या १२,००० हो गई थी । यह प्रयत्न किया जा रहा है कि १९६१–६२ तक लगभग तीन लाख कर्मचारियों को हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान हो जाय ।

इस सम्बन्ध में मैं मंत्रालय का ध्यान राजभाषा आयोग की रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं, जो कि १२ अगस्त को इस सदन के सामने पेश की गई । उस में बताया गया है कि यद्यपि गृह-मंत्रालय की ओर से काफ़ी प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन फिर भी बीस लाख कर्मचारियों में केवल तीन लाख को १९६१–६२ तक शिक्षित किया जा सकेगा । मैं समझता हूं कि इस में और अधिक तेज़ी लाने की आवश्यकता है । राजभाषा आयोग ने यह भी सिफ़ारिश की है कि अगर आवश्यकता पड़े, तो इस संबंध में "एलिमेंट आफ़ कम्पल्शन" यानी अनिवार्यता की मात्रा भी आनी चाहिये । इस का अर्थ यह है कि अगर दो या तीन वर्ष में कोई हिन्दी न जानने वाले कर्मचारी हिन्दी का ज्ञान प्राप्त न करें, तो कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि वे अनिवार्य रूप से ऐसा कर सकें ।

इस के बाद मैं गृह-मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे सेक्रेटेरियेट में जो हिन्दी के लिपिक—हिन्दी असिस्टेंट —हैं, उन को पहले दूसरे असिस्टेंटों के बराबर वेतन मिलता था, लेकिन मुझे बताया गया है कि पिछले दिनों —शायद मितव्ययता के आधार पर— यह निश्चय किया गया है कि हिन्दी जानने वाले एल० डी० सीज० और यू० डी० सीज़० को ही तीस रुपया मासिक अतिरिक्त वेतन दे कर उन से हिन्दी का काम कराया जाय । मेरा निवेदन है कि गृह-मंत्रालय इस पर पुनर्विचार करे, क्योंकि अगर हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों को असिस्टेंट का ग्रेड दिया जाय, तो इस से हिन्दी को प्रोत्साहन मिलेगा ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ कर्मचारियों को पिछली लड़ाई के ज़माने में नियुक्त किया गया था जिन्होंने हिन्दी की उच्च शिक्षा तो प्राप्त की थी लेकिन केवल अंग्रेज़ी में मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट या बी० ए० की परीक्षा पास कर ली थी। मुझे बताया गया है कि पिछले दिनों उन को हटा दिया गया और नए सिरे से उन को नियुक्त किया गया, साथ ही उन की पिछली सर्विस को नहीं जोड़ा गया, जिस से वे लोग बड़े घाटे में हैं। मेरा निवेदन यह है कि अगर हिन्दी के माध्यम के द्वारा उन्होंने अपने पद को प्राप्त किया, तो उन को इस का दंड नहीं दिया जाना चाहिये।

बहुत दिनों से सरकारी कर्मचारियों को पी० टी० ओ० कनसेशन देने की, अपने घर जाने की सुविधा—रेल के किराये में मदद—देने की जो बात-चीत चल रही थी, उस को स्वीकार कर के मंत्रालय ने बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है। इस के लिये मैं उस को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन इस सम्बन्ध में एक शर्त यह लगा दी गई है कि यह कनसेशन केवल उन लोगों को दिया जायेगा, जिन का घर २५० मील से अधिक के फ़ासले पर होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि तीसरी और चौथी श्रेणी के बहुत से कर्मचारियों के घर दिल्ली से दो सौ पच्चास मील से कम दूरी पर स्थित हैं। मेरे अपने क्षेत्र गढ़वाल, अल्मोड़ा और हिमाचल प्रदेश से आने वाले हज़ारों कर्मचारी इस शर्त की वजह से इस सुविधा से लाभ नहीं उठा सकते हैं। पिछले दिनों माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस पर विचार किया जायगा। मैं आशा करता हूं कि इस दूरी को घटा कर पचास या सौ मील कर दिया जाय, ताकि नज़दीक रहने वाले कर्मचारी भी इस योजना से लाभ उठा सकें।

इस रिपोर्ट की पैराग्राफ़ ९३ में यह बताया गया है कि सारे भारत में १८५७ के स्वाधीनता संग्राम की शताब्दी मनाने के सम्बन्ध में क्या क्या किया जाय। कल हम ने सारे देश में एक बड़ा भारी जशन—उत्सव—मनाया। रामलीला मैदान में कल हम ने इस बात की प्रतिज्ञा की कि हमारी वफ़ादारी सर्वप्रथम इस देश के प्रति है, बाद में अपने धर्म, भाषा, जाति, प्रदेश या ज़िले के प्रति है। साथ ही हमने अपने पुराने खंडहरों पर—खूनी दरवाज़ों पर बड़ी रोशनी की। उस जगमगाहट के बीच में शायद हमने सोचा कि हमारे कर्तव्य की इतिश्री हो गई। मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि १८५७ और उस के बाद के शहीदों के प्रति केवल सभाएं कर देने और उन के खंडहरों पर दिये जला देने से हमारे कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती। इस संबंध में मैं दो सुझाव देना चाहता हूं।

पिछले दिनों डा० राम सुभग सिंह का एक गैर-सरकारी संकल्प इस सदन के सामने आया था कि राजनीतिक पीड़ितों और स्वाधीनता संग्राम के सैनिकों के बच्चों को शिक्षा के लिये कुछ छात्र-वृत्तियां दी जायें। इस विषय पर यहां पर वाद-विवाद हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से वह बीच में ही समाप्त हो गया और वह संकल्प लेप्स (व्यपगत) हो गया। उस के बाद पिछली संसद समाप्त हो गई, इस लिये उस पर पुनः विचार नहीं किया जा सका। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम स्वाधीनता संग्राम के सैनिकों की स्मृति की रक्षा करना चाहते हैं, तो हमारे शासन और हमारी जनता का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम उन के परिवारों के लिये कुछ व्यवस्था करें। पिछले दिनों मुझे यह जान कर बड़ी खुशी हुई कि मद्रास सरकार ने यह संकल्प किया है कि राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को विश्वविद्यालय श्रेणी तक निश्शुल्क शिक्षा दी जाय। यह बड़ा भारी कार्य है और इस के लिये मद्रास सरकार प्रशंसा की पात्र है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इस संबंध में यह व्यवस्था की है कि जिन व्यक्तियों की आयु सत्तर वर्ष से ज्यादा है, उन के लिये पेन्शन निश्चित कर दी जाये। स्पष्ट है कि सब के लिये पेन्शन की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, लेकिन जो अपंग हो चुके हैं, जो निर्बल हो चुके हैं, सब से पहले उन

[श्री भक्त दर्शन]

की तरफ़ ध्यान दिया जाय। ऐसे लोग अधिक से अधिक एक, डेढ़ लाख होंगे, जिन्होंने कुर्बानी की है। पहले उन के लिये व्यवस्था कर दी जाय और फिर दूसरों की तरफ़ ध्यान दिया जाय। इस संबंध में भारत सरकार को देश के लिये एक समान कार्यक्रम चालू करना चाहिये।

इस के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि १८५७ के शहीदों के प्रति हमारा कर्तव्य तब तक पूरा नहीं होता, जब तक देश में एक भी विदेशी शासक की मूर्ति मौजूद है। जब हम लोग दिल्ली में आते हैं, तो यहां पर विदेशी शासकों की मूर्तियों को देख कर हमें राष्ट्रीय अपमान का बोध होता है। पिछले दिनों एक प्रश्न के उत्तर में हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि जिन्होंने वीभत्स कार्य किये हैं, उन की मूर्तियां को हटा दिया जायेगा। फलस्वरूप दिल्ली में दो मूर्तियों को हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में हमारे समाजवादी मित्रों की तरफ से भी एक आन्दोलन चला और उन की मांग थी कि विदेशी शासकों की मूर्तियों को हटा दिया जाय। वहां बड़े पैमाने पर मूर्तियों को हटाया गया है। यहां तक कि आगरा में महारानी विक्टोरिया की मूर्ति को भी हटा दिया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य है कि सारे देश के लिये वह एक ही नीति निर्धारित करे। संघ-शासित प्रदेश—दिल्ली—की दो मूर्तियों को हटा देने से काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी मूर्तियों को हटाया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार को आदेश देना चाहिये कि विदेशी शासकों की मूर्तियों को हटा कर उन के पैडेस्टल पर अपने राष्ट्रीय नेताओं की और स्वाधीनता संग्राम के शहीदों की मूर्तियां स्थापित की जायें। यह सिद्धान्त का प्रश्न है कि विदेशी शासकों की मूर्तियों को हटा कर उन के स्थानों पर सन् १८५७ के शहीदों की और हमारे स्वातंत्र्य संग्राम के दूसरे सेनानियों की मूर्तियां स्थापित की जायें और इसी प्रकार हम उन शहीदों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं।

पिछले दिनों दिल्ली में एक आन्दोलन चला था कि दिल्ली की सड़कों के जो नाम अंग्रेजी शासकों के नामों पर पड़े हुए हैं उन को बदला जाये। मुझे प्रसन्नता है कि कुछ सड़कों के नाम बदले भी गये हैं, जैसे जन-पथ और राजपथ जो कि लोगों की जबान पर भी चढ़ गये हैं। लेकिन अभी बहुत सी सड़कों के नाम वैसे ही चले आते हैं। मैं गृह-मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर भी कदम बढ़ाये। यह कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे देश वासियों के ऐसे अनेकों नाम मिल सकते हैं, जिन के नामों पर यहां की सड़कों के नाम रखे जा सकते हैं।

अन्त में मैं ज्यादा समय न ले कर आपका ध्यान उत्तरी सीमान्त प्रदेश की ओर दिलाना चाहता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे गृह मंत्रालय का ध्यान उस तरफ है और वहां रक्षा का अच्छा प्रबन्ध किया गया है। कई स्थानों पर आर्म्ड कांस्टैबुलरी के चैक पोस्ट खुले हैं और विकास का भी कुछ कार्य हो रहा है। इन चैक पोस्टों के स्थापित होने से जनता में आत्म-विश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा हुई है। अभी थोड़े दिन हुए बड़े होती के मैदान में कुछ चीनी सैनिक आ गये थे। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सरकार के पी० ए० सी० के जवान वहां पर तैनात हैं, जिनको केन्द्र की ओर से तनख्वाह मिलती है, उन्होंने उन चीनी सैनिकों को वापस लौटा दिया। तो इस प्रकार इस इलाके में सुरक्षा का काम तो बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन केवल यही काफ़ी नहीं है। तिब्बत में हमारी सीमा की दूसरी ओर चीन तरह-तरह के विकास कार्य कर रहा है, स्कूल खोल रहा है, अस्पताल खोल रहा है, और अन्य अनेक विकास कार्य कर रहा है। हमारे व्यापारी जो वहां देखते हैं उसकी वापस आकर अपने यहां की स्थिति की तुलना करते हैं कि हम कितने पिछड़े हुए हैं। इस लिये जब तक इस इलाके में और अधिक विकास-कार्य नहीं होगा तब तक केवल सुरक्षा का प्रबन्ध रखना ही काफी नहीं होगा। मुझे

प्रसन्नता है कि हमारे मंत्री श्री दातार साहब ने हाल ही में श्री बद्रीनाथ तक की यात्रा की है और वहां के लोगों की हालत को स्वयं देखा है। उसी प्रकार सारे सीमान्त प्रदेश में यही हालत है। मैं आशा करता हूं कि उन की यात्रा के फलस्वरूप उस क्षेत्र में विकास कार्यों को बढ़ावा जायेगा ताकि वहां की जनता की अपनी राष्ट्रीय सरकार के प्रति निष्ठा और भी दृढ़ हो और वे लोग जो कि हिमालय में हमारे प्रहरी का काम कर रहे हैं, उस काम को और भी सुचारू ढंग से चला सकें।

सभापति महोदय : लाला अचित राम ।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : मैं १४ तारीख से बार बार खड़ा हो रहा हूं लेकिन आप का दृष्टिपात ही मेरी ओर नहीं हो रहा है ।

सभापति महोदय : मैं एक एक करके बुलाऊंगा ।

लाला अचित राम (पटियाला) : माननीय सभापति जी, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने चन्द मिनट के लिये बोलने की आज्ञा दी।

आज हमारे सामने जो डिमान्ड्स (मांगें) हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो मंत्री महोदय इस मिनिस्ट्री के साथ डील कर रहे हैं उन का भी देश में खास महत्व है। खास तौर पर पंत जी के इस मिनिस्ट्री में काम करने से लोगों को आशा पैदा होती है और वह समझते हैं कि सरदार पटेल की जगह एक निहायत मौजूं महापुरुष ने ली है। और जनता को विश्वास है कि देश की उन समस्याओं को जिनको सरदार पटेल ने हल करना आरम्भ किया था वह पूरा करेंगे। खास तौर पर स्टेट्स का काम हमारे सामने है जिसको सरदार पटेल ने शुरू किया था। उस को आज पंत जी और दातार साहब बड़ी कामयाबी के साथ चला रहे हैं। इस के अलावा स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन का मसला उन्होंने अपने हाथ में लिया और उस को चलाया। इस में कोई शक नहीं है कि इस मिनिस्ट्री को काफी कामयाबी हुई है और उन्होंने काफी सफर तै किया है और उस के लिये वे बधाई के मुस्तहक हैं। जिस तरीके से प्राबलम्स (समस्यायें) को पंत जी और दातार साहब डील करते हैं वह काबिलेतारीफ है। उस से लोगों को आश्वासन होता है, खुशी होती है। लेकिन मैं यह बात नहीं कह सकता कि आज उनको तमाम मसलों में कामयाबी हुई है। इस बारे में मेरे कुछ महाराष्ट्र के और दूसरे भाई बोले हैं। इस मिनिस्ट्री ने स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन के वक्त पंजाब के मसले को भी लिया और पंजाब के मसले को हल करने की कोशिश की। और उन को इस मसले को हल करने में एक हद तक कामयाबी भी हुई जिस के लिये वह बधाई के मुस्तहक हैं, और लोगों को रिलीफ हुआ। लेकिन जो वहां क हालत हैं उन को देखते हुए कोई भी आदमी यह नहीं कह सकता कि वह हल ऐसा था जिस से कि पूरा सेटिस्फेक्शन हो। हालात से आंख बन्द नहीं रखी जा सकती। इस वास्ते अगर आप पंजाब के मसले का कोई सही हल निकालना चाहते हैं तो पहले आपको लाजिमी तौर पर बीमारी का पता लगाना होगा जैसे कि डाक्टर दवा देने से पहले बीमारी का पता लगाता है कि बीमारी पहली स्टेज पर है, दूसरी स्टेज पर है या तीसरी स्टेज पर है। उसी के मुताबिक दवा देता है। इसी तरह से आपको पंजाब के मसले को हल करने के लिये यह समझना होगा कि पंजाब की बीमारी की स्टेज क्या है। अगर हम इस तरह से चलें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा मौजूं होगा। हिन्दुस्तान का कोई भी आदमी चाहे वह पंजाब का रहने वाला हो या बाहर का, आज के वाकयात को देखते हुए, यह नहीं कह सकता कि पंजाब की आबादी दो हिस्सों में बटी हुई नहीं है। इस बात में कोई शक व शुबहा नहीं है इस से कोई आदमी एतराज नहीं कर सकता। यह सवाल ही ऐसा है जिसके बारे में आप ऐसा कह सकते हैं। हम अंग्रेजों से कहते थे कि हिन्दु-

[लाला अचित राम]

स्तान तुम्हारे साथ नहीं है तो वह कहते थे कि देखो इतनी हिन्दुस्तानी फौजें हमारे हैं साथ इतने सारे दूसरे लोग हमारे साथ हैं। यह ठीक है कि कुछ लोग उन के साथ थे लेकिन फिर भी हिन्दुस्तान उन के साथ नहीं था। यही बात आज पंजाब में है। एक वक्त था कि हम कहते थे कि सिख कांग्रेस के साथ हैं, सिख हमारे साथ हैं लेकिन एक आवाज़ उठती थी कि नहीं हैं। वह आवाज़ कहती थी कि कुछ सिख आपके साथ हैं लेकिन उन का दिल आप के साथ नहीं है। हम एक, दो, चार साल तक यह कहते रहे कि सिख हमारे साथ हैं। लेकिन हालात ने हमको ऐसा मानने के लिये मज़बूर कर दिया कि ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं कि पंजाब में आबादी दो कम्युनिटीज़ (समुदायों) में बंटी हुई है और बदकिस्मती से उनमें से एक गवर्नमेंट के साथ नहीं है। यह बात वाजेह है। अगर आपको इस में कुछ शक हो तो आप दो, चार, छः महीने और देख लीजिये। मेरे दिल में तो इस बारे में पहले भी शक नहीं था और पिछले साल मैं ने यह कहा भी था। लेकिन आप इस बात को मानने में जितनी ही देर लगायेंगे उतने ही हालात खराब होंगे। अगर आज से ६ महीने पहले आप इस एनेलेसिस पर आ गये होते तो आज इतनी दिक्कत न होती। जब आपने पंजाब में मिनिस्ट्री बनायी थी उस वक्त भी अगर आप इस ऐनेलेसिस पर आ गये होते तो आज दिक्कत न होती। हो सकता है कि उस कम्युनिटी के दस या बीस पर सेंट लोग आप के साथ हों। लेकिन बाकी का दिल आप के साथ नहीं है। इस बात को आपको जल्द मान लेना चाहिये और यह जान लेना चाहिये कि इस बात की असली शक्ल क्या है। इस वक्त पंजाब के अन्दर जो एजिटेशन (आन्दोलन) हो रही है वह हिन्दी रक्षा समिति के नाम से हो रही है। लेकिन जो असलियत है वह यह है कि एक कम्युनिटी एक तरफ है और दूसरी दूसरी तरफ है। यह कहा जा सकता है कि यह मूवमेंट (आन्दोलन) हिन्दी रक्षा समिति के नाम से चलाई जा रही है और इस को आर्य समाज द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन जो सच बात है वह मैं आप को बतलाना चाहता हूं। सच बात यह है कि आर्य समाज का पंजाब के अन्दर इतना इन्फ्लुएंस (प्रभाव) नहीं है जितनी कि उसको सपोर्ट (समर्थन) मिल रही है। यह बिल्कुल सच बात है। आर्य समाजियों की तादाद पांच परसेंट, सात परसेंट या दस परसेंट के करीब ही होगी। लेकिन जैसा कि आप कहते हैं कि ५१ परसेंट ही उन के साथ हैं, इस को भी मैं मान लेता हूं। मैं ४९ परसेंट को छोड़ देता हूं। लेकिन इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि इन सब को आर्य समाज कंट्रोल नहीं करती है। वह पांच परसेंट को, सात को या दस परसेंट को ही कंट्रोल करती है। चालीस परसेंट को कंट्रोल नहीं करती है। लेकिन आज असलियत यह है कि इनकी भी सपोर्ट उसको मिल रही है। ये लोग आर्य समाजी नहीं हैं और अपने दिलों और दिमागों से इस धर्म के मानने वाले नहीं हैं। लेकिन अमल में आज ये उन के साथ हैं। मैं ४९ परसेंट का मार्जिन छोड़ देता हूं। लेकिन इस एजिटेशन का कारण क्या है? यह तो सब मानते हैं कि यह पोलिटिकल है और मैं भी इस चीज़ को मानता हूं? आर्य समाज के नेता इसको दयानतदारी से हिन्दी का आन्दोलन मानते हैं। मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि जो लोग इस चीज़ को चला रहे हैं वे आज यह समझते हैं कि अगर यह नाकामयाब हो गई तो हम जो ५१ परसेंट हैं वे मारे जायेंगे। वे समझते हैं कि हमारा जो फ्यूचर (भविष्य) है वह इस की कामयाबी के साथ वाबस्ता है। वे समझते हैं कि इसकी सकसेस (सफलता) के साथ ही उनकी सकसेस वाबस्ता है, तथा वे जिन्दा रह सकते हैं और अगर उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है तो वे मारे जाते हैं। इसी तरह से जो दूसरे भाई हैं वे यह समझते हैं कि हमारा मुस्तकबिल (भविष्य) इस बात के साथ बंधा हुआ है कि यह एजिटेशन फेल हो। वे समझते हैं कि अगर यह फेल नहीं होती तो वे जिन्दा नहीं रह सकते हैं और अगर यह कामयाब हो जाती है तो वे मारे जाते हैं। इस वक्त यह हालत पंजाब की है। नाम तो आज हिन्दी का लिया

जा रहा है लेकिन इस के पीछे जो भावना काम कर रही है वह यह है। एक सेक्शन तो यह समझता है कि इस की कामयाबी के अन्दर उसकी जिन्दगी है और दूसरा यह समझता है कि इस की नाकामयाबी के अन्दर उसकी जिन्दगी है। मेरा इस बात से कोई एग्री (सहमत) करे या न करे लेकिन मेरी जो सच्ची राय है वह यह है ।

अब सवाल यह पैदा होता है कि हमें कौनसा रास्ता अपनाना चाहिये और गवर्नमेंट के लिये क्या करना ठीक है । अब मैं चन्द एक मिनटों में आपको यह बतलाना चाहता हूं कि हर्डल्स (कठिनाइयां) क्या हैं, कौन सी रुकावटें हैं जो कि कोई हल ढूंढने में हायल हो रही हैं। पहली बात तो यह है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट आफ इंडिया है वह अपने ही जाल में फंसी हुई है । मसले हल हुआ करते हैं आदमियों से और उन आदमियों से जो कि केपेबिल (योग्य) हों, जिनकी जो लीडरशिप हो वह ईफैक्टिव (प्रभावशाली) हों । आज जो एक्चुअल लीडर्स हैं वे हम हैं और हम ही पावर में हैं । आज हम ऐसे लोगों को जो काबिल हैं, जो लायक हैं और चीज़ को समझते हैं और हमारे हैं यह कह कर तसल्ली कर लेते हैं कि ये तो कम्युनलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं या प्रो-कम्युनिस्ट हैं इस वास्ते यह ठीक नहीं है । आप पंजाब के मसले को ही देखिये । स्टेट्स रिआर्गेनाइज़ेशन का मसला आया । तमाम हिन्दुस्तान के आदमी सेलेक्ट कमेटी में रखे गये लेकिन पंजाब के उस आदमी को जो कि तजुर्बेकार था, जो कि लायक था, जिसने कि पार्लियामेंट के अन्दर बड़ा काम किया है, मेरा मतलब पंडित ठाकुर दास जी से है, उस सेलेक्ट कमेटी में नहीं लिया गया । मेरा कहने का मतलब केवल इतना ही था कि गवर्नमेंट आफ इंडिया का या पंजाब गवर्नमेंट का किसी आदमी को टैस्ट करने का, किसी आदमी को जज करने का जो मैयार (मापदण्ड) है, वह गलत है और वह आज की कंडिशंस (स्थिति) को सूट नहीं करता है । यह पहली बुनियादी गलती है । हमारी जो यार्डस्टिक (नाप तोल) है, वह यहीं तक महदूद है कि यह कम्युनिस्ट है, यह प्रो-कम्युनिस्ट है, यह कम्युनलिस्ट है । यह जो मैयार जज करने के हैं यह बिल्कुल गलत हैं ।

जो दूसरी हर्डल है वह यह है कि जब ऐसी बात होती है तो हर आदमी यह समझने लग जाता है कि जब किसी आदमी को गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की बातें कही जाती हैं तो उसे यकीन हो जाता है कि गवर्नमेंट सिर्फ तीन जबानें ही जानती है :—

(१) उसे चुनाव में हराया जाय (२) १०,००० या २०,००० जेल में जायें (३) हड़ताल की धमकी दी जाये तभी सरकार आपकी बात सुनेगी ।

लेकिन मैं आपको यह भी बतला देना चाहता हूं कि मैं इन तीनों में से किसी को भी सबस्क्राइब (समर्थन) नहीं करता हूं । मैं यह भी समझता हूं कि जब तक आप इन सब इम्प्रेशंस (धारणाओं) को रिमूव (हटा) नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं ।

एक माननीय सदस्य : आप किस बात का समर्थन करते हैं ?

लाला अचित राम : मैं जिस चीज़ को सबस्क्राइब (समर्थन) करता हूं वह यह है कि जब यहां पर पे कमीशन बिठाने का सवाल आया था और जिसको श्री शर्मा ने पेश किया था उस वक्त किसी ने इसकी कोई परवाह नहीं की । इसके बाद दुबारा जब यह सवाल यहां पर पेश किया गया तो उसका उलट पुलट सा जवाब दिया गया और कहा गया कि इन्क्वायरी कमेटी होगी और यह होगा और वह होगा । इसके बाद जब स्ट्राइक का थ्रेट (हड़ताल की धमकी) दिया गया उस वक्त कहा गया कि कमेटी नहीं, कमीशन भी हो सकता है । ऐसी सूरत में मैं पूछना चाहता

[लाला अचित राम]

हूं कि कौन सी मुनासिब बात थी। मुनासिब बात यह थी कि यह न कहा जाय कि यह कम्युनिस्ट इंसपायर्ड (प्रेरित) है, यह इंटरनेशनल कम्युनिस्ट असर से चल रही है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं उस स्कूल आफ थाट (विचारधारा) को बिलांग करता हूं (मानता) हूं जो यह कहता है कि जब यहां पर रेज़ोल्यूशन (संकल्प) पेश हुआ था उसके पांच दिन पहले एक कैबिनेट मीटिंग होती और यह ऐलान कर दिया जाता कि प्रो० शर्मा के रेज़ोल्यूशन के बारे में गवर्नमेंट यह समझती है कि पे कमीशन मुकर्रर हो। इस प्रकार के उसूल को मानने वाला मैं हूं और यह मेरा स्कूल आफ थाट है।

इसके बाद, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हम सैक्युलरिज्म (धर्म-निरपेक्षता) की बहुत बातें करते हैं। ये बहुत ऊंची बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, इसके बगैर आज चारा नहीं। यह जो मंत्र दिया गया है बहुत ही शानदार मंत्र है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मंत्र का देना और उसको हज्म करना दो मुख्तलिफ बातें हैं। इन दोनों में फर्क है। मंत्र तो दे दिया गया है यह ठीक है .....

श्री दी० चं० शर्मा : मंत्र क्या है इसको ज़रा स्पष्ट करें।

लाला अचित राम : मैं स्पष्ट करता हूं। हिन्दुस्तान के आज जो प्रधान मंत्री हैं वे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अगर उनके नाम के साथ पंडित न होता और "लाल" न होता और उनका नाम इन दोनों के बगैर ही होता तो मैं देखता कि वे कैसे प्रधान मंत्री बन जाते। आज हमें हिन्दुस्तान को सैक्युलरिज्म की तरफ ले जाना है। मैं मानता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां की हैं, वे एक बहुत बड़े आदमी हैं, उन में बहुत सी खूबियां हैं लेकिन फिर भी अगर वह सादा घराने में पैदा हुए होते, अगर उनके नाम के साथ पंडित और लाल न होता तो उनके लिये हिन्दुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना इतना आसान बात नहीं थी। सैक्युलरिज्म अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको दूसरी बातों का भी ख्याल करना होगा। इसके साथ साथ दूसरी बातें भी हैं जो चलती हैं और उन बातों को एकदम से नहीं छोड़ा जा सकता है। मैं इस बात को मानता हूं कि हमें उनका भी मुकाबिला करना है, उनके सामने हमें झुकना नहीं है, उनको तोड़ना है और आगे बढ़ना है। लेकिन इतना होते हुए भी जो दरम्यानी चीज़ें हैं उन पर भी हमें विचार करना है। पंजाब का मसला क्या है और उसका हल क्या है। सब से बड़ी दिक्कत की बात तो यह है कि हम सारी बात को प्रापरली बैलेंस (ठीक विचार) नहीं करते हैं। हमें सन् १८५७ में नाकामयाबी क्यों हुई ? नाना साहिब फरनवीस एक तरफ थे और बहादुरशाह दूसरी तरफ और इधर बहादुरशाह बादशाह बन बैठे और दूसरी तरफ नाना फरनवीस ने पेशवा होने का एलान कर दिया। उस वक्त एक लीडरशिप नहीं थी। हमें इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिये। सैक्युलरिज्म लायें लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिये कि हमें कम्युनिटी के साथ डील करना है, उसको सैटिसफाई (सन्तुष्ट) करना है। कुछ सेक्शन्स समझते हैं कि हम गवर्नमेंट के अन्दर हैं .....

श्री नवल प्रभाकर : मैं लाला जी से यह पूछना चाहता हूं कि पहले आपने यह कहा था कि पंडित ठाकुर दास भार्गव जो हैं उनको कोई अच्छा स्थान प्राप्त नहीं हुआ लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ पंडित होने की वजह से यह स्थान प्राप्त हो गया है। आप भी तो पंडित हैं, आपको क्यों कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ ?

लाला अचित राम : मैं यही अर्ज़ करता हूं। मुख्य बात तो योग्यता की है। आज मेरा कोई पैरलल (समकक्ष) नहीं है। खैर, अगर मेरी बात आपकी समझ में आये तो आप उसको

कबूल कीजिये, न आये तो न कीजिये। मैं ने समझा कि वह कर सकते हैं। वह तजुर्बेकार हैं। आगे पहुंचने के लिये बहुत सी चीज़ों की जरूरत है। हर तरह की योग्यता भी हो, त्याग हो, तप हो।

श्री दी० चं० शर्मा : लेकिन सब से बढ़ कर किस्मत हो।

लाला अचिंत राम : आप ने ठीक कहा, किस्मत भी हो। इस सप्लिमेंट (पूरक) को मैं कबूल करता हूं। लेकिन इसके साथ ही मैं अर्ज़ करता हूं कि हमने पहली गलती जो की उस गलती से हम अपने आप को अलग रखें। हमने पंजाब का हल निकाला तब एक गलती की कि कोई राउंड टेबल कांफ्रेंस (गोल मेज सभा) नहीं बुलाई। हमको चाहिये कि हमने पहले जो गल्तियां कीं उनको आइन्दा न करें। उस वक्त तक हमें कोई फैसला नहीं करना चाहिये जब तक हम वहां के आदमियों को कांफिडेंस में न ले लें। क्योंकि इस तरह से जो फैसला किया जायेगा उसका हश्र (परिणाम) वही होगा जो पहले हुआ है।

अब मैं इतनी बात कह कर खत्म करता हूं कि गवर्नमेंट का फर्ज़ है कि वह पेशेन्टली (धैर्य से) सब की बात सुने। कोई झुकने का यहां सवाल नहीं है, लेकिन वह खयाल रक्खे कि उसके एंड्स और मीन्स एक जैसे हों। ऐसा वातावरण नहीं पैदा करना चाहिये कि लोग समझें कि उनको तकलीफ दी जा रही है। । सिख समझें कि हिन्दू हमें खा जायेंगे, हिन्दू समझें कि सिख हमें खा जायेंगे। आज हरियाना के अन्दर लोग सोचते हैं कि सिख हमें खा जायेंगे, पंजाबी पढ़ कर अन्धेर हो जायेगा। आखिर पंजाबी पढ़ने में क्या अन्धेर हो जायेगा ? मैं समझता हूं कि इसका हल यही है कि पंजाब का हर बच्चा पहली जमात से हिन्दी और पंजाबी पढ़े। अगर वह पहली जमात से अंग्रेजी और हिन्दी पढ़ सकता है तो हिन्दी और पंजाबी क्यों नहीं पढ़ सकता ? यह लाजिमी होना चाहिये कि पंजाब के अन्दर जो भी हो, कोई गवर्नमेंट का अफसर हो, वह हिन्दी और पंजाबी दोनों ही जाने, बिना दोनों के जाने हुए उसे नौकरी न मिले। कोई भी लड़का जो स्कूल में दाखिल हो उसके लिये पंजाबी और हिन्दी का पढ़ना लाजिमी करार दिया जाये पहली जमात से।

चौ० प्र० सिं० दौलता (झज्जर) : लेकिन हरियाना पर यह क्यों लागू हो ?

लाला अचिंत राम : उसमें हर्ज क्या है ? जैसे आप मेरी अच्छी बुरी बात सुनते हैं, जिस तरह पड़ोसी के नाते हम हिन्दुस्तान की दूसरी जबानें सीखते हैं, मराठी सीखते हैं, बंगाली सीखते हैं, उड़िया सीखते हैं, हमें खुशी होगी अगर हम उसी तरह से पंजाबी सीखें। इस तरह से हमारी नालेज एनरिच (बढ़ेगी) होगी और हम पंजाब को मजबूत बना सकेंगे हिन्दुस्तान के और हिस्सों से ज्यादा। मैं तो यही अर्ज़ करूंगा कि आप एक राउंड टेबल कांफ्रेंस बुलाइये जो भी कोई आदमी उसमें आना चाहे वह आये और तब इस मामले को हल करने की कोशिश कीजिये। मुझे आशा है कि इस तरह से आप कामयाब होंगे। महीना लगे, दो महीने लगें, लेकिन राउंड टेबल बुला कर सबकी मर्जी के मुताबिक काम कीजिये। आप महात्मा जी की तरह कह दीजिये कि हिन्दू आये तो आप उसे सैटिसफाई करेंगे, सिख आता है तो उसे सैटिसफाई करेंगे, ईसाई आता है तो उसे सैटिस-फाई करेंगे। इस तरह से आप इस चीज का हल निकालें, और मुझे आशा है कि वह निकलेगा। जितनी डिमांड्स हैं उनमें कोई मुश्किल नहीं है। आप सभी समुदायों को सन्तुष्ट करने के लिये हल निकाल सकते हैं।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : सभापति महोदय, गृह-कार्य मंत्रालय की पिछले कई वर्षों और विशेषतया गत वर्ष की गतिविधियों के बारे में १४ तारीख को और आज भी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

काफी रोचक वाद विवाद हुआ। अनेक प्रश्नों का उल्लेख किया गया, मैं उनमें से कुछ का उत्तर देना चाहता हूं।

इसके पूर्व मैं उन माननीय सदस्यों का प्रशंसा करना चाहता हूं जिन्होंने गृह-कार्य मंत्रालय की प्रशंसा की है। कुछ माननीय सदस्यों ने तो मेरे तथा गृह-कार्य मंत्री की चापलूसी में भी कुछ बातें कही हैं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि गृह-कार्य मंत्रालय का कार्य प्रधान मंत्री के सामान्य निर्देश तथा गृह-कार्य मंत्री के विशेष निर्देश द्वारा हो रहा है अतः सारा श्रेय उन्हीं लोगों को है और मुझे प्रसन्नता है कि इस सभा में कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो हमारे कार्यों की प्रशंसा करते हैं।

इसके पश्चात् मैं राज्य पुनर्गठन के प्रश्न के सम्बन्ध में उठाई गयी बात को लूंगा। अभी उस दिन एक माननीय सदस्य ने कहा कि पुनर्गठन के प्रश्न में कुछ राज्यों के साथ अन्याय भी किया गया है। मुझे श्री पाटिल की यह बात सुन कर प्रसन्नता हुई कि यदि देश का हित हो तो बम्बई को महाराष्ट्र में मिला दिया जाये। मैं इस प्रश्न के विस्तार में नहीं जाना चाहता पर मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं, कि जब इस पुनर्गठन के प्रश्न पर एक सरकारी प्रस्ताव सभा के सामने विचाराधीन था तो विरोधी दल के कुछ माननीय सदस्यों ने ही इस बात पर जोर दिया था कि बम्बई एक वृहत्तर राज्य, द्विभाषी राज्य बने। अतः वृहत्तर बम्बई राज्य के पक्ष में प्रचार करने का कार्य कांग्रेस के सदस्यों ने नहीं किया था बल्कि श्री अशोक मेहता जैसे सदस्यों ने किया था। चूंकि हमारी सरकार लोकतंत्रात्मक है अतः हमे माननीय सदस्यों के सुझाव को मानना पड़ा और बम्बई को द्विभाशी राज्य बनाने का संशोधन हमें स्वीकार करना पड़ा।

यह संसद् सबसे बड़ी प्रभुत्व सम्पन्न संस्था है और सबसे बड़ी प्रतिनिधि संस्था है। यदि इस संस्था का मत द्विभाषी बम्बई राज्य के पक्ष में था तो ठीक ही था। अब यह कहना व्यर्थ है कि दो अनिच्छक भागों को एक में मिला दिया गया है। यदि यह संसद् समझती है कि किसी विशेष भाग को किसी विशेष भाग में मिला देने में ही देश का हित है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अतः यह कहना किसी भी माननीय सदस्य को शोभा नहीं देता कि कुछ लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। जब इस संसद् ने किसी प्रश्न पर एक बार अपना निर्णय दे दिया तो फिर ठीक है। जब कोई विधेयक सभा द्वारा पारित हो कर अधिनियम बन जाता है तो वह बड़ी महत्वपूर्ण तथा पवित्र चीज हो जाती है। मैं मानता हूं कि संसद् कभी भी इस मामले को फिर से उठा सकती है और उसमें संशोधन कर सकती है। मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो किन्हीं माननीय सदस्यों को पसंद न हों या उन्हें स्वीकार न हों। हमें केवल संविधान को ही नहीं मानना है बल्कि उन बातों को भी मानना है जिन्हें संसद् पारित करती है और जब तक संसद् स्वयं उस बात को रद न करे हमें उसको मानना चाहिये। जिस माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है उनको चाहिये था कि वे प्रतीक्षा करते या संसद् या सरकार से इस बात के सम्बन्ध में बात करते। हो सकता है कुछ बातें किन्हीं माननीय सदस्यों को पसन्द न आई हों। पर, भविष्य की बातों को लेकर यह कहना सर्वथा अनुचित है कि सरकार ने या कांग्रेस दल ने बिल्कुल गलत कार्य किया। श्री मोरारजी देसाई पर दोषारोपण करने से कोई काम नहीं उन्होंने तो बहुत सावधानी तथा बड़ी उदारता से काम किया था।

अतः इन परिस्थितियों में श्री मोरारजी देसाई की आलोचना करना बिल्कुल अनुचित है क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया वह राष्ट्र के हित के लिये किया।

अब मैं दूसरी बातों को लूंगा। हिन्दी के विषय में भी जिक्र किया गया। मेरे मित्र श्री भक्त दर्शन ने कहा कि हिन्दी को संघीय सरकार की राज्य भाषा बना दिया जाय। इस सम्बन्ध में

अभी कुछ दिनों पहले खेर आयोग का प्रतिवेदन सभा के पटल पर रखा गया था। इस प्रतिवेदन पर एक संसदीय समिति विचार करेगी और तब राष्ट्रपति कुछ निदेश देंगे। इस प्रश्न के बारे में यह संसद् एक बार कुछ निर्णय कर चुकी है अतः अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को लाने के लिये हमें देश की जनता तथा सरकारी कर्मचारियों को तैयार करने के लिये ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये जो बहुत आवश्यक हो।

पहले यह काम शिक्षा मंत्रालय के अधीन था पर बाद में इस काम को गृह-कार्य मंत्रालय के हाथों में दे दिया गया क्योंकि गृह-कार्य मंत्रालय सेवाओं की देख भाल करती है। अतः लगभग एक वर्ष हुए हमने इस प्रश्न को उठाया और एक योजना तैयार की गयी जिसके अनुसार छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों को जल्दी से जल्दी हिन्दी भाषा तथा उसके प्रशासनीय और टेकनिकल प्रयोग का ज्ञान कराने की व्यवस्था की गई क्योंकि एक समय आने वाला है कि भारत के आत्म स्वाभिमान की रक्षा के लिये हमें हिन्दी को संघीय सरकार की भाषा स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रयोजन के लिए अनेक कदम उठाये जा चुके हैं। इस संबन्ध में योजना बनाई गई तो सभी अहिन्दी भाषी सरकारी कर्मचारियों को, इस आधार पर कि उनकी भाषा हिन्दी भाषा से कितनी भिन्न है, कई श्रेणियों में बांट दिया गया। पहली श्रेणी हिन्दी जानने वाले सरकारी कर्मचारियों की है उनको केवल टेकनिकल तथा प्रशासकीय शब्दों के ज्ञान की आवश्यकता है। यह बहुत कठिन काम है। शिक्षा मंत्रालय प्रशासकीय, टेकनिकल तथा वैज्ञानिक शब्दों के समुचित पर्यायवाची शब्द बना रहा है। दूसरी ऐसे कर्मचारियों की है जो ऐसी भाषायें जानते हैं जो हिन्दी के बहुत निकट हैं जैसे पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, सिन्धी और पश्तो आदि। इन कर्मचारियों को हिन्दी के लिये कुछ प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। इन लोगों के लिये ६ महीने या साल भर का प्रशिक्षण देना पर्याप्त होगा। तीसरी श्रेणी उन कर्मचारियों की है जो ऐसी भाषा बोलते हैं जो कुछ हद तक हिन्दी के निकट है और कुछ मानों में हिन्दी से बिल्कुल भिन्न है जैसे मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया आदि। उन्हें हिन्दी का ज्ञान देने के लिए उनको एक वर्षका प्रशिक्षण देना पड़ेगा। चौथी श्रेणी दक्षिण भारत की भाषायें बोलने वाले कर्मचारियों की हैं। उनकी भाषा हिन्दी से बहुत भन्न है पर हन्दी और उनकी भाषाओं के बीच संस्कृत का माध्यम है। दक्षिण भारत की भाषायें बोलने वाले इन कर्मचारियों को १८ महीने का प्रशिक्षण देना पड़ेगा।

यह हमारी योजना थी। हमें यह भी ध्यान रखना था कि धन अधिक बेकार व्यय न हो। अतः हमने निश्चय किया कि केवल उन्हीं कमचारियों को प्रशिक्षण दिया जाये जो १९६५ के बाद भी सेवा में रहने वाले हों। इन श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये हमने कक्षायें शुरू कर दी हैं। पहले कक्षायें शाम को लगती थीं पर अब दिन में ही कार्यालय के काम में से समय निकाल कर उनको पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। इन को पढ़ाने के लिये अनेक अध्यापक नियुक्त किये गये हैं। इस समय सम्पूर्ण भारत में इस प्रकार सरकारी कर्मचारियों को पढ़ाने के लिये ३६ केन्द्र चल रहे हैं और १४ नये केन्द्र अभी खोले जाने वाले हैं। इन कक्षाओं में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। अनेक शिक्षक नियुक्त किये जा चुके हैं। यह कहना गलत है कि उनको बहुत थोड़ा वेतन दिया जा रहा है। अनेक स्थानों पर प्रशिक्षण कक्षायें चल रही हैं और इस वर्ष अक्टूबर में ४,००० सरकारी कर्मचारी परीक्षा देंगे। मेरे माननीय मित्र ने यह भी कहा कि केवल ३ लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा पर ध्यान रहे कि यह काम उनके अलावा है जो रेलवे मंत्रालय और प्रतिरक्षा मंत्रालय अपने विभाग को हन्दी प्रशिक्षण देने के लिये कर रहे हैं। औद्योगिक कर्मचारियों को भी इस योजना में सम्मिलित करने का निर्णय कर लिया गया है। पर, उनको अभी तुरन्त प्रशिक्षण नहीं दिया जायेगा। चतुर्थ श्रेणी के अधिकांश कर्मचारी पहले से ही हिन्दी जानते हैं। रेलवे तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय स्वयं अपने विभाग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये प्रबन्ध कर रहे हैं। अतः कुल ३ लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना है। अगले वर्ष के अन्त तक लगभग ५०,००० कर्मचारियों को प्रशिक्षण मिल जायेगा।

[श्री दातार]

वैसे तो १९६२ तक सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का प्रयत्न किया जायेगा पर यदि ऐसा न हो सका तो १९६५ तक तो हम सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे ही देंगे। हमें तो संविधान में निश्चित लक्ष्य के अनुसार कार्य करना है अतः इस वर्ष के आय व्ययक में ३ लाख रुपये का उपबन्ध इस कार्य के लिये कर दिया गया है।

अब मैं अन्य बातों को लूंगा। यह भी कहा गया है कि शस्त्रास्त्र अधिनियम को तथा उसके अधीन बने नियमों को जिला दण्डाधिकारी ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। सरकार इस अधिनियम तथा इसके अधीन बने सभी नियमों को संहिताबद्ध करने के प्रश्न पर विचार कर रही है और शीघ्रसे शीघ्रएक विधेयक इस सभा में प्रस्तुत किया जायेगा। यह भी कहा गया कि यह शस्त्रास्त्र अधिनियम लगभग ८०वर्ष पुराना है। जो नया विधेयक इस सम्बन्ध में सभा में पेश किया जायेगा आशा है उससे सभा को संतोष हो जायेगा। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस अधिनियम तथा इसके अधीन बने नियमों का दुरुपयोग न होने पावे। विधि और व्यवस्था बनाये रखने के लिये इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि लोगों को अपनी, अपने पशुओं की तथा अपनी फसल की रक्षा के लिये अधिक से अधिक शस्त्रों को रखने की सुविधा दी जाये। अतः नया विधेयक जो हम सभा के सामने लायेंगे उसमें इन दोनों बातों का भी ध्यान रखना है। यह विधेयक यथासंभव प्रगतिशील बनाया जायेगा। इस सम्बन्ध में हमें राज्य सरकारों से भी परामर्श करना होगा क्योंकि उनको भी इस अधिनियम तथा इन नियमों का संचालन करना पड़ता है। सभी आरम्भिक कार्यवाहियों को पूरा कर लेने के बाद सभा के समक्ष विधेयक को प्रस्तुत किया जायेगा और उसके सभी उपबन्धों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा।

पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के बारे में भी कुछ जिक्र किया गया था। इस सम्बन्ध में मैं पुराने इतिहास को नहीं लेना चाहता। १९४७ के विभाजन के बाद यह सवाल पैदा हुआ कि पाकिस्तान के नागरिकों को किस प्रकार भारत में आने की अनुमति दी जाये। १९४८ में पारपत्र प्रणाली चलाई गयी और १९५२ में पारपत्र प्रणाली के स्थान पर पारपत्र व वीसा प्रणाली चलाई गई। दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों के बीच करार भी हुआ। अतः हमने सोचा कि हम उन पाकिस्तानियों को किसी समझौते पूर्ण ढंग से भारत से वापस भेजें। तीन या ४ वर्षों के अनुभव से पता लगा कि काम इस तरह नहीं चलेगा। इन अनधिकृत पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के विरुद्ध मुकदमा चला कर उन्हें कारावास का दंड भी दिया गया पर वे भारत से गये नहीं क्योंकि हमारे कानून में कुछ त्रुटि थी। इस सभा ने अभी कुछ महीने पहले विदेशी व्यक्ति कानून संशोधन विधेयक पारित किया। इस अधिनियम के अधीन हमें सभी आवश्यक अधिकार प्राप्त हो गये हैं। अब भी अवाँछनीय लोग भारत में आयेंगे उनको बाहर निकालने में हम अवश्य सफल होंगे और ऐसे लोगों को भारत में आने से रोकने में समर्थ होंगे जिनका प्रवेश भारत के हित में न हो। अभी केवल दो तीन या चार महीने बीते हैं। हम विदेशी व्यक्ति कानून संशोधन अधिनियम के सभी उपबन्धों का पूरा पूरा प्रयोग करेंगे और सभा को विश्वास करना चाहिये कि सभी प्रकार के अवाँछनीय व्यक्तियों को देश के भीतर नहीं आने दिया जायेगा। इस अधिनियम के सम्बन्ध में हम कोई भेद भाव नहीं आने देंगे, यह सब पर लागू होगा। पाकिस्तान में ऐसा कानून पहले से ही था। पर, हम समझते थे कि १९५२ में प्रधान मंत्रियों का जो करार हुआ है उससे ऐसी नौबत ही नहीं आयेगी। पर, जब हमने देखा कि पाकिस्तानी लोग उन हरकतों से बाज नहीं आते तो हमें भारत के हित में यह कदम उठाना पड़ा।

अगला प्रश्न जिसका जिक्र किया गया था, निवारक निरोध अधिनियम के बारे में था। जहां तक इस अधिनियम का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि हमें हर साल इसे पेश करना पड़ता है।

हर वर्ष बड़े ज़ोरदार भाषण होते हैं, और हमें बताया जाता है कि भारत की संविधि पुस्तिका में यह अधिनियम एक कलंक समान है। मैं यह बताना चाहता हूं कि शनैः शनैः निरोधों की संख्या कम होती जा रही है। और यह कमी इतनी तेजी से हो रही है कि आप अन्दाजा नहीं लगा सकते। जब यह विधान पहले पहल संविधान सभा के वैधानिक विभाग ने पारित किया था उस समय चिन्ता थी। १९५० में हमें इसे पांच या छः घंटे में पारित करना पड़ा था। इस प्रकार इस विशेष स्थिति का मुकाबला किया गया जो पैदा हो गई थी। निरोधों की संख्या किस प्रकार कम होती जा रही है इस सम्बन्ध में मैं कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत कर सकता हूं। ३१ दिसम्बर, १९५१ में निरोधों की संख्या १८६५ थी, अगले वर्ष यह संख्या ११९० हो गयी और फिर आगामी वर्ष में यह संख्या ३३८ हो गयी। जहां तक गत तीन वर्षों का सम्बन्ध है ३१ दिसम्बर १९५५ को संख्या केवल १३१ थी। १९५१ के पूर्व इनकी मूल संख्या १०,००० थी। माननीय सदस्यों को यह समझना चाहिये कि उस महान् आपातकालीन स्थिति में यह कितना आवश्यक था और इसके लिये हमें पिछली संसद् की सहायता लेनी पड़ी, ताकि इस विधान को शीघ्र ही पारित किया जा सके। १९५६ में यह संख्या केवल १५८ थी और ३१ दिसम्बर १९५६ को यह संख्या केवल १३४ थी।

जहां तक इस अधिनियम का संविधि पुस्तिका में रखने का प्रश्न है, उन्हें केवल इस बात का ही ध्यान नहीं रखना चाहिये कि निरोधों की संख्या बहुत कम हो गयी है। बल्कि यह देखना चाहिये कि इस अधिनियम का कितना संयमपूर्ण प्रभाव है। वास्तव में मेरे विचार से, श्री रघुबीर सहाय ने १४ तारीख को यह बात कही थी कि यह अधिनियम संविधि पुस्तिका में स्थायी रूप से रहना चाहिये। यह बड़ा प्रश्न है। आपकी सहमति के बिना तो इसको स्थायी रूप नहीं दिया जा सकता। कुछ भी हो, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इस अधिनियम का संविधि पुस्तिका में होना बहुत अधिक महत्व रखता है और लोगों पर इसका संयमपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसलिये मुझे प्रसन्नता है कि राज्य सरकारों ने इस अधिनियम का बहुत सावधानी से प्रयोग किया है और कभी भी इसका अनुचित लाभ नहीं उठाया है।

†श्री नाथ पाई (राजापुर) : यह तो सब उच्च न्यायालयों के कारण है आपके कारण नहीं।

†श्री दातार : यह जरूरी नहीं। आप द्वारा पारित इस अधिनियम के अन्तर्गत हमें सभी अधिकार प्राप्त हैं। उच्च न्यायालय तो केवल यह देखता है कि हमने स्वविवेक से काम लिया है या नहीं। यदि हमने मामले पर ठीक ढंग से विचार किया है और स्वविवेक से काम लिया है तो उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता। माननीय सदस्य को यह बात समझ लेनी चाहिये। मामला मंत्रणा समिति के पास भी जाता है और अधिकांश मामलों में निरोध उचित ही ठहराया गया है।

और भी कई बातें कही गई हैं। उदाहरणतः, मध्य प्रदेश राज्य की बात थी। श्री जांगड़े और श्री खादीवाला ने मध्य भारत के विकास के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही हैं। मध्य भारत बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। इसे भी बम्बई और मैसूर की भांति बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये तीनों ही ऐसे राज्य हैं जहां कि बहुत से क्षेत्रों का एक में विलय करना पड़ा। इन सब राज्यों को सहायता देने के मामलों में केन्द्रीय सरकार की नीति यही रही है कि हम हमेशा जितना हमसे बन पड़ा सहानुभूतिपूर्ण ढंग से देते रहे हैं।

जहां तक विधि की एकरूपता अथवा विभिन्नता का प्रश्न है, यह समय की बात है। उदाहरण के लिये बम्बई में कई राज्य विलय हो गये हैं। इसलिये विधियों की एकरूपता के

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

प्रश्न पर राज्यों को स्वयं विचार करना चाहिये । मुझे प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश, बम्बई, और मैसूर में इस सम्बन्ध में समितियां स्थापित हो गई हैं और एकरूपता लाने के लिये प्रत्येक प्रकार का प्रयत्न किया जा रहा है ।

सेवाओं का एकीकरण करने के मामले में भी हम शीघ्रता से विचार कर रहे हैं । मध्य प्रदेश के राज्य प्रशासन के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गई थीं । मैं यह कहना चाहता हूं कि बावजूद कठिनाइयों के वहां का प्रशासन बहुत ही प्रगतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण ढंग से चलाया जा रहा है और जो भी कठिनाइयां आयेंगी राज्य सरकार को उनका सामना करना पड़ेगा और वह हमसे भी आवश्यक सहायता मांग सकती है । ग्वालियर जैसे नगरों में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गई है । क्योंकि वहां से राजधानी हटा दी गई है । राजधानी के चले जाने से कुछ लोगों को कुछ आर्थिक कठिनाइयां भी हो गई हैं । राजस्थान में ऐसे कई नगर हैं । वहां की समस्त सरकारी इमारतें अब दायित्व ही बन कर रह गई हैं और हमें उनकी रक्षा करनी होगी, क्योंकि उन पर करोड़ों खर्च किये जा चुके हैं । हमारी कोशिश तो यह है कि जहां तक संभव हो सके इन इमारतों का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाये और उन्हें व्यर्थ में ही नष्ट न होने दिया जाय ।

†**सभापति महोदय** : मंत्री महोदय अपना भाषण मंगलवार को जारी रख सकते हैं । अब हम गैर-सरकारी कार्य आरम्भ करते हैं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चौथा प्रतिवेदन

†**श्री पहाड़िया** (सवाई माधोपुर—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन से, जो १४ अगस्त, १९५७ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

प्रति व्यक्ति औसत आय के सम्बन्ध में प्रादेशिक असमानता की जांच करने के लिये समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प—जारी

†**सभापति महोदय**: अब हम श्री महन्ती द्वारा ८ अगस्त, १९५७ को प्रस्तुत किये निम्नलिखित संकल्प पर आगे विचार करेंगे :—

"इस सभा की यह राय है कि भारत संघ में प्रति व्यक्ति औसत आय और विकास की दशाओं के सम्बन्ध में प्रादेशिक असमानता के बारे में अध्ययन और जांच करने के लिये पिछड़े हुए प्रदेशों को अन्य उन्नत प्रदेशों के समान स्तर पर लाने के हेतु उपायों की सिफारिश करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० क० ब० मेनन** (बडागरा) : मेरे भाषण देते हुए ही सभा स्थगित हो गई थी । मैं कह रहा था कि राज्य पुनर्गठन से हमारे देश में कुछ बहुत छोटे और कुछ बहुत बड़े राज्य बन गये हैं : इसके परिणामस्वरूप कई आर्थिक और राजनीतिक समस्यायें खड़ी हो गई हैं । इन समस्याओं के कारण ही यह संकल्प सभा के समक्ष प्रस्तुत है । उदाहरण के तौर पर केरल संघ का सब से छोटा राज्य है । वहां की जन संख्या बढ़ रही है । उनकी रोटी, रोजी और अन्य जीवन की सुविधाओं की व्यवस्था राज्य की बहुत बड़ी समस्या है । इसके लिये द्वितीय योजना में भी कोई इलाज नहीं । ४००० करोड़ रुपये से भी अधिक राशि में से केरल के लिये केवल ८७ करोड़ रुपये ही रखे गये हैं । मीन क्षेत्रों के विकास के लिये सारे भारत के लिये १२ करोड़ रुपये की व्यवस्था है, परन्तु केरल को केवल ७० लाख रुपये ही दिये गये हैं, जब कि केरल का समुद्र तट इतना लम्बा है । सिंचाई और बिजली के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २४ करोड़ की व्यवस्था है जो कि बहुत ही थोड़ी है । इसके अलावा कोई बड़ा उद्योग भी केरल में नहीं है । यदि विकास के अभाव का कारण राज्य का छोटा होना है तो इस समस्या का क्या हल होगा । पुनर्गठन और पुनर्वर्गीकरण का सुझाव मैं नहीं देना चाहता । इससे इस समय देश का हित नहीं होगा । परन्तु समस्या बड़ी आवश्यक है इसलिये इस समय यही किया जा सकता है कि केन्द्र को स्वयं ही इस सम्बन्ध में हस्तक्षेप करके इस बात का पता लगाना चाहिये कि योजना में राज्यों के लिये अपर्याप्त राशियों की व्यवस्था करने के कारण छोटे राज्यों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । इससे कई आर्थिक कठिनाइयां दूर हो जायेंगी ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

आर्थिक सुरक्षा और सुदृढ़ता के बिना राजनीतिक भविष्य भी खतरे में रहता है । मैं इस समय छोटे राज्यों के निर्माण से उत्पन्न राजनीतिक कठिनाइयों का उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि वे इस संकल्प के क्षेत्र से बाहर हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** जो सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हों, वे कर सकते हैं ।

†**श्री य० सिं० परमार** (महासू) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री बालासाहेब पाटिल** (मिराज) : मैं अपने संशोधन संख्या २, ३ और ४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह संशोधन सभा के समक्ष है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर) : देश के विभिन्न क्षेत्रों की असमानता की ओर ध्यान आकृष्ट करवाने के लिये मैं श्री महन्ती को धन्यवाद देता हूं । परन्तु मेरे विचार से यह संकल्प राज्यों की परस्पर असमानता के सम्बन्ध में नहीं है बल्कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की असमानता के सम्बन्ध में है । खैर, यह तो व्याख्या करने का सवाल है । कुछ भी हो, प्रश्न यह है कि क्या विशेषज्ञ समिति की स्थापना से यह प्रश्न हल हो जायेगा ? क्या एक समिति इस सम्बन्ध में सभी समस्याओं को हल कर लेगी ? मेरे विचार में इससे मामला सुलझने के स्थान पर उलझ ही जायेगा । कहा गया है कि हमें न केवल प्रत्येक क्षेत्र के प्रति व्यक्ति की आय असमानता का ही अध्ययन करना है अपितु विकास की विभिन्न अवस्थाओं का भी अध्ययन करना होगा । हमारे जैसे पिछड़े हुए देश में यह संभव नहीं । और इस प्रकार के मामले में विशेषज्ञ समितियां कुछ नहीं कर सकतीं ।

†मूल अंग्रेजी में

असमानता की जांच करने के लिये समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प

[श्री दी० चं० शर्मा]

प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ने से पता चलता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माताओं के समक्ष इस संकल्प का उद्देश्य पहले ही था । द्वितीय पंच वर्षीय योजना में जो ढंग अपनाये जायेंगे उन से असमानता स्वयं ही दूर हो जायेगी । औद्योगिक नीति संकल्प में सारे देश के संतुलित विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इससे सारे देश की जनता के जीवन का स्तर समान रूप से ऊंचा होगा । और यह भी कहा गया है कि इसके लिये औद्योगिक उत्पादन का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है । इस सम्बन्ध में अध्ययन करने, छानबीन करने तथा नीति बनाने के सम्बन्ध में योजना आयोग सब कार्यवाही कर चुका है इसे फिर से करने से कोई लाभ नहीं ।

एक केन्द्रीय सांख्यकीय संस्था है, इसकी क्षेत्रीय संस्थायें भी हैं, और जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों के विकास सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं । राज्य सांख्यकीय संस्थायें राज्यों के आंकड़े एकत्रित कर रही हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि पंजाब जैसे प्रगतिशील राज्य में वहां की सांख्यकीय संस्था का काम ठीक दिशा में चल रहा है ।

मेरा तात्पर्य यह है कि इस मामले में सब कुछ हो चुका है और आगे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है । न ही प्रति व्यक्ति आय से किसी राज्य के किसी क्षेत्र के विकास का ही अन्दाजा हो सकता है । और भी कई बातें हैं जिन पर किसी क्षेत्र का विकास बहुत अंशों तक निर्भर होता है । कृषि-उत्पादन, जन संख्या, औद्योगिक उत्पादन तथा सामाजिक सेवाओं का अध्ययन हमारे लिये किसी क्षेत्र के विकास का अन्दाजा लगाने के लिये जरूरी है । शिक्षा और स्वास्थ्य भी राज्य की समृद्धि का द्योतक हैं । आवश्यकता इस समय इस बात की है कि संतुलित आर्थिक विकास का कार्यक्रम अपनाया जाय । आप कह सकते हैं कि यह सब तो योजना आयोग की रिपोर्ट में विद्यमान है । योजना आयोग रूपी शास्त्र में तो सभी कुछ है, परन्तु हम सभी पर अमल नहीं कर सकते । परन्तु मुझे आशा है कि हम उसकी महत्वपूर्ण बातों को अवश्य कार्यान्वित करेंगे ।

सब से प्रथम सामूहिक रूप म अर्थ व्यवस्था के निर्माण का प्रश्न है । इसके लिये रेलवे, इस्पात क्षेत्र, औद्योगिक परियोजनायें, खनिज पदार्थों का विकास, तथा नौवहन, सभी ओर ध्यान देना आवश्यक है । योजना आयोग की रिपोर्ट में ऐसे सुझाव भी हैं जिससे राज्यों के निवासियों का जीवन स्तर ऊंचा हो । इसमें राष्ट्रीय विस्तार सेवा, सामुदायिक परियोजना, स्थानीय विकास कार्य, कृषि-उत्पादन, राज्य पथ और जन पथ, देहाती सड़कें, सामाजिक सेवायें सभी सम्मिलित हैं । राष्ट्रीय विकास के साथ साथ राज्य के विकास का कार्यक्रम भी रखा गया है ।

विशेष क्षेत्रों के लिये विशष कार्यक्रम भी हो सकते हैं । मान लीजिये किसी क्षेत्र में बड़े स्तर पर बीमारी फैल जाती है तो उसे दूर करने के लिये भी व्यवस्था है । खाद्यान्नों की कमी वाले क्षेत्र भी हैं, ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पिछड़े वर्गों के लोगों को आगे लाने की आवश्यकता है । नहरों और नल कूपों की भी आवश्यकता है । हमें जन शक्ति का भी उचित उपयोग करना है । योजनायें तो ग्राम, जिला, क्षेत्र, राज्य और केन्द्र, सभी स्तरों पर चल रही हैं । पंचायतों से आरम्भ हो कर केन्द्रीय सरकार तक इनका जाल है । मेरे विचार में विकास के विभिन्न कार्यों के लिये सभी क्षेत्रों का अलग खर्च का बटवारा कर यह कार्य राज्य सरकारों को सौंप देना चाहिये । इससे योजना शीघ्र सफल होगी । इस कार्य को कोई समिति नहीं कर सकती । परन्तु मैं इस बात पर जोर दूंगा कि किसी क्षेत्र की आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये ।

†**श्री बालासाहेब पाटिल** : मैंने श्री महन्ती के मूल संकल्प में तीन संशोधन प्रस्तुत किये हैं ताकि यह संकल्प और अधिक स्पष्ट हो जाय । इसमें कोई सन्देह नहीं कि सर्वोमुखी विकास के कारण भारतीय जनता की प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि अवश्य हुई है । परन्तु देश के कुछ भागों में कुछ पुराने चले आ रहे प्रभावों के कारण ऐसा नहीं हो पाया । इसलिये असमानता चल रही है ।

सब से प्रथम हमें इस असमानता के सभी कारणों का परीक्षण करना चाहिये । इसलिये मेरा कहना है कि इस अवस्था में विशेषज्ञ समिति की बड़ी आवश्यकता है । दूसरी योजना का दूसरा वर्ष चल रहा है और १९६० तक हमें प्रति व्यक्ति औसत आय बहुत सीमा तक बढ़ाना है ।

दूसरा काम यह है कि इस समिति में इस सभा के जो सदस्य होंगे वे भारत के विभिन्न भागों के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे और वे अपना निश्चित मत विशेषज्ञों को बता सकेंगे । यह भी व्यवस्था होनी चाहिये कि समिति के सदस्य भारत के विभिन्न भागों में जायें ताकि वे विकास की अवस्थाओं को स्वयं देख सकें । इसलिये मेरा निवेदन है कि समिति नियुक्त की जाये ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : यह संकल्प बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ध्यान आकृष्ट करता है । मैं समिति के नियुक्त किये जाने के पक्ष में नहीं हूं परन्तु इतना अवश्य कहूगा कि इस ओर योजना आयोग ने समुचित ध्यान दिया है । यह ऐसी बात है जिसका केवल एक राज्य अथवा क्षेत्र से नहीं अपितु सारे देश से सम्बन्ध है । देखना यह है कि सरकार ने इस ओर समुचित ध्यान दिया है अथवा नहीं । यदि प्रथम पंच वर्षीय योजना की कार्यान्विति सम्बन्धी आंकड़ों को हम देखें तो पता चलेगा कि सरकार ने इस प्रश्न की गम्भीरता को अनुभव नहीं किया । हमें पिछड़े हुए क्षेत्रों को पूरा अवसर और प्रेरणा देनी चाहिये कि वे उन्नति करें और अन्य क्षेत्रों के स्तर पर आयें । निस्संदेह विकसित क्षेत्रों को कुछ सुविधायें प्राप्त होती हैं तथापि योजना आयोग तथा केन्द्रीय सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिये कि अविकसित क्षेत्रों को भी पूरा प्रोत्साहन प्राप्त हो । वस्तुतः प्रथम योजना का परिणाम यह हुआ है कि विकसित क्षेत्रों का अधिक विकास हुआ है और अर्द्धविकसति क्षेत्र और अधिक पिछड़ गये हैं । राजस्थान वाणिज्य संघ ने कुछ आंकड़े एकत्र किये हैं उनसे यह प्रकट होता है कि योजना के तीन वर्षों अर्थात् १९५४ से १९५७ तक विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति ७·४६ रुपये से १६ रुपये तक व्यय किया गया । यह व्यय राजस्थान में सब से कम हुआ । यद्यपि राजस्थान पहले से ही अर्द्धविकसित राज्य है । इसके विपरीत राजस्थान में प्रशासन पर प्रति व्यक्ति सब से अधिक व्यय किया जाता है जो कई कारणों से आवश्यक है अतः मैं योजना मंत्री से निवेदन करूंगा कि विकास कार्यक्रम बनाते समय इस बात पर अवश्य ध्यान देवें ।

मैं माननीय विकास मंत्री से एक सीधा प्रश्न पूछता हूं कि क्या वे अर्द्धविकसित क्षेत्रों का विकास करने के लिये वचनवद्ध हैं ? यदि हां, तो उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है । वस्तुतः हम लोग, जो अर्द्धविकसित क्षेत्रों में रहते हैं, इस विभेद और उपेक्षा से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित रहते हैं । यह हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम बार बार आपका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकर्षित करें, अपितु यह आपका तथा केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य होना चाहिये कि वे स्वयं उन क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान देवें । अतः सरकार को इस सम्बन्ध में अपना रवैया बदलना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी इस सम्बन्ध में यह सिफारिश की है कि क्षेत्रीय विषमताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिये और अर्द्धविकसित क्षेत्रों के विकास में अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये तथापि इस सम्बन्ध में भी कुछ नहीं किया गया है।

प्रथम पंच वर्षीय योजना के पिछले पांच वर्षों में राजस्थान में एक भी परियोजना प्रारम्भ नहीं की गई न सरकारी क्षेत्र में कोई उद्योग ही खोला गया। जब कि राजस्थान में खनिज पदार्थों की बहुलता है और वह भारत के ४० प्रतिशत ऊन का उत्पादन करता है। वहां के कई उद्योग भी प्रोत्साहन न मिलने के कारण बर्बाद हो गये।

इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह अविकसित क्षेत्रों की ओर ध्यान देवे तथा इस सम्बन्ध में उठाई गई सभी समस्याओं पर विचार करे। केवल एक समिति की नियुक्ति करने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। सरकार को इस सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही करनी चाहिये।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : इस संकल्प पर बहुत गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक सदस्य ने अपने राज्य को सब से पिछड़ा राज्य बताया है और उसे उपेक्षित रखने की शिकायत की है। प्रश्न यह नहीं है कि कोई राज्य वित्तीय दृष्टि से अस्तित्व योग्य है या नहीं ; बल्कि इस प्रश्न के कई पहलू हैं, उदाहरणार्थ केरल शिक्षा की दृष्टि से सब से बढ़ा चढ़ा है किन्तु अन्य दृष्टियों से उपेक्षित है। विशेषतः भारी उद्योगों के सम्बन्ध में उसकी आज तक उपेक्षा की गई है। जन संख्या की दृष्टि से केरल की जनसंख्या सब से घनी है इस कारण वहां बेकारी की समस्या भी गम्भीर है। राज्य सरकार इन प्रश्नों को केन्द्र की सहायता के बिना नहीं सुलझा सकती है। बेकारी का प्रश्न भारी उद्योगों द्वारा ही हल हो सकता है, १९५०–१९६० के बीच के उद्योगों के आंकड़े देखने से ज्ञात होता है कि केरल में तीन बड़ी परियोजनायें तथा डी० डी० टी० फैक्टरी, रेयर इर्थ्स फैक्टरी और फर्टिलाइजर फैक्टरी प्रारम्भ की गई हैं तथा कई अन्य छोटे छोटे कारखानों के विस्तार करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इन सब परियोजनाओं में बहुत थोड़े व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा, जब कि एक ही भारी उद्योग में पर्याप्त व्यक्तियों को काम मिल जाता है।

इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि मैं केरल में ऐसे उद्योगों की स्थापना करना चाहता हूं जो भौगोलिक तथा अन्य कारणों से व्यावहारिक नहीं हैं। निस्संदेह केरल में लोहे और कोयले का उद्योग प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है किन्तु वहां ऐसे बहुत से उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं जिनके विकास की वहां पर्याप्त गुंजाइश है। उदाहरणार्थ वहां मछली पकड़ने के उद्योग के विकास की वृहत् संभावनायें हैं केरल से ३० मील दूरी के समुद्र में अत्यधिक संख्या में मछलियां पाई जाती हैं। इस उद्योग के विकास में करोड़ों रुपये व्यय करने की आवश्यकता है। केरल के लोगों का मुख्य भोजन मछली है वहां प्रति दिन प्रति व्यक्ति २० औंस मछली की खपत होती है। मैंने माननीय मंत्री से भारी उद्योगों में प्रति व्यक्ति विनियोग के सम्बन्ध में पूछा था। उसके अनुसार केरल में प्रति व्यक्ति विनियोग केवल १·०२ रुपये है जब कि उड़ीसा के लिये यही राशि ९७.६३ रुपये है। निस्संदेह हमारे यहां उड़ीसा की तरह भौगोलिक सुविधायें प्राप्त नहीं हैं किन्तु साथ ही हमारे यहां बेकारी अत्यधिक है।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि विभिन्न राज्यों के बीच की विषमताओं को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। केरल में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है केरल में बहुत बड़ी मात्रा में गंधक और ग्रेफाइट मिलता है साथ ही वहां चीनी मिट्टी भी

---

†मूल अंग्रेजी में

पाई जाती है जो बिजली के इन्सुलेटरों को बनाने के प्रयोग में आती है। केरल में इस उद्योग की वृद्धि की बहुत संभावनायें हैं।

इसी के निमित्त केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ३८ करोड़ रुपये की मांग की थी। वहां बहुत से उद्योगों के विकास की संभावनायें हैं यथा नारियल-जटा उद्योग, मोटर गाड़ियों के टायर उद्योग इत्यादि, साथ ही कोचीन में दूसरा जहाज निर्माण कारखाना भी खुल सकता है, इससे न केवल व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा अपितु कई छोटे उद्योगों का भी विकास होगा।

अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे केरल के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें तथा राज्य को आवश्यक धन उपलब्ध करें, इतना ही नहीं अपितु वहां किसी बड़े उद्योग की स्थापना करके बेकारी की समस्या को भी हल करें।

†श्री य० सि० परमार : निसंदेह देश के कुछ भाग पिछड़े हुए हैं। किन्तु इस समस्या का समाधान करना बहुत जटिल है क्योंकि इसके कई कारण हैं। पहिला कारण रेलें हैं। बिना रेलें बनाये, किसी विशेष क्षेत्र का विकास नहीं किया जा सकता है किसी उद्योग की स्थापना के लिये पहिले वहां रेलें बिछानी पड़ेंगी। दूसरी कई बातें राज्य सरकारों पर निर्भर रहती हैं यथा मोटर की सड़कों और छोटे उद्योगों का विकास करना। ये बातें राज्य सरकार की आर्थिक अवस्था पर निर्भर हैं।

मेरे विचार में राज्यों में राज्य विकास परिषद् की तरह कोई संस्था नहीं है वस्तुतः ऐसी संस्था का होना आवश्यक है जिससे प्रत्येक राज्य की आवश्यकता पर भली भांति विचार हो सके। इस प्रश्न के दो पहलू हैं एक विभिन्न राज्यों से सम्बन्ध रखता है दूसरा एक ही राज्य के विभिन्न भागों से। कुछ भी हो प्रथम पंच वर्षीय योजना में पिछड़े इलाकों में बहुत कुछ काम हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मोटर सड़कों के निर्माण, स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण के सम्बन्ध में सन्तोषजनक कार्य हुआ है। तथापि किसी भी क्षेत्र के सुधार के लिये पहिले परिवहन साधनों के विकास की आवश्यकता होती है। रेलें न होने पर मोटर परिवहन का साधन होना चाहिये। मोटर परिवहन सस्ता होना चाहिये, जिससे साधारण जनता उसका लाभ उठा सके।

यथासंभव आवश्यक और संभाव्य उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिये, उद्योगों की स्थापना संभव न होने पर छोटे पैमाने के उद्योगों, औद्यानिक उद्योग इत्यादि का विकास किया जाना चाहिये। दस वर्ष पहिले हिमाचल प्रदेश में जगाधरी और राजबन के बीच एक रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव था यह प्रस्ताव आज तक भी कार्यान्वित नहीं किया गया इसके कारण वहां दो तीन उद्योगों का विकास नहीं हो सका। कार्यक्रमों में पूर्ववर्तिता उस कार्य को दी जानी चाहिये जो उत्पादक हों और जिनसे जनता का आर्थिक विकास हो, अनुत्पादक कार्यों को बाद में किया जाना चाहिये तथापि इन उत्पादक कार्यों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

मैं आशा करता हूं कि योजना मंत्री इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से चर्चा करेंगे तथा राज्य सरकारें भी इस बात पर ध्यान देंगी कि विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान दिया जाय। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में पिछड़े वर्गों के इलाके के लिये ९१ करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं और ४५० मील लम्बी सड़कें भी बनाने की योजना बनाई गई है। मेरे विचार से यह पर्याप्त नहीं है, हमें अधिक सड़कों की व्यवस्था करनी चाहिये। हिमाचल प्रदेश में शिमला से चिनाई तक माल ले जाने का किराया ३० रुपये प्रति मन है जब कि दूरी केवल १६० मील है।

[श्री यं० सिं० परमार]

अतः वहां मोटर की सड़क बनाई जाय जिससे किराया कम हो और जनता में योजना को सफल बनाने और सहयोग देने का उत्साह पैदा हो ।

श्री मू० चं० जैन (कैथल) : मैं इस प्रस्ताव के मूवर (प्रस्तावक) श्री महंती को न सिर्फ इसलिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह रेजोल्यूशन जोकि हमारे सोशलिस्टिक आब्जैक्टिव्स (सामाजिक लक्ष्य) के मुताबिक है यहां रखा है बल्कि इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि इस प्रस्ताव के द्वारा उन्होंने एक बुनियादी मसले की ओर हमारा ध्यान दिलाया है ।

यह जो रिजनल डिसपैरिटी (क्षेत्रीय विषमता) का सवाल है, मैं इसको एक और दृष्टि से देखता हूं । इस सदन के कुछ मैम्बर साहिबान यह कहते हैं कि उनकी स्टेट बहुत गरीब है । यह ठीक ही होगा । मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि बेशक किसी एक स्टेट में गरीबी न हो, वहां के लोगों का गुज़ारा अच्छी तरह से चल रहा हो लेकिन उसके मुकाबिले पर अगर किसी दूसरी स्टेट का डिवेलेपमेंट बहुत ज्यादा हो गया हो, वहां के लोगों की पर-कैपिटा इनकम (प्रति व्यक्ति आय) बहुत ज्यादा हो गई हो, तो भी दूसरी स्टेट्स के या किसी एक स्टेट में दूसरे रिजन में आमदनी की डिसपैरिटी का होना उन लोगों के दिलों में जो पीछे रह जाते हैं, बड़ी भारी रिजेंटमेंट (असंतोष) पैदा कर देता है और उस रिजेंटमेंट की वजह से और उस बिटरनेस (कटुता) की वजह से देश की उन्नति होने के बजाय अवनति होती है और यूनिटी होने के बजाय डिसयूनिटी होती है और अशान्ति बढ़ती है ।

अगर हम इस मसले को, इस रिजनल डिसपैरिटी के मसले को दुनिया की दृष्टि से देखें तो हमें मालूम होगा कि आज दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जिन के पास बहुत ज्यादा सम्पत्ति है, जिन के पास बहुत ज्यादा धन दौलत है और जो बहुत आगे बढ़े हुए हैं लेकिन आबादी उन देशों की बहुत कम है । दुनिया की दो सौ या ढाई सौ करोड़ की आबादी में से मगरबी यूरोप तथा अमरीका की आबादी दुनियां की आबादी का केवल १/५ हिस्सा है । लेकिन धन दौलत के लिहाज़ से उसके पास कुल दौलत का लगभग ४ ५ हिस्सा है । इस का कुदरती नतीजा यह है कि जो ४/५ दुनिया की आबादी है और जिस के पास कुल दौलत का १/५ हिस्सा ही है, उसमें बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है, बहुत ज्यादा डिससैटिसफैक्शन (असंतोष) है । यह जो एमबैलेंस (असंतुलन) पैदा हो गया है, इसकी वजह से भी आज दुनिया में अशान्ति है । दुनिया के वे लोग जिन के पास इकोनोमिक शक्ति कम है, वे चाहते हैं कि किसी तरह से उस बढ़ी हुई शक्ति में से उनको भी हिस्सा मिले और जिन को पहले से आज ज्यादा हिस्सा मिल रहा है वे उसको कायम रखना चाहते हैं क्योंकि उनके वैस्टिड इंटिरेस्ट्स (निहित स्वार्थ) हो गए हैं और वे उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं । यही कारण है कि आज दुनिया में अशान्ति है ।

इसी तरह से अगर यह बात हमारे देश में होती है, अगर वे इलाके जो पहले से ही डिवेलेप्ड (विकसित) हैं, वे और डिवेलेप होते जाते हैं और वे रिजंस जो पहले से ही अंडर-डिवेलेप्ड हैं वे उसी सतह पर कायम रहें जैसे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में थे या उससे पहले थे, तो उस सूरत में जिस बात की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं अपनी हकूमत का वह यह है कि बेशक उन इलाकों में लोग भूखे न मरते हों, चाहे वहां पर ज्यादा गरीबी न हो, उन इलाकों में बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट होगा और केवल इसी कारण से होगा कि दूसरे इलाकों की तरफ जिन की तरफ पहले ही से ध्यान दिया जाता था, अब भी दिया जा रहा है । यही बात उन इलाकों में रिजेंटमेंट पैदा करने के लिए काफी है । आज असम में आयल रिफाइनरी (तेल शोधनशाला) स्थापित करने की बात चल रही है और इसको लेकर वहां पर काफी एजिटेशन (आन्दोलन) भी हुआ है । इसका क्या

कारण है ? मैं समझता हूं कि असम के लोग यह समझते हैं कि जो उनका हक़ है उस हक़ से उनको महरूम किया जा रहा है और उनका जो इलाका है उसको डिवेलेप करने की कोशिश नहीं की जा रही है। उनके इलाके में कोई हैवी इंडस्ट्री (भारी उद्योग) नहीं है और इस वजह से वे एजिटेशन करते हैं। यही बात महाराष्ट्र और गुजरात पर लागू होती है। महाराष्ट्र और गुजरात का आज भी यहां पर ज़िक्र आया है। माननीय सदस्यों द्वारा इस मसले को बार बार उठाया जा रहा है, इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि बम्बई शहर जिस पर की वजा तौर पर महाराष्ट्रियों का हक़ है, उनको नहीं सौंपा गया है। बम्बई पर कुछ लोगों के वैस्टिड इंटिरेस्टस हो गये हैं। वहां पर उन लोगों का बहुत सा धन, बहुत सी सम्पत्ति लगी गई है और वे लोग चाहते हैं उनका धन, उनकी सम्पत्ति महफूज़ रहे। उनको डर है कि अगर महाराष्ट्र के हाथ में बम्बई चली जाती है तो उनकी सम्पत्ति महफूज़ न रहे। तो यह जो अशान्ति पैदा होती है यह किसी इलाके के बहुत ज्यादा और किसी के बहुत कम डिवेलेप होने की वजह से पैदा होती है।

इसी तरह से पंजाब के मसले का आज यहां पर ज़िक्र आया है। जब होम मिनिस्ट्री की डिमांड्स पर बहस हो रही थी तो हमारे माननीय सदस्य ने इस समय जो वहां पर हिन्दी एजिटेशन चल रही है, उसका ज़िक्र किया था। उस हिन्दी एजिटेशन का मेरे विचार में कुछ और ही रूप है। पंजाब में दो तबके हैं, हिन्दु और सिख। वे जो आज बट गए हैं उससे एक अजीब हालत वहां पर पैदा हो गई है। मैं समझता हूं कि जो एनेलेसिस (विश्लेषण) इस एजिटेशन का यहां पर किया गया है, वह गलत है। वहां पर एजिटेशन इस वजह से है कि पंजाब में एक इलाका जो बहुत बेकवर्ड (पिछड़ा) है जो, बहुत अंडर-डिवेलेप्ड है, उसको डिवलेप करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। यह वह इलाका है जिसको कि हिन्दी रिजन के नाम से पुकारा जाता है। यह बात नहीं है कि वहां पर लोग भूखे मर रहे है। मैं भी इसी इलाके से आया हूं जिसको कि हिन्दी रिजन कहा जाता है। अगर हम हिन्दी तथा पंजाबी दोनों रिजंस का मुकाबिला करें, चाहे हम एग्रिकलचरल (कृषि) क्षेत्र में करें, इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र में करें और चाहे पोलिटिकल (राजनीतिक) क्षेत्र में करें, किसी भी मामले में करें, तो हमें मालूम होगा कि वे भाई जो कि पंजाबी रिजन में रहते हैं, बहुत ज्यादा डिवेलेप्ड हैं और यह जो हिन्दी रिजन का इलाका यह बहुत ज्यादा अंडर-डिवेलेप्ड है। आज जब हम उन लोगों से बात करते हैं जो कि इस एजिटेशन के पीछे हैं, जो कि इस एजिटेशन को चला रहे हैं तो हमें वे थोड़ी सी देर में यह कह देते हैं कि अगर भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो हमारी जो एजिटेशन है, उसमें कोई वजन नहीं है। वे कहते हैं कि रिजनल फारमूला तो बन गया और इसके बनाने में हरियाना वालों का बहुत बड़ा हाथ था और उनकी यह ख्वाहिश पूरी हुई हालांकि हरियाना प्रान्त जो वह अलग से चाहते थे उनको नहीं मिला है। अब वे यह कहते हैं कि रिजनल फारमूला भी बन गया लेकिन हमें क्या मिला है और हमें ऊंचा उठाने का क्या प्रयत्न हो रहा है। वे कहते हैं कि हमारे साथ जो ज्यादती पोलिटिकल फील्ड में हुई है और जो ज्यादती इकोनोमिक फील्ड में हुई वह दूर नहीं हुई अब इस सदन के माननीय सदस्य यह जानना चाहेंगे कि वे कौन सी बात है जिस के कारण कि हरियाना के लोग तंग हैं। आप नहरी पानी की बात ही ले लें। जब इरिगेशन मिनिस्ट्री की डिमांडस पर बहस हुई थी उस वक्त मैं इसका ज़िक्र किया था और मैंने कहा था हमारी सरकार इस बात का तो फिक्र करती है कि देश के वाटर रिसोर्सिस डिवेलेप हो (जल संसाधनों का विकास हो) और इसी वजह से वह बड़ी बड़ी प्राजेक्टस (परियोजनायें) चालू कर रही है जिन में भाखड़ा भी एक है। लेकिन उन रिसोर्सिस की तकसीम कैसे हो, उस पानी का बटवारा कैसे हो, इसकी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है। भाखड़ा प्राजैक्ट को मेनली (मुख्यतः) इसलिए बनाया गया था कि रोहतक

[श्री मू० चं० जैन]

गुड़गांव तथा हिसार वगैरह के जो जिले हैं और जहां की ज़मीन बड़ी जरखेज़ है और जिस को नहरी पानी से महरूम रखा गया है, उसके लिए पानी का कोई इंतज़ाम किया जाए । लेकिन अब जबकि पानी मिलना शुरू हो गया ह तो क्या हो रहा है ? हमारे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास जी ने कुछ दिन हुए किसी एक मौके पर इसका जिक्र किया था और बताया था कि किस तरह से हमारे इलाकों को निगलैक्ट (उपेक्षा) किया जा रहा है । इसके पानी से ५०-६० लाख एकड़ जमीन यहां भी सेराब होनी थी । लेकिन आज हो क्या रहा है ? उस पानी में से कितना सारा पानी पटियाला को दे दिया गया है, लुधियाना को दे दिया गया है तथा दूसरे इलाकों को दे दिया गया है जिसका नतीजा यह हुआ है कि हमारे इलाके के कितने ही गांव इस पानी से महरूम रह गये हैं । गुड़गांव जिले को कतई पानी नहीं मिला है । झज्झर की तहसील है जिस को कि पानी का एक कतरा भी नहीं मिला है । यही हालत भिवानी तहसील की है । करनाल व पानीपत की तहसीलों में जितना नहरी पानी पहले मिला करता था उतना ही अब मिल रहा है ।

इन इलाकों का अब आप फिरोजपुर जिले से, लुधियाना से, अमृतसर से मुकाबिला करें । वहां पर अगर किसी गांव में १०,००० बीघे जमीन है तो उस में से ७,००० बीघे जमीन को पानी मिलता है । हमारे इलाकों में बरानी इलाकों के मुकाबिले की बात को तो आप जाने दीजिये । लेकिन नहरी पानी के मामले में इधर हमारे इलाके में अगर किसी गांव में १०,००० बीघा जमीन है तो उस में से मुश्किल से ३,००० बीघे जमीन को ही पानी मिलता है या मुश्किल से ३० फीसदी जमीन को ही मिलता है । अब आप वहां के एग्रिकल्चरिस्ट्स का और यहां के कल्टीवेटर्स का मुकाबिला करें । एक कल्टीवेटर जिसकी ७० फीसदी जमीन को पानी मिलता है और दूसरी तरफ वह कल्टीवेटर जिसकी कुल जमीन में से केवल तीस फीसदी जमीन को पानी मिलता है किस तरह से उसका मुकाबिला कर सकता है और किस तरह से उसके बराबर खुशहाल हो सकता है । इंडस्ट्रियल फील्ड में भी यही बात होती है । पहले जब जोगिन्दर नगर से बिजली मिलनी शुरू हुई तो वह भी पंजाबी रिजन को ही मिली । लुधियाना, जो कि पंजाब का मानचेस्टर कहलाता है, को बहुत सस्ती बिजली मिल गई । जब भाखड़ा की बिजली मिलनी शुरू हुई तो झटपट बहुत तेजी से बहुत सारी बिजली बहुत सारी पावर उधर दे दी गई । हमारे इस इलाके के लोग जो बैकवर्ड (पिछड़े) थे, अंडर-डिवेलेप्ड (अर्ध विकसित) थे, जिन्होंने अपने साधनों का विकास नहीं किया था जब इनके बिजली लेने का वक्त आया तो हुक्म दे दिया गया कि जो बिजली इंडस्ट्रियल परपजिज के लिये दी जाये, वह स्टेट गवर्नमेंट की इजाजत से दी जाये, मुकामी अफसर उसे नहीं दे सकते हैं । फिर यह कहा गया कि दिल्ली को बिजली की जरूरत है, उसको बिजली दी जाये । इसी तरह से पानी की कमी को दूर करने के लिये ट्यूबवेल्स (नलकूप) बनाये गये थे । इसके बाद सवाल पैदा हुआ कि जो वाटर रेटस हैं वे पूल कर लिये जायें । उत्तर प्रदेश में वे पूल हो गये हैं । लेकिन यहां पर जालंधर डिविजन के लोगों ने कहा और इस पर जोर दिया कि ये पूल नहीं हो सकते हैं । इसकी वजह यह थी कि अगर आबयाने के ट्यूबवेल्स के रेट्स ज्यादा हैं तो उन लोगों को ज्यादा देना पड़ता था ।

मैं बहुत सी मिसालें दे सकता हूं । लेकिन चूंकि समय नहीं है इस वास्ते दे नहीं सकता हूं । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अशान्ति का असली कारण है वह यह है कि लोग यह महसूस करते हैं कि उनकी उपेक्षा की जा रही है जब कि उन इलाकों की तरफ जोकि आलरेडी काफी डिवेलेप्ड हैं, काफी से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है । आज एक देहात का किसान बड़ी आसानी से यह पता लगा सकता है कि दूसरे इलाकों में क्या क्या सुविधायें पहुंचाई जा रही हैं । आज ट्रांसपोर्ट की

सहूलियतें मुहैया हो गई हैं और वह इधर से उधर जा कर हर चीज अपनी आंखों से देख सकता है। आज वे घर की चारदीवारी मे ही बन्द नहीं पड़े रहते हैं। आज बैकवर्ड इलाकों के लोग यह महसूस करते हैं कि पिछले दस वर्षों से जब से हमारा देश आजाद हुआ है, उनकी वही हालत है कि जसी हालत उनकी पहले थी। इसका कुदरती नतीजा यह निकलता है कि उनके अन्दर रिजेंटमेंट बढ़ता है और जब इस रिजेंटमेंट का कोई इलाज नहीं होता है तो वह किसी न किसी शक्ल में फटती है और वह आज पंजाब के अन्दर हिन्दी एजिटेशन के नाम पर फूट पड़ी है। और हरियाने के लोग ही इसे ज्यादा सपोर्ट (मदद) कर रहे हैं, मेरे जैसे आदमी जो इस आन्दोलन को हानिकारक समझते हैं, को बहुत कम सुनते हैं।

यह जो रेजोल्यूशन मेरे मित्र महंती जी ने पेश किया है इसमें उन्होंने न सिर्फ एक बुनियादी मसले की तरफ हमारा ध्यान खींचा है बल्कि हमारी गवर्नमेंट का ध्यान भी उस तरफ दिलाया है कि उसे न सिर्फ मुख्तलिफ साधनों के प्रोपोरश्नेट डिवेलेपमेंट (संतुलित विकास) की तरफ ध्यान देना है बल्कि एक स्टेट में भी जो वेरियस रिजंस (विभिन्न क्षेत्र) हैं उन रिजंस की तरफ भी पूरा पूरा ध्यान देना होगा। अगर इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो जिस चीज की तरफ बार बार इशारा किया जाता है और जैसा कि कल भी हमारे प्रधान मत्री ने अपने एड्रेस में कहा था और अभी पिछले दिनों भी कहा था कि कंट्री डिसइंटेग्रेशन (विसंगठन) की तरफ बढ़ रहा है, उसे आप रोक नहीं सकेंगे। डिसइंटेग्रेशन (विघटन) होने का कारण क्या है, इस को हुकूमत को समझना होगा। जब कोई ज्यादती हुकूमत का अफसर करता है या मिनिस्टर करता है, मिनिस्ट्री करती है, तो उस से देश के लोगों में रिजंटमेंट बढ़ता है और वही देश के लोगों के डिसइंटेग्रेशन का कारण है।

इसलिये मैं खत्म करते हुए मूवर को बधाई देता हूं और गवर्नमेंट का ध्यान दिलाता हूं कि यह एक बुनियादी मसला है, इसे समझते हुए गवर्नमेंट को पूरा ध्यान रखना होगा। सिर्फ ध्यान ही नहीं रखना होगा बल्कि अमल कर के रिजेंटमेंट के कारण को दूर करना होगा।

†**श्रम, और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : श्री माथुर ने कहा है कि संकल्प का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन से सहमत हूं वस्तुतः यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है। मुझे ज्ञात है कि सभा के सदस्यों तथा जनता में भी इस विषय में पर्याप्त असंतोष है और यह संकल्प उनकी इस भावना को व्यक्त करता है कि। जहां तक इस संकल्प के उद्देश्य का सम्बन्ध है मैं प्रस्तावक से सहमत हूं तथापि मैं उनके द्वारा बतायी गई प्रणाली से सहमत नहीं हूं।

इस संकल्प में कुछ प्रश्न पूछे गये हैं। पहिला क्या यह समस्या उपस्थित है और उसे उचित मान्यता प्रदान की गई है। क्योंकि तभी इस स्थिति के उपचार के लिये योजनायें बनाई जा सकती हैं। दूसरा उपयुक्त प्रश्न यह है कि क्या हमें स्थिति का पर्याप्त ज्ञान है और क्या हम समस्या को ठीक से समझ सके हैं? तत्पश्चात् संकल्प में यह बताया गया है कि विषमताओं का पता किस प्रकार लगाया जाये तथा समस्या के रूप तथा प्रकार का ज्ञान किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। वे यह भी जानना चाहते हैं कि क्या हमारे पास समस्या के समाधान के समुचित साधन हैं, किन तरकीबों से यह अवांछनीय स्थिति दूर की जा सकती है। उन्होंने एक समिति नियुक्त करने का सुझाव दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

समिति की नियुक्ति के सुझाव के अलावा मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देना होगा। आशा है हमारे उत्तर से सभा को संतोष प्राप्त होगा। उनके अन्तिम सुझाव से कोई लाभ नहीं होगा इससे प्रस्तावक का उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा।

पहिले प्रश्न के प्रति हमारा दृष्टिकोण यह है कि यह साधारण आर्थिक प्रश्न नहीं है। इसमें सामाजिक न्याय का प्रश्न भी शामिल है। हम सब, संसद तथा सरकार दोनों ही व्यक्तिगत तथा सामाजिक विषमताओं को दूर कर सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में योजना आयोग ने कोई कमी नहीं की है। उसने कहा है :—

> "यह स्वयं सिद्ध बात है कि अल्पविकसित क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान दिया जायेगा। विनियोग का प्रकार ऐसा होना चाहिये कि संतुलित क्षेत्रीय विकास हो।"

राष्ट्रीय विकास परिषद्, जो विशेषतः देश के आर्थिक विकास से सम्बन्ध है और जिस में सभी राज्यों के मुख्य मंत्री शामिल हैं, ने कहा है, कि :

> "सिद्धांत रूप से यह स्वीकार कर लिया गया है कि, उपलब्ध संसाधनों द्वारा देश के विभिन्न भागों का संतुलित विकास किया जाये।"

मैं आपको यह सब इस कारण बता रहा हूं कि नीति में कोई मतभेद नहीं है। अप्रैल, १९५६ के औद्योगिक नीति संकल्प में इस पहलू पर पर्याप्त जोर डाला गया है। यह कहा गया है कि यह बात महत्वपूर्ण है कि विभिन्न क्षेत्रों के विकास की विषमताओं को उत्तरोत्तर दूर किया जाये।

अन्य प्रश्नों को लेने के पूर्व मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमने विभिन्न सदस्यों से उनके राज्य की त्रुटियों के सम्बन्ध में सुना। उन्होंने जो कुछ कहा है वह सत्य हो सकता है किन्तु इस समय मैं आपको संकल्प के विभिन्न अंगों यथा नीति, दृष्टिकोण प्रणाली, तथा किस सीमा तक यह प्रणाली सफल हुई है, के सम्बन्ध में बताऊंगा। सभव है मैं कुछ स्थितियों के सम्बन्ध में जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है कोई संतोषजनक उत्तर न दे पाऊं।

इस समय मैं माननीय सदस्यों को सरकार तथा योजना आयोग की स्थिति बताना चाहता हूं जिसमें उन्हें विश्वास हो जाये कि यह सभी बातें हम पहिले से ही जानते हैं। हम इस समस्या से भली भांति अवगत हैं और उसको हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में समिति बनाने से कोई लाभ नहीं होगा।

दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम सामान्यतः असमानता को स्वीकार कर सकते हैं परन्तु जब तक हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि क्षेत्रों की असमानता कैसे .....

†**श्री वें० प० नायर** : इसीलिये तो समिति नियुक्त करने की मांग की गई है।

†**श्री नन्दा** : मैं यह बता रहा हूं कि समिति भी, जो कुछ हम कर रहे हैं, उससे अधिक और कुछ नहीं कर सकती है। आवश्यकता एक ऐसी व्यवस्था की है जिस से सम्बन्धित असमानता का पता लग सके, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में असमानता के अन्तर का पता लग सके और एक ही क्षेत्र में समय समय पर होने वाले अन्तर का भी पता लग सके। उपयुक्त नीति बनाने के लिये और उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये यह महत्वपूर्ण है। विभिन्न क्षेत्रों की दशा, एक राज्य में दूसरे राज्य से कितनी कमी है, आदि के बारे में हमें स्थिति का ज्ञान है और कार्यवाही करने के लिये हमारा मार्ग-दर्शन भी कराया जाता है।

---

† मूल अंग्रजी में

परन्तु यही पर्याप्त नहीं है। कितनी तथा किस प्रकार की प्रगति हो रही है अथवा विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार की प्रगति हो रही है आदि समस्यायें केवल इसी देश की नहीं हैं। संसार के अन्य देशों का ध्यान भी इस ओर है। संयुक्त राष्ट्र की समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया था। इस समिति के सभापति एक भारतीय राष्ट्रजन, डा० राव थे और उन्होंने एक स्तर निश्चित करने के लिये कुछ सांकेतिक आंकड़े और कुछ सिद्धांत बनाये थे। यह अन्तर्राष्ट्रीय तुलना करने के लिये बनाये गये थे; हमारे ऊपर यह पूर्ण तरह लागू नहीं होंगे। परन्तु फिर भी इससे हमारा कुछ मार्गदर्शन तो होता ही है। उन्होंने कितने ही प्रकार के सांकेतिक आंकड़े (इंडिकेटर) तैयार किये हैं। मैं उन्हें बता कर सभा का समय लेना नहीं चाहता।

हम यहां अपने देश में असमानता की जांच और विकास के स्तर की समस्या पर विचार करते रहे हैं। केन्द्रीय सांख्यकी संगठन और राज्य सांख्यकी विभाग प्रामाणिक परिभाषायें, उद्देश्य, तथा तरीके निर्धारित करने का विचार कर रहे हैं जिससे विभिन्न क्षेत्रों में तुलनात्मक और उपयुक्त प्राक्कलन तैयार किये जा सकें। केन्द्रीय तथा राज्यों के सांख्यिकों का एक संयुक्त सम्मेलन बुलाया गया था, जिसने पुनर्गठित राज्यों की मूल सांख्यकी के संकलन के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी है और यह काम किया जा रहा है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि यह एक आसान काम नहीं है। हमारे पास किसी राज्य के प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े हैं। हो सकता है कि उपभोक्ता व्यय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त हो जाये और कोई भी व्यक्ति किसी विशेष विषय के आंकड़ों को देख कर निर्णय कर सकता है और यह निर्णय बड़े खतरनाक हो सकते हैं। जैसे कुछ दिन पूर्व एक माननीय सदस्य ने कुछ राज्यों की प्रति व्यक्ति आय बताई थी। केन्द्र में हम विभिन्न क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इनकी उपयोगिता और तुलना की योग्यता सीमित होगी। यह अस्थाई प्रकार की हो सकती है। कुछ राज्यों ने यह कार्य स्वयं प्रारम्भ कर दिया है। वे राज्य उत्तर प्रदेश, बम्बई, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और आसाम हैं। अब पंजाब और आन्ध्र ने भी यह काम प्रारम्भ कर दिया है। उन्होंने कुछ गणना की है। कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के आंकड़े बताये गये और यह निष्कर्ष निकाला गया कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है। यह निष्कर्ष इसलिए निकाला गया कि हम वर्तमान मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय और स्थिर मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों के बीच अन्तर को भूल गये थे।

विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय का पता लगाने पर भी, सभी संकेतक आंकड़ों का पता लगाने पर भी, विभिन्न राज्यों की स्थिति का उचित अनुमान उनसे नहीं हो सकेगा। कुछ उपभोक्ता व्यय के आंकड़े हमारे पास हैं और आपको उससे पता लगेगा कि आसाम का समाज सूची में दूसरा स्थान है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि क्योंकि आसाम में देहाती क्षेत्रों में उपभोक्ता व्यय अधिक है इसलिये आसाम एक बहुत विकसित राज्य है।

इसलिये यह कार्य बड़ी सावधानी से हमें करना है। और हमारा मार्गदर्शन केवल एक ही प्रकार के संकेतिक आंकड़ों से नहीं हो सकता है। हमें कई परीक्षणों के पश्चात् स्थिति को समझना है और बड़ी सावधानी से समस्त सूचना पर विचार करना है। उपयुक्त सांकेतिक आंकड़ों को तैयार करने में प्रगति की जा रही है। मैं राज्यों के कुछ उदाहरण दे चुका हूं।

संसाधानों आदि का निर्धारण करने के लिए विभिन्न राज्यों में क्षेत्रों का उचित सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। संभवतया माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी होगी कि इस दिशा में योजना आयोग ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है। दामोदर घाटी का क्षेत्रीय आयोजन सर्वेक्षण और मद्रास, मैसूर

[श्री नन्दा]

और केरल राज्यों में संसाधनों के सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। मैसूर का सर्वेक्षण बड़े पैमाने पर हुआ है और अन्य राज्यों में छोटे पैमाने पर किया गया है। ऐसा विचार है कि इन सर्वेक्षणों को भारत के अन्य भागों के लिये आदर्श के रूप में रखा जायेगा।

सांकेतिक आंकड़ों को सन्तोषजनक रूप से काम में लाने में कुछ समय लगेगा। परन्तु अन्य बातों के सम्बन्ध में लाभदायक जानकारी काफी मात्रा में एकत्रित कर ली गई है। उदाहरण के लिए सिंचाई, विद्युत्, समाज सेवा, परिवहन आदि के सम्बन्ध में सारे राज्यों की जानकारी का विश्लेषण कर लिया गया है और अब हम कह सकते हैं कि विकास के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य किस स्तर पर हैं और विभिन्न स्थानों की स्थिति सुधरी है अथवा बिगड़ी है। विभिन्न संस्थाओं की सहायता से योजना आयोग ने यह जो कार्य किया है उसे अभी जारी रखना है जिससे और अधिक तथा ठीक आंकड़े इकट्ठे किए जा सकें। योजना आयोग के कुछ गवेषणात्मक कार्य-क्रम हैं जिनके अधीन इसी दिशा में काम होगा।

मैं मानता हूं कि इन बातों से जानकारी पूरी नहीं होती है और इसीलिए हम पर यह जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इन आंकड़ों को सन्तोषजनक रूप में एकत्र करने, विश्लेषण करने तथा निर्वचन करने के कार्य को और अधिक ध्यान से करें।

माननीय सदस्य के संकल्प के पहले दो भागों के बारे में स्थिति यह है कि हम समस्या की गम्भीरता को समझते हैं और हम उचित सांकेतिक आंकड़े तैयार करने में लगे हुए हैं अर्थात् प्रगति, असमानता अथवा कमियों का पता लगाने में लगे हुए हैं और हमने पर्याप्त सफलता भी प्राप्त कर ली है यद्यपि अभी बहुत काम करना बाकी है।

संकल्प के दूसरे भाग के सम्बन्ध में मैं संक्षेप में कुछ बताना चाहता हूं। समस्या केवल एक क्षेत्र में कम विकास की नहीं है। यह एक मूल बात है। समस्त देश ही कम-विकसित है। किसी किसी राज्य, जैसे बम्बई, में यहां वहां कुछ विकास हुआ है। कुछ स्थानों पर, थोड़ा सा विकास भी अन्य भागों के अविकसित होने के कारण बहुत अधिक मालूम हो सकता है। परन्तु बम्बई में भी मिल आदि होने के कारण, क्या आप समझते हैं कि देहाती क्षेत्रों की जनता की हालत अच्छी है। ऐसा नहीं है। मैं वहां की दशा के बारे में बहुत कुछ जानता हूं। यह समस्या अंशतः प्राकृतिक लाभ अथवा हानि के कारण हुई है। यही वास्तविक समस्या है। साथ ही साथ दीर्घकालीन ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भी ऐसा है। इसलिए हमें तथ्यों को समझना चाहिए। देश के प्रति इस उपेक्षा को दो अथवा तीन वर्षों में ठीक नहीं किया जा सकता है। यह सम्भव नहीं है। हमें तथ्य समझने चाहियें। हमें यह भी समझना चाहिए कि इस देश में विकास का काम अभी प्रारम्भ ही हुआ है। यह निश्चित है कि विकास के पहले प्रयास में, अपने कामों में आपको बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे जो भी विनियोजन किया जाये उसके सुन्दर परिणाम निकलें। यदि पांच अथवा दस तक आप अपना काम भली प्रकार चला सकें तो देश के विकास के लिए यह बड़ा ही लाभदायक होगा। सम्भव है इस अवधि में हम अल्प विकास की समस्या कुछ स्थानों पर ही सुलझा सकें हों परन्तु यदि देश का उचित रूप में विकास होने दिया गया तो वह कुछ वर्ष में ही अल्पविकसित क्षेत्रों को अधिक सरलता से सहायता देने के काबिल हो जायेगा और यदि ध्यान दूसरी ओर बंट गया और संसाधन नष्ट हो गये तो इसका विकास नहीं होगा। यह एक महत्वपूर्ण बात है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर ध्यान दें क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में अल्प विकसित क्षेत्र हैं जहां अविलम्ब सुधार होना चाहिए और समस्त देश के विकास तक वे प्रतीक्षा नहीं कर सकते।

इसलिए जो कुछ भी उन क्षेत्रों के लिए किया जा सकता है वह किया जायेगा। जब मैंने यह कहा कि हमें समस्त देश के विकास पर ध्यान देना है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि जो कुछ सम्भव है

वह भी अन्य क्षेत्रों के लिए नहीं किया जायेगा। हमें यह याद रखना है कि संसाधनों का उपयोग और विनियोजन किया जा रहा है वह आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण के रूप में ही हमें मिल रहे हैं। इन ऋणों पर सूद भी देना होगा और ऋण का मूलधन भी वापस लौटाया जायेगा। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हमें विनियोजन इस प्रकार करना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप हमारा विकास शीघ्र हो सके।

यह एक महत्वपूर्ण बात है और इसको सदा ध्यान में रखना चाहिये। मैं विशेषतया इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह प्रश्न समय समय पर उठाया जाता है कि भारी उद्योगों का विकास किस गति से हो रहा है और विभिन्न राज्यों में कितने प्रतिशत आवंटन किया गया है। इसको एक माननीय सदस्य ने स्वयं मान लिया है कि प्रत्येक राज्य में सभी प्रकार से समान विकास नहीं हो सकता है। विभिन्न राज्यों में प्राकृतिक संसाधनों तथा अन्य बातों के बारे में अन्तर हो सकता है विशेष राज्यों में विशेष प्रकार का विकास ही करना होगा। वास्तव में महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी क्षेत्रों को समान अवसर मिलने चाहियें परन्तु एक ही दिशा में समान विकास नहीं हो सकता। हमें इस दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए कि प्रारम्भिक अवस्था में हम विनियोजनों पर इस प्रकार ध्यान लगायें जिससे समस्त देश की प्रगति शीघ्रता से हो। यदि ऐसा हुआ तो वह दिन दूर नहीं है जब भारत पिछड़े अथवा अल्प विकसित क्षेत्रों की छोटी से छोटी आवश्यकता की ओर ध्यान देने लगेगा। तब तक जैसा कि मैंने आंकड़ों और तथ्यों से बताया, जो कुछ भी सम्भव है किया जा रहा है।

प्रथम योजना को ले लीजिए। उसका उद्देश्य असमानता को दूर करना और खाद्यान्नों आदि की कुछ कमियों को पूरा करना आदि था और अनिवार्यतः हमें कुछ परियोजनायें जारी रखनी पड़ीं। उस समय हमने देखा कि कुछ राज्यों में, जिनकी ओर से बहुत कुछ करने को कहा गया था, प्रशासनिक दुर्व्यवस्था के कारण जो भी धन दिया गया वह व्यय नहीं किया गया। इसलिए उस अवधि में हमारा यह प्रयत्न रहा कि जहां तक सम्भव हो प्रशासन को ठीक किया जाये। और उस समय हम यही कर सके।

द्वितीय योजना में हमने उद्योग, परिवहन, विद्युत् आदि के लिए प्रथम योजना से अधिक धन की व्यवस्था रखी। इसीलिए हमारे लिए यह सम्भव नहीं था कि सभी जगह इस्पात और कोयले के लिये हम व्यवस्था करें। ऐसा नहीं किया जा सकता था। धन की कमी होने पर भी यथासम्भव प्रादेशिक समानता बनाये रखने तथा वितरण के मामले में सब के साथ एक जैसा व्यवहार का प्रयत्न किया गया है। कोयला और इस्पात संयंत्रों के मामले में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में पहले कुछ नहीं था, वहां ये संयत्र लगाये गये हैं। उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में एक एक इस्पात सन्यन्त्र है। जो क्षेत्र अब तक कम कोयला दे रहे थे हमने उनसे और कोयला देने की जिम्मेदारी लेने को कहा है।

इस प्रकार योजना की परिसीमाओं को देखते हुए कोई भी यह नहीं कह सकता कि धन का समान वितरण करने के लिए आप इस्पात, कोयला और विद्युत् को छोड़ दें। ऐसा नहीं किया जा सकता। इन चीजों के एक बार बन जाने पर, इससे सभी को लाभ होगा। यह आवश्यक नहीं है कि जिस स्थान पर सन्यन्त्र स्थापित हो केवल उसी क्षेत्र को इसकी आय अथवा रोज़गार का लाभ हो। आस पास के क्षेत्रों को भी इससे लाभ होता है। यह सब लोग समझ सकते हैं कि जहां संयंत्र स्थापित होता है वहां ही लाभ नहीं होता अपितु एक बड़े क्षेत्र को लाभ होता है। इसलिए हमें संकुचित दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए।

[श्री नन्दा]

मैं अधिक समय नहीं लूंगा। जो कुछ मैं कहना चाहता था अधिकांशतः कह चुका हूं। योजना आयोग का उद्देश्य प्रादेशिक असमानता को दूर करने का है, यह स्पष्टतया बताया जा चुका ह। परन्तु संयंत्रों की स्थापना में एक मुख्य बात यह है कि हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों को सभी प्राकृतिक लाभ प्राप्त न हों। सबसे पहले हमें यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि क्या किसी राज्य में संसाधन हैं और उनका प्रयोग नहीं हो रहा। यदि ऐसा है तो हमें उन्हें खोजना होगा। परन्तु जिन मामलों में आर्थिक लाभ अथवा हानि का विचार नहीं होता वहां अल्प विकसित क्षेत्रों पर हमें अधिक ध्यान देना होगा।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मैं जानता हूं कि सभी बड़े राज्य सतर्क हैं। जिस भी किसी संयंत्र को स्थगित करने का प्रश्न उठता है सभी राज्य अपना अपना दावा उसके लिए करते हैं। कोई निर्णय यूंही आसानी से नहीं किया जाता है। विभिन्न राज्यों के दावों पर पूरी तरह विचार किया जाता है।

जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, विकास के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रशासनिक व्यवस्था। हमें प्रशासनिक व्यवस्था को शक्तिशाली बनाना है जिससे वह और अच्छी तरह काम कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात कर्मचारियों के प्रशिक्षण की है। प्रशिक्षित प्रविधिक-कर्मचारियों की कमी के कारण सबसे अधिक कठिनाई होती है। यहां पर प्रश्न इस्पात जैसे विशिष्ट उद्योग आदि का नहीं है। इंजीनियरिंग उद्योगों को कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। री-रोलिंग मिलों को कहीं भी स्थापित किया जा सकता है और अधिक कपड़ा मिलों को विभिन्न राज्यों में बांटा जा सकता है। परन्तु इस सबके लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इस पर काफ़ी विचार किया जा रहा है। हमने सभी प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था की है जिससे जो कुछ भी अवसर दिए जायें उनका लोग पूरा लाभ उठा सकें।

†**श्री रंगा** (तेनालि): चीनी उद्योग को पहले चारों तरफ फैलाने की नीति थी परन्तु उसको फिर एक स्थान पर ही सीमित रखा जा रहा है।

†**श्री नन्दा** : मैं इसका अभी उत्तर नहीं दे सकता हूं। परन्तु भविष्य के सम्बन्ध में कह सकता हूं कि उनको अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में स्थापित किया जायेगा। वर्तमान संयंत्रों को हटाने का प्रश्न दूसरा है।

और भी बहुत से उपाय हैं जिनके द्वारा हम शिकायतें दूर कर सकते हैं। उदाहरणतया उत्पादन का विकेन्द्रीकरण हो सकता है कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं इन सब को विभिन्न स्थानों पर ले जाया जा सकता है।

मैं माननीय सदस्यों से वायदा करता हूं कि मैं राजस्थान, उड़ीसा, केरल के सम्बन्ध में आंकड़े उनको भेज दूंगा क्योंकि इस समय मेरे पास थोड़ा समय है। मैं चाहता हूं कि वह देखें कि राष्ट्रीय योजना की औसत बढ़ोत्तरी से किस प्रकार उनकी तुलना होती है और उन्हें पता लगे कि उनको उचित भाग ही दिया गया है। मैं माननीय सदस्यों द्वारा बताये गये आंकड़ों से सहमत नहीं हूं। मैं उड़ीसा के आंकड़ों से उन्हें बताऊंगा कि सिंचाई और विद्युत् में वहां बढ़ोत्तरी हुई है। केवल शत प्रतिशत ही नहीं अपितु २,००० प्रतिशत। कितने ही नये उद्योग वहां स्थापित किये जा चुके हैं। उनका शिकायत करना ठीक नहीं है।

हम एक देश की बातें करते हैं। हम कहते हैं कि क्योंकि विकास से समस्त देश का लाभ होता है इसलिये विकसित क्षेत्रों को अविकसित क्षेत्रों का भी ध्यान रखना चाहिये। ऐसा मालूम होता है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

देश में कोई विकसित क्षेत्र है ही नहीं। ऐसा हो सकता है। परन्तु जो शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं वही चिल्ला रहे हैं कि उनकी हालत खराब है।

मैं उड़ीसा तथा अन्य राज्यों के बारे में बताऊंगा। केरल में उदाहरणतया योजना १०० प्रतिशत से अधिक है। औसत बढ़ोत्तरी ६० प्रतिशत से अथवा उससे अधिक हो, परन्तु प्रथम योजना में त्रावनकोर-कोचीन राज्य की जो योजना थी उससे अब केरल की योजना शत प्रतिशत अधिक है। हमें अच्छाई भी देखनी चाहिये। हमने हरेक क्षेत्र में हरेक बात न की हो परन्तु बहुत प्रकार से हमारा लाभ हुआ है। सभी व्यक्ति सभी प्रकार से तो एक साथ लाभान्वित नहीं हो सकते हैं। मैं संकल्प की मूल बात अर्थात् समिति की नियुक्ति के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। जैसा मैं ने बताया मैं इस बात से सहमत नहीं कि समिति होनी चाहिये। यह एक ऐसा विषय है जिसके लिए निरन्तर कार्य की आवश्यकता है। यह ऐसा मामला नहीं है कि समिति एक या दो मास बैठे और बस। इस के लिए क्या करने की आवश्यकता है वह सर्वविदित है। योजना आयोग अनेक विभागों की सहायता से इस विषय पर विचार कर रहा है। यह बचत का प्रश्न नहीं है, यह प्रविधिक पहलुओं का प्रश्न है जिसके लिए समिति को सुसज्जित होना चाहिये। अतएव माननीय सदस्य जो काम समिति द्वारा करवाना चाहते हैं वह हो रहा है और उसे एक ऐसा निकाय कर रहा है जो कि ऐसा काम करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। और कोई समिति इसे नहीं कर सकती। जैसे श्री दी० चं० शर्मा ने बताया है सारे देश के लिए एक समिति कुछ भी न कर सकेगी यदि इसे सारे देश के सम्बन्ध में कार्य करना हो तो यह १० या १५ वर्ष काम करने पर भी कोई निश्चित अथवा ठोस काम नहीं कर सकेगी। इन समस्याओं को सक्षम निकाय ही हल कर सकते हैं। आप के प्रश्न के उत्तर में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह काम हो रहा है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य किये जाने की व्यवस्था विद्यमान है और उनके ऊपर एक समिति नियुक्त कर देने से, जो कुछ नहीं कर सकती, कुछ लाभ नहीं होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं सभा के समक्ष संशोधन मतदान के लिए रखूंगा।

†**श्री य० सिं० परमार** : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता।

संशोधन सभा की अनुमति द्वारा वापिस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री बाला साहेब पाटिल के संशोधन संख्या २ से ४ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"इस सभा की यह राय है कि भारत संघ में प्रति व्यक्ति औसत आय और विकास की दशाओं के सम्बन्ध में प्रादेशिक असमानता के बारे में अध्ययन और जांच करने के लिये और पिछड़े हुये प्रदेशों को अन्य उन्नत प्रदेशों के समान स्तर पर लाने के हेतु उपायों की सिफारिश करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति के लिए एक स्पष्ट मूल्य नीति और उसे लागू करने की व्यवस्था के बारे में प्रतिवेदन देने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प

†श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"इस सभा की यह राय है कि मूल्य सम्बन्धी एक सुदृढ़ और सुनिश्चित नीति के न होने से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सारे अनुमान गलत सिद्ध हो रहे हैं और उसकी कार्यान्विति में बाधा पड़ रही है और तदनुसार यह सभा सरकार को यह सुझाव देती है कि वह विविध अत्यावश्यक औद्योगिक तथा कृषिजन्य उत्पादों के मूल्य-स्तर की जांच करने और एक स्पष्ट मूल्य नीति और उसे लागू करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में छै महीने के अन्दर प्रतिवेदन देने के लिये तुरन्त एक समिति स्थापित करे।"

आजकल एक समिति काम कर रही है परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि यह समिति जो काम कर रही है इस संकल्प का उद्देश्य उससे भिन्न है। मैं इस संकल्प को ऐसे समय प्रस्तुत कर रहा हूं जबकि देश मल्यों को स्थिर करने की आवश्यकता के बारे में काफ़ी चिन्तित है।

१६५५ के अन्त से न केवल जीवन की सभी आवश्यकताओं वरन् अच्छी औद्योगिक सामग्री और निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में निरतन्र वृद्धि होती रही है। वर्ष १६५६–५७ के लिए मुद्रा और वित्त के सम्बन्ध में रक्षित बैंक के प्रतिवेदन के अनुसार मूल्यों की वृद्धि भारतीय आर्थिक स्थिति में एक असन्तोषजनक बात थी। इस प्रतिवेदन के अनुसार खाद्य वस्तुओं में २४.३ प्रतिशत, औद्योगिक कच्ची सामग्री में १६.५ प्रतिशत, और अर्द्ध निर्मित वस्तुओं में १८ ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चावल जैसी महत्वपूर्ण खाद्य वस्तु में पूर्व वर्ष की २४.८ प्रतिशत वृद्धि पर और १८.७ प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इन खाद्यान्नों के अलावा कोयला, इस्पात और सीमेंट के मूल्यों में भी बहुत वृद्धि हुई है। इससे द्वितीय योजना के आंकड़ों पर प्रभाव पड़ेगा और यह एक खतरनाक चीज़ है।

योजना आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है कि एक एकीकृत मूल्य नीति होनी चाहिये जिससे योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। अब यह कठिनाई पैदा हो गई है कि योजना के उद्देश्यों और उनके कार्यान्विति के ढंगों में परस्पर विरोध है और यह विरोध अधिकाधिक होता जा रहा है।

योजना स्थिर मूल्यों के आधार पर बनाई गई थी और साथ ही उस में नोट बना कर घाटे की व्यवस्था करने का उपबन्ध था। यह एक असंगति है क्योंकि घाटे की इस प्रकार व्यवस्था से मूल्य बढ़ते हैं। सरकार ने इस असंगति को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया है।

योजना पर ४८०० करोड़ रुपये का पूंजी व्यय होगा और मूल्यों के बढ़ जाने के कारण यह व्यय बहुत कम होगा।

आय-व्ययक पर चर्चा के समय कहा गया था कि मूल ४८०० करोड़ के पूंजी व्यय में ६०० करोड़ रुपये का व्यय बढ़ाना चाहिये। योजना की पूंजी में वृद्धि करने के साथ नोट बना कर घाटे की व्यवस्था से मूल्यों में और वृद्धि ही होगी। अतएव योजना के सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि मूल्यों को स्थिर बनाया जाए और एकीकृत मूल्य नीति अपनाई जाए।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि वास्तविक और वित्तीय आधार पर संतुलन पैदा करना चाहिये और यह मूल्यों के समायोजन द्वारा हो सकता है। परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से हम ने अनुभव किया है कि उक्त समायोजन को कार्यान्वित करने के लिए कुछ नहीं किया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

मूल्यों के उतार-चढ़ाव के बहुत से बुरे प्रभाव हैं। एक तो यह कि सट्टेबाज़ी और साठेबाज़ी बढ़ती है। रक्षित बैंक द्वारा की गई कार्यवाही इसे नहीं रोक सकी। मई अक्तूबर १९५६ में खाद्यान्न पर पेशगी २२.८ करोड़ रुपये कम हो गई थी जबकि अन्य प्रतिभूतियों पर अग्रिम धन में ६७.१ करोड़ की वृद्धि हुई। इस प्रकार साठेबाज़ों ने रक्षित बैंक के कार्य को विफल कर दिया है।

मूल्यों के बढ़ने से छोटी बचतों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। योजना में ५०० करोड़ की छोटी बचत का उपबन्ध है परन्तु जीवनांक मूल्य बढ़ जाने से लोग यह बचत नहीं कर सकेंगे क्योंकि वे या तो कर्मचारी हैं या कुछ किसान जिनकी हालत ज़रा अच्छी है। यही कारण है कि गत दो वर्षों में १६ करोड़ रुपये की ही छोटी सी बचत हो सकी है। इस प्रकार स्फीति बचत द्वारा पूंजी संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयोजन को विफल बना देती है।

मूल्यों के बढ़ने से योजना के सामाजिक उद्देश्य भी विफल हो जाते हैं। योजना का उद्देश्य है कि आय और सम्पत्ति की असमानता को कम किया जाए। मुद्रा स्फीति से इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। इस परिस्थिति में योजना के मुख्य उद्देश्य की भी पूर्ति नहीं होती अर्थात् राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी लोगों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं हो सकता। अतः चाहे कैसा भी विधान बनाया जाये लोग इस स्थिति का विरोध करेंगे और योजना के शान्तिपूर्ण कार्य में बाधा खड़ी होगी। गत कुछ सप्ताह में हमने देखा ही है कि लोग अपने वेतन से गुज़ारा नहीं कर सकते। अतः वे वेतन में वृद्धि की मांग करते रहे हैं और सरकार को उन्हें दबाने के लिये विधान बनाना पड़ा है।

मूल्यों का उतार चढ़ाव सर्वमुखी प्रगति के लिये भी बाधक है। सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि समान रूप से नहीं होती और इस कारण देश की आर्थिक व्यवस्था में बहुत गड़बड़ होती है। इससे पूंजी और उत्पादन में भी अव्यवस्थित परिवर्तन होते हैं। १९५३-५४ में दिल्ली विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में कृषि उत्पादनों के मूल्यों के गिरने के प्रभावों का जो सर्वेक्षण किया था उससे पता लगता है कि लोगों ने गेंहूं के स्थान पर कपास और गन्ना बोना ज्यादा अच्छा समझा है। ऐसी स्थिति में कृषि के क्षेत्र में भी फसलों को किसी वैज्ञानिक आधार पर उगाने की योजना नहीं बनाई जा सकती।

इन उतार चढ़ावों में समाज विरोधी तत्वों को भी सामान्य आर्थिक जीवन में गड़बड़ पैदा करने के बड़े अवसर प्राप्त होते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे प्रादेशिक असन्तुलन भी पैदा होता है। उदाहरणतः केरल अपनी वाणिज्यिक फसलों पर ही जीवित है। परन्तु खाद्यान्न का मूल्य बढ़ जाने से जिस का बहुत भाग वहां आयात किया जाता है और वहां की वाणिज्यिक फसलों के मूल्य गिर जाने से राज्य के लोगों का दरिद्र होना स्वाभाविक ही है।

मूल्यों के उतार चढ़ाव के कारण आर्थिक दृष्टि से विभिन्न वर्गों में परिवर्तन भी होते हैं। कभी नागरिक और कभी ग्रामीण एक दूसरे की तुलना में अधिक धनाढ्य हो जाते हैं। कृषि वस्तुओं के मूल्य प्रायः उस समय बढ़ते हैं जब वस्तुएं व्यापारियों के हाथ में आ जाती हैं अतः उसका लाभ भी व्यापारियों को ही होता है।

आयोजित विकास के लिए स्थिर मूल्य की आवश्यकता है। योजना आयोग ने पृष्ठ ११ पर कहा है कि यदि गतिशील विकास या अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से रोकथाम न हुई तो नोट बना कर घाटे की व्यवस्था करने से स्थिति बिगड़ सकती है। अतः स्थिति

[श्री अ० क० गोपालन]

पर पूरी तरह ध्यान रखने की आवश्यकता है और ज्यों ही मुद्रा स्फीति के लक्षण दिखाई दें तो भौतिक या वित्तीय नियंत्रण द्वारा उसे रोकने का प्रयत्न करना चाहिये। इस प्रकार योजना निर्माताओं ने पहले ही मूल्य नियंत्रण की कल्पना कर ली थी। आज कर्मचारी वर्ग और मध्य वर्ग बढ़ते हुए मूल्यों और करों के भार से दबे हुए चिल्ला रहे हैं। परन्तु हमने इसके लिए क्या किया है ? मूल्य नियंत्रण की बात नई नहीं है। इसकी कल्पना योजना में ही है। परन्तु कुछ लोगों के मन में मुनाफाखोरों के लिए सहानुभूति है। परन्तु हम मूल्यों के प्रश्न को बाज़ार पर छोड़ देते हैं जहां गैर सरकारी उपक्रम के अधीन स्वाभाविक अस्थिरता रहती है। इससे सरकार स्वयं आयोजित विकास को विफल बना रही है और लोग सरकार के इरादों पर सन्देह करते हैं।

कुछ लोग यह कहते हैं कि बढ़ते हुए मूल्यों का मुकाबला करने के लिए योजना में कमी कर देनी चाहिये और गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र पर बात छोड़ देने से लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी। परन्तु हम समझते हैं यह ठीक नहीं है। इस कठिनाई की कल्पना हम पहले ही कर सकते थे। द्वितीय योजना के पृष्ठ ३६ पर लिखा है कि ऐसी स्थिति में विकास कार्यक्रम को छोड़ देने की बजाए नियंत्रण और आवंटन की योजना अपनाने के लिये तैयार रहना चाहिए।

सरकार के विभिन्न सदस्य योजना को विभिन्न दृष्टि से देखते हैं। वित्त मंत्री नियंत्रण की बात कहते हैं तो खाद्य मंत्री इस के लिये तैयार नहीं। एक और सदस्य कहते हैं कि वे योजना को लाठी और गोलियों से कार्यान्वित करेंगे। प्रश्न यह है कि क्या सरकार योजना की कार्यान्विति के लिए उन ढंगों को अपनाने के लिए तैयार है जो इसके उद्देश्यों के अनुकूल हों।

खाद्यान्न मूल्य जांच समिति पहले नियुक्त की जा चुकी है और मैं उसका स्वागत करता हूं। परन्तु इसकी नियुक्ति से पूर्व मुख्य विरोधी दलों से परामर्श करना चाहिये था। केवल खाद्यान्न से प्रश्न हल नहीं हो जाता वरन् कुछ अन्य महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक वस्तुएं हैं जिन के मूल्य का प्रश्न यूंही नहीं छोड़ा जा सकता।

जैसा मैंने बताया है हमें कृषि और उद्योग के महत्वपूर्ण उत्पादों के सम्बन्ध में एक एकीकृत मूल्य नीति बनानी चाहिये। तभी हम कोई विस्तृत और स्थिर योजना बना सकते हैं। सरकार और योजना आयोग को इन प्रश्नों पर विचार करना चाहिये; योजना काल में मुद्रा के बहुत अधिक आ जाने से मूल्य स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? मूल्यों के उतार चढ़ाव से योजना के प्राक्कलनों में कितनी कमी होगी ? और तीसरे इस बात पर विचार करना कि योजना के लक्ष्यों की पूर्ति के लिये तथा संसाधनों के आवश्यक आवंटन के हेतु एकीकृत मूल्य नीति की कितनी ज़रूरत है।

एकीकृत मूल्य नीति के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहियें :—

मुद्रा स्फीति को नियंत्रित रखना, मूल्य स्तर को उपयुक्त स्तर पर रखना, अपेक्षित क्षेत्रों में उत्पादन के विस्तार के लिए आर्थिक प्रोत्साहन, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के मूल्यों में समानता रखना, आर्थिक व्यवस्था पर अनुचित दबाव को रोकने के लिए उत्पादन और उपभोग पर नियंत्रण रखना।

जहां तक कार्यान्विति की व्यवस्था का सम्बन्ध है वह विशेषज्ञों का विषय है। अतः मेरा केवल यह सुझाव है कि एक समिति नियुक्त करनी चाहिये जो छः मास के बीच सरकार को प्रतिवेदन दे।

†**अध्यक्ष महोदय :** संकल्प सभा के समक्ष है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहराम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल्य संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :—

"इस सभा की यह राय है कि मूल्य सम्बन्धी एक सुदृढ़ और सुनिश्चित नीति के न होने से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सारे अनुमान गलत सिद्ध हो रहे हैं और उसकी कार्यान्विति में बाधा पड़ रही है और तदनुसार यह सभा सरकार को यह सुझाव देती है कि खाद्यान्न जांच समिति से ही यह भी कहा जाए कि वह खाद्यान्न के साथ अन्य अत्यावश्यक औद्योगिक उत्पादों के मूल्य स्तरों की भी जांच करे और एक स्पष्ट मूल्य नीति और उसे लागू करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में छः महीने के अन्दर प्रतिवेदन दे ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : मूल संकल्प और संशोधन पर बाद में चर्चा की जाएगी । अब सभा स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २० अगस्त, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . ३८३९–६५

तारांकित विषय
प्रश्न संख्या

९३२ सेतु समुद्रम् परियोजना . . ३८३९-४०
९३३ सहकारी स्टोर्स की मार्फत अनाज का वितरण ३८४०-४१
९३४ पत्तन कर्मचारी ३८४२-४३
९३५ अनाज पर नियंत्रण ३८४३–४५
९३७ कारखानों का आधुनिक-करण . . ३८४५
९३८ डिब्बे बनाने का कारखाना, पैरम्बूर ३८४६
९४० परदीप पत्तन ३८४७-४८
९४१ दामोदर घाटी निगम की तिलय्या नहर योजना ३८४८-४९
९४३ मुअत्तल रेलवे-कर्मचारी . . ३८४९–५१
९४४ रेलवे स्टेशनों पर प्रलेखनीय चलचित्रों का प्रदर्शन ३८५१
९४५ इंजन . . . ३८५१–५३
९४६ बैजवाडा-मछलीपट्टम लाइन ३८५४
९४९ रेलवे जोन ३८५५-५६
९५१ तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये सुविधा समिति ३८५६
९५२ दिल्ली के कटड़ों में सुविधाओं की व्यवस्था . . ३८५७-५८
९५३ ग्रामीण प्रशिक्षण दल ३८५८-५९
९५४ आंध्र में भूमिहीन कृषि-मजदूर ३८५९-६०
९५६ नागार्जुन सागर बांध ३८६१
९५८ बम्बई गोदी श्रमिक . . . ३८६१–६३

अल्प सूचना
प्रश्न संख्या

१४ सहायता के लिये ओमान का अनुरोध . . . ३८६४-६५
प्रश्नो के लिखित उत्तर . ३८६६–९३

तारांकित
प्रश्न संख्या

९३६ रेलवे के गोदामों में अनाज . . ३८६६
९३९ अंतर्देशीय मीन-क्षेत्र गवेषणा . ३८६६
९४२ मध्य भारत नदी आयोग (बाढ़) . ३८६६-६७
९४८ बरहामपुर और हैदराबाद के बीच एक्सप्रैस गाड़ी ३८६७
९५० राजस्थान की सड़कें . . ३८६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
९५५	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था	३८६८
९५७	राज्यों को खाद्य-सम्बन्धी राज-सहायता	३८६८
९५९	दिल्ली में तापीय बिजली संयंत्र	३८६९
९६०	चिलका झील	३८६९
९६१	तिलय्या बांध	३८७०
९६२	दिल्ली मद्रास जनता एक्सप्रैस	३८७०
९६३	राप्ती नदी का जलाशय	३८७०
९६५	"एस० एस० एडीशन मैरिनर" का प्रग्रहण	३८७१
९६६	उड़ीसा का डाक तथा तार निदेशालय	३८७१
९६७	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण	३८७१

अतारांकित प्रश्न संख्या		
६८२	रेल दुर्घटना	३८७२
६८३	वारंगल में जल सम्भरण योजना	३८७२
६८४	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६	३८७२-७३
६८५	आंध्र में राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक विकास खंड	३८७३
६८६	गांवों में बिजली लगाना	३८७३-७४
६८७	मदुरई को विमान सेवा	३८७५
६८८	भूतपूर्व बीकानेर रेलवे के कर्मचारी	३८७५
६८९	रेल दुर्घटनायें	३८७५-७६
६९०	पंजाब में नलकूप	३८७६-७७
६९१	दिल्ली में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना	३८७७
६९२	मछदा-डिगला रेलवे लाइन	३८७७-७८
६९३	उत्तर प्रदेश में पर्यटन	३८७८
६९४	पटना फ्लाइंग क्लब	३८७९
६९५	मैसूर में पर्यटक केन्द्र	३८७९
६९६	डाक तथा तार गृह-निर्माण योजना	३८८०
६९७	रेलवे में भ्रष्टाचार	३८८०
६९८	मनीपुर में ढोर रोग	३८८०
६९९	मनीपुर में ढोर गणना	३८८१
७००	मनीपुर में परिवहन	३८८१
७०१	मनीपुर में परिवहन	३८८१-८२
७०२	कलकत्ता में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना	३८८२
७०३	रामकोला स्टेशन पर रेल दुर्घटना	३८८२
७०४	मसूरी में अवकाश-गृह	३८८२-८३
७०५	सवारी-डिब्बे बनाने का कारखाना, पैरम्बूर	३८८३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
७०६	रेल के माल डिब्बों का पंजीयन	३८८३
७०७	भारतीय पशु-चिकित्सा गवेषणा संस्था, बरेली	३८८४-८५
७०८	मुकामा घाट पर पार्सलों का तादनान्तर	३८८५-८६
७०९	गढ़वा रोड और राबर्टसगंज के बीच रेल सम्पर्क	३८८६
७१०	आदिम जातियों के लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें	३८८६
७११	त्रिपुरा के कृषकों को ऋण	३८८६-८७
७१२	त्रिपुरा में झूमिया पुनर्वास	३८८७
७१३	हैदराबाद और सिकन्दराबाद डाक घर	३८८७
७१४	रेलवे पर दावे	३८८८
७१५	रेलवे लाइनें	३८८८
७१६	बम्बई-आगरा राष्ट्रीय राजपथ	३८८८-८९
७१७	रायगढ़ स्टेशन पर बिजली लगाना	३८८९
७१८	त्रिपुरा में टेलीफोन	३८८९
७१९	गाड़ियों के पायदानों पर सफर करना	३८८९-९०
७२०	खाली माल-डिब्बों वाली विशेष गाड़ियां	३८९०
७२१	रेलों में अधिक भीड़	३८९०-९१
७२२	आंध्र के तटीय क्षेत्र में गहरे पानी में मछलियां पकड़ना	३८९१
७२३	आंध्र में नदियों में मछली पकड़ना	३८९१-९२
७२४	तिरुपति में पर्यटन केन्द्र	३८९२
७२५	मद्रास का बड़ा डाक-घर	३८९२
७२६	रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले	३८९२-९३
७२७	मरुभूमि नियंत्रण	३८९३
७२८	उत्तरी बिहार में बाढ़	३८९३
सभा पटल पर रखे गये पत्र		३८९३-९४

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) भारत के जीवन बीमा निगम के कार्यों के अन्तरिम प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(२) राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम, १९५६ की धारा १० के अन्तर्गत दिनांक १३ अप्रैल, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ११८२ में प्रकाशित राष्ट्रीय राजपथ नियम, १९५७ की एक प्रति ।

(३) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम १९४८ की धारा ३६ के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन और वर्ष १९५४–५५ के लिये निगम के लेखा-परीक्षित लेखे की एक प्रति ।

	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	३८९४

श्री विश्वनाथ रेड्डी ने आंध्र और मद्रास की सीमा सम्बन्धी समस्याओं के बारे में पाटस्कर प्रतिवेदन पर समाचार-पत्रों की टीका–टिप्पणियों की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया।

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पंत) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

धन-कर विधेयक संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया .	३८९५

प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

विधेयक पुरःस्थापित किया गया	३८९५

बीमा (संशोधन) विधेयक।

अनुदानों की मांगें	३८९५–३९३६

गृह-कार्य मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ . . .	३९३६

चौथा प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प अस्वीकृत हुआ	३९३६–५१

प्रति व्यक्ति औसत आय के सम्बन्ध में प्रादेशिक असमानता की जांच करने के लिये समिति की नियुक्ति सम्बन्धी संकल्प पर और आगे चर्चा समाप्त हुई और संकल्प अस्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प विचाराधीन . . .	३९ २–५५

श्री अ० क० गोपालन ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति के लिये एक स्पष्ट मूल्य नीति और उसे लागू करने की व्यवस्था के बारे में प्रतिवेदन देने के लिये एक समिति की नियुक्ति सम्बन्धी संकल्प प्रस्तुत किया।

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

मंगलवार, २० अगस्त, १९५७ के लिए कार्यावलि—

गृह-कार्य मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा।

	पृष्ठ
प्रति व्यक्ति औसत आय के सम्बन्ध में प्रादेशिक असमानता की जांच करने के लिये समिति की नियुक्ति सम्बन्धी संकल्प	३९३६—५१
डा० क० ब० मेनन	३९३७
श्री दी० चं० शर्मा	३९३७-३८
श्री बालासाहेब पाटिल	३९३९
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	३९३९-४०
श्री वें० प० नायर	३९४०-४१
श्री ज० सिं० परमार	३९४१-४२
श्री मू० चं० जैन	३९४२—४५
श्री नन्दा	३९४५—५१
द्वितीय पंच वर्षीय योजना की कार्यान्विति के लिये एक स्पष्ट मूल्यनीति और उसे लागू करने की व्यवस्था के बारे में प्रातवेदन देने के लिये एक समिति की नियुक्ति सम्बन्धी संकल्प	३९५२—५५
श्री अ० क० गोपालन	३९५२—५४
डा० राम सुभग सिंह	३९५४-५५
दैनिक संक्षेपिका	३९३६—५९

P. L. S. 41. V. 25. 57.
170

भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित तथा लोक-सभा सचिवालय द्वारा लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ तथा ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित।